रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2014/आश्विन 22, 1936
No. 242] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2014/ASVINA 22, 1936

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

**(वाणिज्य विभाग)**

**(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2014

## अंतिम जांच परिणाम

**विषय : चीन जन. गण. हांग कांग और चीनी ताईपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सभी प्रकार के डिजीटल वर्सिटाइल डिस्क–रिकॉर्डेबल (डीवीडी–आर और डीवीडी–आर डब्ल्यू)' के आयात के संबंध में प्रथम निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) पाटनरोधी जांच।**

**फा. सं. 15/10/2013–डीजीएडी**.—1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) तथा समय–समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए।

### क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि उपर्युक्त नियम के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में नियुक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) ने दिनांक 20.11.2007 की अधिसूचना संख्या 14/17/2007–डीजीएडी के माध्यम से ने चीन जन. गण हॉग कॉग और चीनी ताईपेई (जिन्हें आगे ''संबंद्ध देश'' कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित 'डिजीटल वर्सिटाइल डिस्क–रिकॉडेबल (डीवीडी–आर और डीवीडी–आर डब्ल्यू)' के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16.06.2008 की अधिसूचना संख्या 14/17/2007–डीजीएडी के माध्यम से प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे तथा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 23.07.2008 की अधिसूचना संख्या 89/2008–सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था। निश्चयात्मक शुल्क की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19.11.2008 की अधिसूचना संख्या 14/17/2007–डीजीएजी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे । अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की

गई सिफारिशों के आधार पर, अंतिम पाटनरोधी शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा संबद्ध देशों में उत्पादित अथवा से निर्यातित उपर्युक्त वस्तुओं के आयात पर दिनांक 22.06.2009 की अधिसूचना संख्या 8/2009–सीमा शुल्क के माध्यम से आरोपित किए गए थे। निश्चित शुल्क 23.07.2008 से 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध था।

2. और जबकि मैसर्स मोजर बेयर इण्डिया लिमिटेड, भारत में संबद्ध वस्तुओं का मुख्य घरेलू निर्माता, ने संबद्ध देशों में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित उपर्युक्त वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना तथा उसके फलस्वरूप शुल्क को हटाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली हानि का आरोप लगाते हुए इस अधिनियम और नियमावली के अनुरूप घरेलू उद्योग की ओर से इस प्राधिकारी के समक्ष 03.07.2013 को एक विधिवत स्थापित आवेदन दायर किया और संबद्ध देशों में उत्पादित अथवा से निर्यातित 'डिजीटल वर्सिटाइल डिस्क–रिकॉर्डेबल (डीवीडी–आर और डीवीडी–आर डब्ल्यू)' के आयात पर आरोपित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए उसकी समीक्षा हेतु अनुरोध किया।

3. और जबकि घरेलू उद्योग की ओर से दायर विधिवत स्थापित आवेदन के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9ए(5) के अनुरूप, इस प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में उत्पादित अथवा से निर्यातित 'डिजीटल वर्सिटाइल डिस्क–रिकॉर्डेबल (डीवीडी–आर और डीवीडी–आर डब्ल्यू) (इसके बाद संबद्ध देशों के रूप में संदर्भित)' के संबंध में शुल्कों के सतत आरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस बात की जांच करने कि ऐसे शुल्क के समाप्त होने से संभवतः पाटन के जारी रहने अथवा बार–बार होने से घरेलू उद्योग को हानि होगी, के लिए दिनांक 18.07.2013 की अधिसूचना संख्या 15/10/2013–डीजीएडी के माध्यम से अंतिम समीक्षा जांच शुरू की। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता केन्द्र सरकार द्वारा 22 जुलाई, 2014 तक इस तिथि को शामिल करते हुए दिनांक 29.08.2013 की अधिसूचना संख्या 19/2013–सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से प्रदान किया गया था।

4. इस प्राधिकारी के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के संबंध में जांच को पूरा करने के लिए समय अवधि को 3 महीने अर्थात् 17.10.2014 तक बढ़ा दिया है।

5. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देशों में उत्पादित अथवा से निर्यातित उपर्युक्त वस्तुओं के आयात के संबंध में मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

**ख. प्रक्रिया**

6. निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है :

i. नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार इस जांच को शुरू करने के बारे में सूचित किया गया था।

ii. इस प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली 6(3) के अनुरूप ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इन आवेदनों का अगोपनीय पाठ की प्रतियां प्राप्त करने का अवसर दिया।

iii. इस प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां अग्रेषित कीं तथा उन्हें नियमावली 6(2) एवं 6(4) के अनुरूप 40 दिनों के भीतर अपने दृष्टिकोण रखने का उन्हें अवसर दिया।

**चीन**

1. शंघाई सन्स्ड इलैक्ट्रॉनिक टेकनोलॉजी कं. लिमि.
2. गुआंगडोंग न्यू फेस लेजर टेकनोलॉजी कं. लिमि.
3. शानतॉउ सेज वो हिंग रेडियो एंड वीडियो कं. लिमि.
4. फोशन नन्हेई पर्ल ऑडियो एंड वीडियो कं. लिमि.
5. शेनजैन गुआंग यू ओप्टो इलैक्ट्रॉनिक्स टेकनोलॉजी कं. लिमि.
6. जियामेन लियो सेंग ट्रैडिंग कं. लिमि.
7. शानतॉउ यूहेई ऑडियो एंड वीडियो कं. लिमि.
8. गुआंगझॉउ बनाना कम्प्यूटर टेकनोलॉजी कं. लिमि.
9. जिआंगसी गुआंगसिंग साइंस एंड टेकनोलॉजी डेवेलपमेंट कं. लिमि.
10. टॉपफोर्ड डेवेलपमेंट लिमि.
11. उमेडिस्क (डॉगगुआंग) लिमि.

**हाँगकाँग**

1. एमीगोज कनेक्शन (एचके) लिमि.
2. सेनट्रॉन टेकनोलॉजी लिमि.
3. ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स कं. लिमि.
4. प्रोमीडिया इंटरनेशनल लिमि.
5. टॉपफोर्ड डेवेलपमेंट हाँग काँग
6. आप्टिकल डिस्क मैन्यूफैक्चरिंग एंड टेकनोलॉजिज़ एसोसिएशन लिमि.

**चीनी ताईपेई**

1. ईआई मेजर टेकनोलॉजी कं. लिमि.
2. एचआईएम टेकनोलॉजी इंक.
3. सूनॉन मीडिया कं. लिमि.
4. मिनटेक टेकनोलॉजी कं. लिमि.
5. मेलोडी टेकनोलॉजी कॉरपोरशेन
6. वानप्रस्थ कोरपोरेशन
7. रिटेक कोरपोरेशन ताईवान

7. संबद्ध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

8. गैर—बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण, एक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली भी चीन जन. गण में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा चीन जन. गण के दूतावास को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया था कि वे निर्धारित समय—सीमा के भीतर इस प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान करें। जबकि प्रारंभ करने के प्रयोजन से, चीन में सामान्य मूल्य पर विचार विधिवत समायोजित भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया था, इस प्राधिकारी ने चीन जन. गण के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित किया कि इसका प्रस्ताव यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध—1 के पैरा 7 और 8 के आलोक में इस आवेदक के दावे की जांच करने का है। अतः चीन जन. गण से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/उत्पादकों से इस प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करने कि क्या बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार उस देश में सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों को दिया जा सकता है, में सक्षम बनाने के लिए उपर्युक्त अनुबंध 1 के पैराग्राफ 8 के उप—पैराग्राफ (3) में यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि इस संबंध में चीन जन. गण के उत्पादक/निर्यातकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

9. इस प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम एवं पते इस प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गए थे) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां अग्रेषित कीं तथा उन्हें सलाह दी कि नियम 6 (4) के अनुरूप इस पत्र के जारी होने की तिथि से चालीस (40) दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें :

1) राशि पेरीफेरल्स प्रा. लिमि.
2) डायनेमिक ओवरसीज़
3) जस इंटरनेशनल
4) हनिक्स ओवरसीज़
5) आदित्य इंटरप्राइजेज
6) वीलाइन मीडिया लिमि.
7) हिमालयन टाइम्स प्रा. लिमि.
8) एलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेगनेटिक्स लिमि.
9) राना पेरीफेरल्स प्रा. लिमि.
10) बाबा इंटरनेशनल प्रा. लिमि.
11) अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमि.
12) कंप्यूटर स्किल लिमिटेड
13) सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
14) सुपर कैसेट
15) ग्लोबल इनफिटेक
16) सोलर कॉम्पेक्ट डिस्क प्राइवेट लिमिटेड
17) डायमंड डिस्क प्राइवेट लिमिटेड
18) फ्यूचरिस्टिक कांस्पेट्स मीडिया लिमि.
19) जेट स्पीड ऑडियो प्राईवेट लिमिटेड
20) पॉवरक्यूब इंफोटेक प्रा. लिमि.
21) सारेगामा रिजेंसी आप्टिमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
22) सोनी डेडक मैन्यूफैक्चरिंग इंडिया प्रा. लिमि.
23) एसपी सॉफ्ट डिजीटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
24) पर्ल इंजीनियरिंग क. (यूनिट—।।)
25) प्रॉडक्ट रीच प्राइवेट लिमिटेड
26) सिद्धार्थ ऑप्टिकल डिस्क प्रा. लिमि.
27) अनंत इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

28) अरिहंत इलैक्ट्रॉनिक्स
29) ग्लोबल इनफिटेक
30) जेट स्पीड ऑडियो प्राइवेट लिमिटेड
31) डायमंड डिस्क प्राइवेट लिमिटेड

10. प्रश्नावली के उत्तर के रूप में कोई उत्तर अथवा अनुरोध किसी आयातकों/प्रयोगकर्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

11. प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों नामतः (i) मैसर्स यूरो मल्टीविजन लिमि. (ii) मैसर्स जूपिटर इंटरनेशनल लिमि. (iii) मैसर्स नेक्स्ट स्टार डिजिटल तथा (iv) मैसर्स शांति प्लास्ट को भी भेजी गयी थी। मैसर्स यूरो मल्टीविजन लिमि. ने इस याचिका का समर्थन किया है। अन्य उत्पादकों ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

12. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक है। हानि संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2009 – मार्च 2010, अप्रैल 2010 – मार्च 2011, अप्रैल 2011 – मार्च 2012 तथा जांच की यह अवधि शामिल है। इसके अलावा इस प्राधिकारी ने संभावना का आकलन के उद्देश्य से इन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने हेतु पीओआई पश्चात (अप्रैल 2013 – मार्च 2014) के आंकड़ों की भी जांच की है।

13. हानि की अवधि पीओआई (अप्रैल 2012 – मार्च 2013) तथा पीओआई पश्चात (अप्रैल 2013 – मार्च 2014) सहित (अप्रैल 2009 – मार्च 2010, अप्रैल 2010 – मार्च 2011, अप्रैल 2011 – मार्च 2012) के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात आंकड़ों के विवरण की व्यवस्था करने के लिए वाणिज्यि आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) को अनुरोध किया गया था। इस प्राधिकारी ने इस संबंध में विश्लेषण हेतु डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों को विश्वसनीय माना है।

14. निर्यातक, उत्पादक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संबंधित सूचना दी है, को इस प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।

15. इस प्राधिकारी में नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

16. इस प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत तय करने तथा अपनी सतत रीतियों के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं का क्षति रहित मूल्य का निर्धारण करने जिससे इस बात की जांच की जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, हेतु घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है।

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार इस प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 11.06.2014 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया, जिसमें केवल घरेलू उद्योग और उनके प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए। घरेलू उद्योग से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने दृष्टिकोण को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।

18. जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोणों और इस प्राधिकारी द्वारा उसे संगत माने गये दृष्टिकोणों का समाधान इस निष्कर्ष में किया गया है।

19. भाग लेने वाले घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया जहां तक उसे आवश्यक माना गया।

20. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

21. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना देने से इन्कार किया है अथवा अन्य प्रकार से सूचना नहीं दी है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, इस प्राधिकारी ने "उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना" का उपयोग किया है और ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है।

22. इस प्राधिकारी ने 24 सितंबर, 2014 को प्रकटन बयान के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस मामले के आवश्यक तथ्यों से अवगत कराया। हितबद्ध पक्षकारों को 30 सितंबर, 2014 तक इस बयान में प्रकट की गई जांचों के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी देने का एक अवसर दिया गया था। घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। घरेलू उद्योग से प्राप्त टिप्पणियों पर कुछ हद तक विचार किया गया है जहां तक वे संगत हैं और उनका उपयुक्त समाधान इस निष्कर्ष में किया गया है।

23. इस निष्कर्ष में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

24. पीओआई के लिए विनिमय दर इस प्राधिकारी द्वारा 54.65 रुपया = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

## ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का क्षेत्र

25. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को "सभी प्रकार के रिकॉर्डेबल डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क [डीवीडी] के रूप में परिभाषित किया गया था। डीवीडी अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे डीवीडी–आर, डीवीडी+आर, डीवीडी–आरडब्ल्यू, डीवीडी+आरडब्ल्यू, मिनी डीवीडी–आर, मिनी डीवीडी–आरडब्ल्यू, मिनी डीवीडी+आर, मिनी डीवीडी+आरडब्ल्यू, डीवीडी+आर डीएल, डीवीडी–आर डीएल। किसी डीवीडी को एक बार अथवा अनेक बार रिकॉर्ड किया जा सकता है।"

## ग. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

26. घरेलू उद्योग ने जांच प्रारंभ करने के बाद प्रस्तुत किये गये अनुरोध में इस प्राधिकारी से समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से सभी प्रकार के रि–राइटेबल डीवीडी (डीवीडी–आरडब्ल्यू) को हटाने तथा उनकी याचिका को पाटनरोधी शुल्क को जायज रखने के लिए इस उत्पाद (डीवीडी–आरडब्ल्यू) के संबंध में वापिस लिया गया मानने का अनुरोध किया है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित अनुरोध किया है :

i. घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और बिक्री का लगभग 99.9% डीवीडी–आर से संबंधित है। डीवीडी–आरडब्ल्यू की मांग बहुत ही सीमित है और इसलिए डीवीडी–आरडब्ल्यू को बाहर करने से घरेलू उद्योग को पर्याप्त नुकसान नहीं होगा जबकि डीवीडी–आर पर पाटनरोधी शुल्क को हटाने से बहुत अधिक हानि होगी।

ii. डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू पूर्णरूप से अलग बाजार क्षेत्रों की मांग को पूरा करता है। जबकि संबद्ध देशों से डीवीडी–आर का आयात बहुत कम और पाटित मूल्य पर होता है और इसलिए इससे घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है यदि शुल्क नहीं दिया जाता है, डीवीडी–आरडब्ल्यू का आयात उच्च मूल्य पर होता है और घरेलू उद्योग को डीवीडी–आरडब्ल्यू के छोटे बाजार आकार को देखते हुए उन मूल्यों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।

iii. जिस मूल्य पर डीवीडी–आर का आयात संबद्ध देशों से किया जा रहा है वह स्पष्ट पाटनरोधी शुल्क के वापिस लिये जाने की स्थिति में पाटन और हानि के जारी रहने अथवा बार–बार होने की संभावना को दर्शाता है। डीवीडी–आरडब्ल्यू का आयात उच्च मूल्य पर होता है और इससे ऋणात्मक अवसर पाटन मार्जिन और/अथवा हानि मार्जिन हो सकता है। तथापि उसका मतलब यह नहीं है कि डीवीडी–आर की निम्न मूल्य पाटित आयात से हानि होगी। इसका मतलब सिर्फ यह है कि डीवीडी–आरडब्ल्यू और डीवीडी–आर की औसत पाटन और हानि के संबंध में परिवर्तित परिणाम दर्शायेंगे। अतः परिवर्तन को हटाने के उद्देश्य से यह उपयुक्त होगा कि केवल डीवीडी–आर को शामिल करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित किया जाए। डीवीडी–आर का आयात मूल्य स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क वापिस किये जाने की स्थिति में पाटन और हानि की संभावना दर्शायेगा।

iv. चूंकि घरेलू उद्योग बाजार का 99.9 प्रतिशत डीवीडी–आर है अतः घरेलू उद्योग की मुख्य चिंता डीवीडी–आर के आयात की है। तदनुसार घरेलू उद्योग में इस प्राधिकारी से डीवीडी–आरडब्ल्यू को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद के संशोधित क्षेत्र पर विचार करने का अनुरोध किया है।

27. इस अंतिम समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का संशोधन हेतु अपने तर्क के समर्थन में, घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत अनेक समीक्षा मामलों में विचारधीन उत्पाद के क्षेत्र पर विचार किया है और इसलिए इस मामले में इस प्रकार की समीक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

28. घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि जांच के क्षेत्र से एक उत्पाद प्रकार को हटाने का मतलब पाटन मार्जिन की गणना के उद्देश्य से शून्य नहीं होगा। यह अनुरोध किया गया है कि शून्य करने की रीतियों में इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगना जारी रहता है जबकि उसी उत्पाद प्रकार के ऋणात्मक पाटन मार्जिन को शून्य मान दिया जाता है। लेकिन इस मामले में घरेलू उद्योग जांच के क्षेत्र से ही उत्पाद प्रकार (डीवीडी–आरडब्ल्यू) को हटाने का अनुरोध कर रहा है और इस पर शुल्क नहीं लगेगा। अतः इससे उसका मान शून्य नहीं होगा। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि उत्पाद क्षेत्र के क्षेत्र से डीवीडी–आरडब्ल्यू को हटाने की मांग इसके ऋणात्मक पाटन मार्जिन के कारण किया गया है जिसके द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से कार्य किया जा सके और न कि गैर–जरूरी संरक्षण की मांग की जाये।

29. प्रकटन के बाद के अनुरोध में घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद पर अपने तर्कों को दोहराया है। यह अनुरोध किया गया है कि डीवीडी–आरडब्ल्यू को हटाने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध इस कारण से नहीं हैं कि डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू दो अलग–अलग उत्पाद हैं। यह अनुरोध इन कारणों से है कि (क) जबकि इन दोनों उत्पादों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापनात्मकता है, जहां तक उपभोक्ताओं का प्रश्न है इनमें कोई वाणिज्यिक प्रतिस्थापनात्मकता नहीं है। (ख) जबकि उत्पादक इन दोनों प्रकारों में किसी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, उपभोक्ता ऐसा नहीं कर सकता है। (ग) डीवीडी–आर में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन घनात्मक हैं जबकि वही डीवीडी–आरडब्ल्यू के मामले में ऋणात्मक हैं। (घ) भारतीय बाजार में घरेलू बिक्री का 99 से अधिक प्रतिशत और तीसरे देशों में निर्यातक की बिक्री का लगभग 98 प्रतिशत डीवीडी–आर से होता है। डीवीडी–आरडब्ल्यू का बाजार बहुत ही सीमित है। (ङ) डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू के बीच अत्यधिक मूल्य अंतर को देखते हुए, डीवीडी–आरडब्ल्यू पर पाटनरोधी शुल्क हटाने से डीवीडी–आर के मामले में घरेलू उद्योग को हानि नहीं होगी। (च) घरेलू उद्योग को हानि की संभावना डीवीडी–आर के मामले में पाटन और हानि से है। डीवीडी–आरडब्ल्यू में पाटन और हानि की किसी संभावना का आशय डीवीडी–आर में पाटन और हानि की संभावना से नहीं है। (छ) जबकि आयात की वास्तविक मात्रा वास्तविक पाटन और हानि के बारे में निर्णय लेने के प्रयोजन से संगत हो सकती है लेकिन घरेलू देश में बिक्री की मात्रा और तीसरे देशों में निर्यातकों की निर्यात मात्रा संभावित निर्धारण के लिए संगत है। (ज) जबकि घरेलू उद्योग ने डीवीडी–आरडब्ल्यू के मामले में एनआईपी से अधिक मूल्य प्राप्त किया, डीवीडी–आर के लिए घरेलू उद्योग एनएसआर एनआईपी से कम था, जिससे आगे यह सिद्ध होता है कि दोनों प्रकारों में अंतर है। इसलिए जबकि डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू एक उत्पाद है, ये दोनों अलग प्रकार के विचाराधीन उत्पाद हैं। आगे यह अनुरोध किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में अलग उत्पाद प्रकारों में अंतर किया है और कुछ उत्पाद प्रकारों को निकालकर विचारधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित किया है जबकि निकाले गये और शामिल किये गये उत्पाद एक ही उत्पाद हैं।

### ग. 2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

30. किसी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

### ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. मूल जांच में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी), सभी प्रकार के डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल (डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू) थे। रिकॉर्डेबल डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क (डीवीडी) अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे राइटेबल डीवीडी जैसे डीवीडी–आर, डीवीडी+आर, मिनी डीवीडी–आर, मिनी डीवीडी+आर, डीवीडी+आर डीएल, डीवीडी–आर डीएल और रि–राइटेबल डीवीडी जैसे डीवीडी–आरडब्ल्यू, डीवीडी+आरडब्ल्यू, मिनी डीवीडी–आरडब्ल्यू, मिनी डीवीडी+आरडब्ल्यू आदि। आगे यह नोट किया गया था कि सूचना की अनुमति केवल रिर्टन को दी जाये बल्कि रि–रिर्टन को भी कई बार दी जा चुकी है, डीवीडी–आरडब्ल्यू और डीवीडी+आरडब्ल्यू (रि–राइटेबल) डिस्क निर्माण डीवीडी–आर और डीवीडी+आर के निर्माण की तुलना में अधिक जटिल है। रि–राइटेबल डिस्क का रिकॉर्डेबल साईड डिस्क के अंदर से बाहर तक के डायमीटर वाले एक सैलो स्प्राइल गुरू के साथ पोलीकारबोनेट प्लास्टिक सब–स्ट्रेक से शुरू होकर अनेक लेयरों का उपयोग करता है।

32. वर्तमान जांच अंतिम जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद सामान्यतया मूल जांच में दिये गये उत्पादों के समान रहना चाहिए। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस प्राधिकारी से डीवीडी–आरडब्ल्यू को वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर निकालने तथा इस समीक्षा को केवल डीवीडी–आर के संबद्ध में ही किये जाने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग द्वारा वर्तमान जांच से डीवीडी–आरडब्ल्यू को बाहर निकालने के लिए दिए गए मूल तर्क ये हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन का प्रायः 99.9 प्रतिशत डीवीडी–आर से ही होता है और डीवीडी–आर एवं डीवीडी–आरडब्ल्यू के बीच मूल्य में अंतर होने के कारण पाटन और हानि के मानदंड परिवर्तित हो रहे हैं। घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि डीवीडी–आर क्षेत्र को हानि की संभावना बहुत अधिक है जबकि मूल्य में अंतर के कारण डीवीडी–आरडब्ल्यू के आयात से घरेलू उद्योग को अत्यधिक हानि नहीं होगी।

33. यह प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध का विरोध नहीं किया है तथापि इस प्राधिकारी ने किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार की ओर से किसी अनुरोध/दृष्टिकोण के अभाव में इस विषय पर मौजूदा न्यायिक विवेक के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच की है।

34. उत्पादन प्रक्रिया तथा दोनों उत्पादों के उपयोग की जांच से स्पष्ट होता है कि यद्यपि दोनों डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू रिकॉर्डेबल डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क की व्यापक परिभाषा में आते हैं फिर भी वे वास्तव में दो अलग–अलग प्रकार के उत्पाद हैं, चाहे उनके निर्माण की प्रक्रिया का मामला हो और अंतिम उपयोग का मामला हो। डीवीडी–आरडब्ल्यू, डीवीडी+आरडब्ल्यू का निर्माण डीवीडी–आर और डीवीडी+आर (रिकॉर्डेबल) की तुलना में अधिक जटिल है ताकि ये सूचना केवल लिखी ही न जाये बल्कि अनेक बार पुनः लिखी जा सके और इसलिए उनकी लागत और मूल्य का ढांचा ही अलग–अलग है। डीवीडी–आर का उपयोग प्राथमिक रूप से स्थाई आंकड़ा भंडारण के लिए किया जाता है और उन्हें सॉफ्टवेयर और मनोरंजन क्षेत्र को बेचा जाता है जिसमें मूवी की रिकॉर्डिंग, फोटो, हास्पिटल, रेंटल, गेम्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन क्षेत्रों के लिए एक बार रिकॉर्डिंग और अनेक बार उपयोग शामिल है जबकि डीवीडी–आरडब्ल्यू का उपयोग आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण के लिए किया जाता है और यह अनेक बार इन आंकड़ों का अंतरण करता है। डीवीडी–आर के उपभोक्ता डीवीडी–आरडब्ल्यू का उपयोग इस कारण से नहीं करेंगे कि डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू के बीच मूल्य में बहुत अधिक अंतर है। ये उत्पाद परस्पर प्रतिस्थापन योग्य नहीं हैं। इन कारणों से डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू को उसी व्यापक उत्पादक श्रेणी में उत्पाद प्रकारों की तुलना में दो अलग–अलग उत्पाद के रूप में माना गया

है। हालांकि घरेलू उद्योग के अनुरोध पर दोनों उत्पादों को मूल जांच में दो उत्पाद प्रकारों के रूप में शामिल किया गया था। अतः प्रश्न यह होता है कि क्या एक उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अंतिम समीक्षा में हटाया जा सकता है? इस मामले की जांच इस विषय के संबंध में मौजूदा प्रथाओं और विवेकपूर्ण न्याय के संबंध में किया गया है।

35. ईसी सालमोन मामले में (पेनल रिपोर्ट– यूरोपियन समुदाय– नार्वे से सालमोन पर बनाये गये पाटनरोधी उपाय– डब्ल्यूटी/डी5337/आर 16 नवंबर, 2007), नार्वे ने तर्क दिया कि विचाराधीन उत्पाद की आंतरिक समानता पाटनरोधी करार के अंतर्गत अनिवार्य है। नार्वे ने कहा कि यदि कारों और साईकिलों को किसी जांच में एक उत्पाद के रूप में माना जाता है तो यह पता नहीं चल पायेगा कि क्या कुछ अथवा सभी उत्पाद पाटित किये जाते हैं। पैनल ने इस तर्क को अस्वीकार किये जाते समय यह नोट किया "कि हम नार्वे के इन उदाहरणों से प्रभावित नहीं हैं। उत्पादों को किसी एक मात्र विचाराधीन उत्पाद के समूह में रखने की पूरी जांच में अपने जोखिम हैं और मोटे तौर पर इस प्रकार से समूह बनाने के जोखिम और अधिक हो सकते हैं और उससे जांच प्राधिकारी के संगत सूचना के संग्रहण और मूल्यांकन तथा पाटनरोधी करार के अनुरूप निर्धारण करने का कार्य और जटिल हो जायेगा।"

36. सालमोन केस में पैनल की उपर्युक्त टिप्पणियां यद्यपि उपर्युक्त प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देता है, इसका यह अर्थ हो सकता है कि विचारधीन उत्पाद को किसी जांच में विभिन्न उत्पाद प्रकारों को शामिल करते हुए परिभाषित किया जाता है तो बाद की समीक्षाओं में भी उत्पाद प्रकारों के उसी समुच्चय पर आधारित उत्पाद पर शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की जांच करने की जरूरत भी होगी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बदल दिया है। लेकिन संदर्भित मामलों की जांच दर्शाती है कि वे समीक्षाएं अलग–अलग संदर्भों में थीं। वर्तमान मामले में मूल जांच में डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू को दो अलग–अलग उत्पाद प्रकार माना गया था और पाटन मार्जिन एक क्षति मार्जिन का निर्धारण सम्पूर्ण उत्पाद के रूप में किया गया था। अतः किसी उत्पाद प्रकार को हटाकर इस उत्पाद में किसी प्रकार के परिवर्तन से पाटन और हानि निर्धारिण में कठिनाई आ सकती है जैसा कि स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा कहा गया है। अतः ये उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करना उपयुक्त नहीं होगा तथा तदनुसार यह प्राधिकारी मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में इस समीक्षा जांच में पाटन और हानि की संभावना और पाटन, हानि दोनों की जांच करना आवश्यक समझता है। अतः विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू दोनों शामिल हैं जैसा कि मूल जांच में किया गया है।

37. यह प्राधिकारी आगे यह नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित सामानों का सदृश्य वस्तु है। घरेलू उत्पादों द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद इन वस्तुओं के भौतिक और रासायनिक लक्षणों, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, इनके कार्य एवं उपयोग, उत्पाद का विनिर्देशन, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन और शुल्क का वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। यह दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित सामान इस नियमावली के के संबद्ध में समान वस्तु हैं।

38. निश्चित पाटनरोधी शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क शीर्ष 85234160 और 85234940 के अंतर्गत दिनांक जनवरी/22/2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 8/2009–सीमा शुल्क के माध्यम से आरोपित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के सीमा शुल्क शीर्ष 85234160 और 85234940 के अंतर्गत वर्गीकृत है। हालांकि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह जांच के क्षेत्र में बाध्यकारी नहीं है।

39. वर्तमान एसएसआर जांच में घरेलू उद्योग के याचिकाकर्ता को विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने की क्षमता है।

## घ. घरेलू उद्योग एवं उसका स्थान

### घ. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इस देश में विचाराधीन उत्पाद के चार अन्य ज्ञात उत्पादक नामतः मैसर्स यूरो मल्टीविजन लिमिटेड, मैसर्स जूपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, मैसर्स नेक्स्ट स्टार डिजिटल और मैसर्स शांति प्लास्ट हैं।

ii. हालांकि, याचिकाकर्ता, मैसर्स मोजर बेयर इण्डिया लिमि. का पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं का भारतीय उत्पादन में 86 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और इसलिए यह घरेलू उद्योग को बनाता है और इस जांच के प्रयोजन से स्थाई आवश्यकता को संतुष्ट करता है।

### घ. 2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

41. निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

42. मैसर्स यूरो मल्टीविजन लिमिटेड ने इस याचिका का समर्थन किया है लेकिन संगत प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

**घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में संबद्ध वस्तुओं के अन्य ज्ञात उत्पादक नामतः : मैसर्स यूरो मल्टीविजन लिमिटेड, मैसर्स जूपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, मैसर्स नेक्स्ट स्टार डिजिटल और मैसर्स शांति प्लास्ट हैं। मैसर्स यूरो मल्टीविजन लिमिटेड ने याचिका का समर्थन किया है। मैसर्स जूपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, मैसर्स नेक्स्ट स्टार डिजिटल और मैसर्स शांति प्लास्ट से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान जांच में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। आवेदक उत्पादक का उत्पादन संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और इसलिए आवेदक पाटनरोधी नियमावली के अनुसार शब्द के अर्थ के अनुसार घरेलू उद्योग में आता है।

**ङ वर्तमान पाटन का निर्धारण और पाटन के जारी रहने अथवा बार–बार होने की संभावना**

**ङ 1 कानूनी स्थिति**

44. सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ए (5) में यह प्रावधान है कि :–

*"इस धारा के अंतर्गत आरोपित पाटनरोधी शुल्क यदि पहले इसे निरस्त नहीं किया गया हो, ऐसे आरोपण की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा :*

*बशर्ते कि यदि केंद्रीय सरकार की किसी समीक्षा में यह मत हो कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति जारी रह सकती है अथवा बार–बार होने की संभावना है तब यह समय–समय पर ऐसे आरोपण की अवधि को अगले पांच वर्षों की अवधि तक बढ़ा सकता है और ऐसी आगे की अवधि इसके विस्तार के आदेश की तिथि से लागू होगी;*

*आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां पांच वर्षों की उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के पूर्व शुरू की गई समीक्षा ऐसी समाप्ति की तिथि के पूर्व समाप्त नहीं हुई है, तब पाटनरोधी शुल्क एक वर्ष से अधिक अवधि तक ऐसी समीक्षा के परिणाम के लंबित रहने तक लागू रह सकता है।"*

45. तदनुसार एक अंतिम समीक्षा जांच को इस बात की जांच करना है कि :

- क्या पाटन पाटनरोधी शुल्क के आरोपण के बाद भी जारी रहता है, और यदि हां तो क्या इसे जारी रहने की संभावना है;
- उन मामलों में जहां पाटन जारी नहीं था, क्या पाटन की पुनरावृत्ति पाटनरोधी शुल्क को निरस्त किये जाने की स्थिति में होगी;
- क्या घरेलू उद्योग को व्यापक हानि होती रही और यदि हां तो क्या घरेलू उद्योग को हानि जारी रहने की संभावना है, यदि शुल्कों को निरस्त कर दिया गया हो;
- उन मामलों में जहां घरेलू उद्योग को सतत हानि नहीं हुई है, क्या घरेलू उद्योग को हानि पाटनरोधी शुल्कों के निरस्त किये जाने की स्थिति में फिर होने की संभावना है।

46. अतः प्राधिकारी को सर्वप्रथम इस बात की जांच करने के लिए कार्रवाई करनी है कि क्या संबद्ध वस्तुओं का पाटन संबद्ध देशों से होना जारी है और क्या यदि करों को निरस्त कर दिया जाता है तो पाटन हानि की जांच और हानि के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के लिए कार्रवाई करनी होगी।

**ङ 2 पाटन जारी रहने की जांच और सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

**ङ 2.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

47. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन के गैर–बाजार अर्थव्यवस्था होने के कारण, उस देश में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण उस देश में प्रचलित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसका निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ यह तर्क दिया है कि :

i. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है यदि उत्तर देने वाले निर्यातक/कम्पनी और इसका समूह कुल मिलाकर एक दावा नहीं करते हैं। वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए कोई दावा नहीं है। चीन के किसी निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया।

ii. मूल जांच में, प्राधिकारी ने चीन के किसी निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया था और यह संशोधित उक्त नियमावली के अनुबंध–1 के पैरा 7 और 8 के संबंध में उचित लाभ के साथ चीन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुमानित लागत पर आधारित निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया था। प्राधिकारी को वर्तमान जांच में जन. गण के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने हेतु उसी कार्यविधि को अपनाने पर विचार करना चाहिए।

iii. चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में मूल्य तथा (ख) बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चे और लाभ सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर किया जा सकता है ।

iv. चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया जाना चाहिए और चीन में सामान्य मूल्य कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर विचार करते हुए और घरेलू उद्योग सहित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार उपभोग मानदंडों और परिवर्तन लागत को अपनाते हुए किया जाये।

v. जहां तक हाँग काँग और चीनी ताईपेई का प्रश्न है, उन देशों में सामान्य मूल्य के बारे में कोई सूचना देते हुए किसी निर्यातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई उत्तर नहीं आया है। इन देशों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में इन देशों के लिए सामान्य मूल्य को भी कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर विचार करते हुए और घरेलू उद्योग सहित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार उपभोग मानदंडों और परिवर्तन लागत को अपनाते हुए किया जाये।

### ङ 2.2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

48. किसी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

### ङ 2.3 बाजार अर्थव्यवस्था दावों की जांच और चीन जन. गण में सामान्य मूल्य का निर्धारण

49. जांच आरंभ करने के चरण में प्राधिकारी ने इस पूर्वानुमान के साथ कार्यवाही की कि चीन जन. गण. एक बाजार अर्थव्यवस्था देश है। जांच शुरू करने पर इस प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों एवं निर्यातकों को जांच आरंभ करने की सूचना का उत्तर देने और उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के निर्धारण से संबंधित सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर–बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन की सरकार को यह भी अनुरोध किया कि वह चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने के सलाह दे। हालांकि चीन के किसी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत वर्षों में चीन जन. गण को भारत तथा अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांच में गैर–बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है।

50. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए तथा चीन की किसी निर्यातक कम्पनी द्वारा गैर–बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान का खंडन नहीं किए जाने पर, यह प्राधिकारी चीन जन. गण को वर्तमान जांच में गैर–बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना उपयुक्त समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुबंध। के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करने का प्रस्ताव करते हैं।

51. पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध I का पैरा 7 में प्रावधान है कि—

*"गैर–बाजार अर्थव्यवस्था देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण मूल्य अथवा तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में निर्धारित मूल्य अथवा तीसरे देश से अन्य देशों जिसमें भारत शामिल है, को मूल्य अथवा जहां यह संभव नहीं हो अथवा किसी अन्य उचित आधार जिसमें विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा देय मूल्य सहित यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए निर्धारित किया जायेगा। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश का चयन संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद के स्तर को ध्यान में रखकर उचित तरीके से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर भी उचित विचार किया जायेगा। यह विचार निर्धारित समय सीमा में किया जायेगा और जहां उपयुक्त हो किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी वैसे मामले में की गई जांच को ध्यान में रखा जायेगा। जांच के पक्षकारों को बिना किसी अनुचित विलंब के तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था के उपर्युक्त चयन के बारे में सूचित किया जायेगा और उनकी टिप्पणियों में उन्हें उचित समयाविधि दी जायेगी।*

52. चूंकि चीन जन. गण. के सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अन्य उचित सूचना नहीं दी गई है अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उचित समायोजन के बाद भारत में कार्यक्षम घरेलू उत्पादक के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने अपने सतत् प्रथा के अनुसार उचित लाभ का भी प्रावधान किया है। तदनुसार चीन के निर्यातकों के लिए नियत सामान्य मूल्य का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

| नियत सामान्य मूल्य | डीवीडी–आर | डीवीडी–आरडब्ल्यू |
|---|---|---|
| | रु./प्रति नग | रु./प्रति नग |
| अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार कच्चे माल की कीमत | **** | **** |
| उपभोक्ता | **** | **** |
| ब्याज सहित एसजीए | **** | **** |
| लाभ | **** | **** |
| सीएनवी (रू./नग) | **** | **** |
| सीएनवी प्रति अमरीकी डॉलर प्रति हजार नग | **** | **** |
| विनिमय दर अमरीकी डॉलर = 54.65 भारतीय रुपए | | |

53. तदनुसार डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू के लिए चीन हेतु नियत सामान्य मूल्य का निर्धारण क्रमशः अमरीकी डॉलर **** और अमरीकी डॉलर **** प्रति हजार नग के रूप में किया गया है।

### ङ 3 हॉग कॉग और ताईवान में सामान्य मूल्य का निर्धारण

54. चूंकि हाँग काँग और चीनी ताईपेई में किसी उत्पादक अथवा निर्यात ने उन देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है अतः यह अधिकारी घरेलू उद्योग की याचिका में निहित सूचना सहित सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन देशों में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए मजबूर है। तदनुसार प्राधिकारी ने उचित लाभ का विधिवत प्रावधान के साथ सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में प्रमुख कच्चे मालों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के लिए उचित समायोजन करने के बाद भारत में कार्यक्षम घरेलू उत्पादक के उत्पादन की लागत के आधार पर हाँग काँग और चीनी ताईपेई में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। तदनुसार हाँग काँग और चीनी ताईपेई में संबद्ध वस्तुओं के प्रस्तावित सामान्य मूल्यों का निर्धारण डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू के लिए क्रमशः अमरीकी डॉलर **** और अमरीकी डॉलर **** प्रति हजार नग के रूप में किया गया है।

### ङ 4 निर्यात मूल्य

55. चूंकि संबद्ध देशों के किसी निर्यातकों ने कोई सूचना नहीं दी है जिसका उपयोग निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए किया जा सकता है, इस प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों के अनुसार भारत में आयात के सीआईएफ मूल्यों के आधार पर संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है।

56. यह प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों के अनुसार पीओआई के दौरान हाँग काँग से डीवीडी–आर का कोई आयात नहीं हुआ है। पीओआई के दौरान चीन जन. गण. और चीनी ताईपेई से डीवीडी–आर का आयात बहुत कम हुआ है। डीजीसीआई एंड एस आंकड़े सूचित करते हैं कि केवल 1.56 लाख नग डीवीडी–आर का आयात चीन जन. गण. से और 10,000 नग डीवीडी–आर का आयात चीनी ताईपेई से किया गया था। जहां डीवीडी–आरडब्ल्यू का प्रश्न है, पुनः हाँग काँग से कोई आयात नहीं हुआ है और डीजीसीआई एंड एस आंकड़े बताते हैं कि केवल 2.71 लाख नग का आयात चीन जन. गण से और 92,000 नग आयात चीनी ताईपेई से किया गया था। किसी अन्य विश्वसनीय सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और चीनी ताईपेई से निर्यात मूल्यों का आंकलन करने के लिए इन कारोबारों पर विश्वास किया है। हाँग काँग के मामले में किसी निर्यात मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

57. चीन जन. गण. चीनी ताईपेई से निर्यात मूल्यों की गणना एक्स वर्क स्तर पर निर्यात मूल्यों का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों में अलग–अलग निर्यातकों से ठोस सूचना के अभाव में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में क्लीयेरिंग प्रभार और बैंक प्रभार, निर्यात के देश में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार, कमीशन, अंतर्देशीय ढुलाई के लिए लागू समायोजनों के साथ डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों से सीआईएफ कीमतों के आधार पर की गई है। तदनुसार इन देशों से निर्यात मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :

| विवरण | इकाई | चीन जन. गण. | | ताईवान | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | डीवीडी–आर | डीवीडी–आरडब्ल्यू | डीवीडी–आर | डीवीडी–आरडब्ल्यू |
| आयात की मात्रा | लाख नग | | | | |
| आयात का सीआईएफ मूल्य | लाख रुपए | | 123.30 | | 34.25 |
| सीआईएफ मूल्य | रु./नग | | 45.50 | | 37.07 |
| समुद्री भाड़ा | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| समुद्री बीमा | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| एफओबी निर्यात मूल्य | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| पत्तन प्रभार @ 0.50 % | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| अंतर्देशीय भाड़ा @ 0.50 % | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| रखरखाव प्रभार @ 1% | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| क्लीयेरिंग चार्जेज @ 1% | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| बैंक प्रभार | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| वेट @ 4% | रु./नग | **** | **** | - | - |
| निवल निर्यात मूल्य | रु./नग | | 41.31 | | 35.02 |
| विनिमय दर-अमरीकी डॉलर | भारतीय रुपए | | 54.65 | 54.65 | 54.65 |
| निवल निर्यात मूल्य | अमरीकी डॉलर प्रति हजार | | 755.85 | 101.97 | 640.80 |

**ई. 5. पाटन मार्जिन**

58. ऊपर दर्शायी गयी पद्धति के अनुसार संबद्ध देशों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य की तुलना संबद्ध देशों में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने हेतु पूर्ववर्ती पैराग्राफ में इस प्रकार निर्धारित एक्स कारखाना स्तर पर संबंधित निर्यात मूल्य के साथ तुलना की गई है जो नीचे दिया गया है :

| डीवीडी–आर | पीआरसी | हाँगकाँग | ताईवान |
|---|---|---|---|
| नियत सामान्य मूल्य (अमरीकी डॉलर) प्रति हजार नग | **** | **** | **** |
| भारत में एक्स–फैक्ट्री निर्यात मूल्य (अमरीकी डॉलर) प्रति हजार नग | 62.08 | - | 101.97 |
| पाटन मार्जिन (अमरीकी डॉलर) प्रति हजार नग | **** | **** | **** |
| पाटन मार्जिन (%) | **** | **** | **** |
| पाटन मार्जिन (रेंज %) | 100-120% | | 25-35% |
| **डीवीडी–आरडब्ल्यू** | पीआरसी | हाँगकाँग | ताईवान |
| नियत सामान्य मूल्य (अमरीकी डॉलर) प्रति हजार नग | **** | **** | **** |
| भारत में एक्स–फैक्ट्री निर्यात मूल्य (अमरीकी डॉलर) प्रति हजार नग | 755.85 | - | 640.80 |
| पाटन मार्जिन (अमरीकी डॉलर) प्रति हजार नग | (****) | - | (****) |
| पाटन मार्जिन (%) | (****%) | - | (****%) |
| पाटन मार्जिन (रेंज %) | (60-70%) | | (50-60%) |
| विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन | | | |
| भारित औसत पाटन मार्जिन (अमरीकी डॉलर) प्रति हजार नग | (****) | | (****) |
| % | (**) | | (**) |
| पाटन मार्जिन (रेंज %) | (10-20%) | | (50-60%) |

59. उपर्युक्त आकलन दर्शाता है कि जबकि डीवीडी–आर पाटित मूल्यों पर चीन जन. गण. और चीनी ताईपेई से भारतीय बाजार में आता रहा, डीवीडी–आरडब्ल्यू अपाटित मूल्यों भारतीय बाजार में आ रहा है। कुल मिलाकर उत्पाद के लिए समग्र पाटन मार्जिन ऋणात्मक है। तथापि, जैसा कि पहले नोट किया गया है, संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा पीओआई के दौरान कम रहने के कारण और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि शुल्क इस अवधि के दौरान लागू था, ऊपर परिकलित पाटन मार्जिन शुल्कों के निरस्त किये जाने पर संभावित परिदृश्य की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अतः प्राधिकारी ने बाद के पैराग्राफ में संबंधित वस्तुओं के पाटन को जारी रखने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

**च. पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना**

**च. 1 घरेलू उद्योग के दृष्टिकोण**

60. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस समीक्षा में जांच के अधीन देशों के अलावा विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन का इतिहास है। 2009 में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर निश्चित शुल्क के आरोपण के बाद, ये वस्तु पाटित मूल्यों पर कई अन्य देशों से आयात किया जाने लगा और इस प्राधिकारी ने मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल (डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू) के आयात के विरुद्ध अलग जांच की और मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के आरोपण की सिफारिश की। निश्चित पाटनरोधी शुल्क 28 सितंबर, 2010 के अधिसूचना के माध्यम से आरोपित किए गए। तत्पश्चात इस प्राधिकारी ने मध्यावधि समीक्षा की जिसमें इस शुल्क को वियतनाम से संबद्ध वस्तुओं के आयात के विरुद्ध बढ़ाया गया था। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 31 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना के माध्यम से बढ़े हुए शुल्क को आरोपित किया।

61. यह तर्क दिया गया है कि चीन डीवीडी के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक बना हुआ है जो विश्व बाजार में निर्यात की उनकी मात्रा से स्पष्ट है उनकी क्षमता और उत्पादन चीन में घरेलू मांग से बहुत अधिक है। 2012–13 में चीन ने विश्व बाजार में लगभग 2337.90 मिलियन नग डिस्क का निर्यात किया। वे मूल्य जिन पर विभिन्न बाजारों में इनका निर्यात किया जा रहा है स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यदि शुल्कों को नहीं हटाया जाता है तो पाटन जारी रहेगा अथवा और अधिक होगा। ताईवान भी विश्व बाजार में डीवीडी का सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बना हुआ है।

**विश्व बाजार में 2012–13 के दौरान चीन द्वारा डीवीडी का निर्यात**

| | डीवीडीआर | | | डीवीडीआर डब्ल्यू | | | डीवीडीआर + डीवीडी आर डब्ल्यू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शीर्ष देश | कुल मात्रा | कुल मूल्य (अमरीकी डॉलर) | औसत मूल्य अमरीकी डॉलर प्रति हजार | कुल मात्रा | कुल मूल्य (अमरीकी डॉलर) | औसत मूल्य अमरीकी डॉलर प्रति हजार | कुल मात्रा | कुल मूल्य (अमरीकी डॉलर) | औसत मूल्य अमरीकी डॉलर प्रति हजार |
| **चीन का कुल निर्यात** | **2281523710** | **227640705** | **99.78** | **56381158** | **13950436** | **247.43** | **2337904868** | **241591141** | **103.34** |
| यूनाइटेड स्टेट्स | 312731248 | 32482841 | 103.87 | 937275 | 238934 | 254.92 | 313668523 | 32721775 | 104.32 |
| ब्राजील | 300821245 | 29825997 | 99.15 | 6442723 | 1599651 | 248.29 | 307263968 | 31425648 | 102.28 |
| म्यांमार | 200933450 | 19444786 | 96.77 | 100000 | 26000 | 260.00 | 201033450 | 19470786 | 96.85 |
| नाइजीरिया | 147778381 | 13985670 | 94.64 | | | | 147778381 | 13985670 | 94.64 |
| चिली | 135994796 | 13527776 | 99.47 | 1759800 | 435766 | 247.62 | 137754596 | 13963542 | 101.37 |
| नीदरलैंड | 130150000 | 13777977 | 105.86 | 919800 | 220823 | 240.08 | 131069800 | 13998800 | 106.80 |
| पाकिस्तान | 71326136 | 7159586 | 100.38 | 1129200 | 259824 | 230.10 | 72455336 | 7419410 | 102.40 |
| पनामा | 63542400 | 6481785 | 102.01 | 60000 | 14780 | 246.33 | 63602400 | 6496565 | 102.14 |
| साउथ अफ्रीका | 56795158 | 5812963 | 102.35 | 970275 | 239277 | 246.61 | 57765433 | 6052240 | 104.77 |
| यूनाइटेड किंगडम | 54526082 | 5568245 | 102.12 | 800840 | 202589 | 252.97 | 55326922 | 5770834 | 104.30 |
| किरगिजिया | 46312500 | 4695869 | 101.40 | 5946970 | 1445659 | 243.09 | 52259470 | 6141528 | 117.52 |
| एक्वाडर | 52128700 | 5240666 | 100.53 | | | | 52128700 | 5240666 | 100.53 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्या | 38654820 | 3802405 | 98.37 | 1080000 | 246000 | 227.78 | 39734820 | 4048405 | 101.89 |
| वियतनाम | 28092400 | 2715148 | 96.65 | 8961025 | 2151038 | 240.04 | 37053425 | 4866186 | 131.33 |
| ताईवान | 33912700 | 3185276 | 93.93 | 18424 | 4583 | 248.75 | 33931124 | 3189859 | 94.01 |
| बेनिन | 32734656 | 3025229 | 92.42 | | | | 32734656 | 3025229 | 92.42 |
| वेनेजुएला | 31102115 | 2991852 | 96.19 | | | | 31102115 | 2991852 | 96.19 |
| फिलिपींस | 31048200 | 3056309 | 98.44 | | | | 31048200 | 3056309 | 98.44 |
| हाँग काँग | 30316400 | 2932563 | 96.73 | 633000 | 150418 | 237.63 | 30949400 | 3082981 | 99.61 |
| मैक्सिको | 29289000 | 2878442 | 98.28 | | | | 29289000 | 2878442 | 98.28 |
| उरुग्वे | 28233400 | 3081005 | 109.13 | | | | 28233400 | 3081005 | 109.13 |
| श्रीलंका | 22264480 | 2186406 | 98.20 | 1040320 | 262406 | 252.24 | 23304800 | 2448812 | 105.08 |
| मलेशिया | 20123638 | 1972862 | 98.04 | 2959900 | 715076 | 241.59 | 23083538 | 2687938 | 116.44 |
| पोलैण्ड | 20415200 | 1989325 | 97.44 | 214200 | 50725 | 236.81 | 20629400 | 2040050 | 98.89 |
| जर्मनी | 19372300 | 2007793 | 103.64 | 596470 | 154222 | 258.56 | 19968770 | 2162015 | 108.27 |
| तजाकिस्तान | 19520944 | 2037718 | 104.39 | 258000 | 65400 | 253.49 | 19778944 | 2103118 | 106.33 |
| यूनाइटेड अरब अमीरात | 18371100 | 1799457 | 97.95 | 2000 | 480 | 240.00 | 18373100 | 1799937 | 97.97 |
| उक्रेन | 17768760 | 1742725 | 98.08 | | | | 17768760 | 1742725 | 98.08 |

आंकड़े के स्रोत : चीन कस्टम्स आंकड़े

62. घरेलू उद्योग द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि रिटेक विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात प्रमुख निर्यातकों में से एक है जिसकी ताईवान, चीन, वियतनाम में उत्पादन सुविधाएं हैं। पाटनरोधी शुल्क के आरोपण के बाद और ताईवान से आयात पर पाटनरोधी शुल्क से बचने के उद्देश्य से, रिटेक ने वियतनाम में कुछ निर्माण सुविधाएं स्थापित की और वियतनाम से पाटन करना शुरू किया। जब ताईवान से आयात के संबंध में जांच की जा रही थी तब रिटेक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया। हालांकि जब निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वियतनाम के संबंध में जांच शुरू की तब रिटेक ने उत्तर दिया और जांच में पूर्णरूप से भाग लिया। पाटनरोधी शुल्क की बहुत कम मात्रा वियतनाम से आयात के संबंध में रिटेक पर आरोपित किया गया था। कम्पनी ने वियतनाम से पाटन तेज कर दिया और वियतनाम से निर्यात करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान चीन और ताईवान से आयात की मात्रा बहुत कम रही है। घरेलू उद्योग ने सघन पाटन को देखते हुए वियतनाम से आयात के संबंध में समीक्षा हेतु याचिका दायर की। कम्पनी ने मध्यावधि समीक्षा का कोई उत्तर नहीं दिया। विस्तृत जांच करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी से वियतनाम से आयात पर बढ़े हुए शुल्क आरोपित करने की सिफारिश की जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा ओरापित किया गया था। इन परिस्थितियों में यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क ताईवान और चीन से हटाया जाता है तब कम्पनी ताईवान और चीन जहां भी शुल्क समाप्त किया जायेगा, पाटन करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जिस मूल्य पर कम्पनी वर्तमान पीओआई के दौरान वियतनाम से सामानों का निर्यात कर रही थी, स्पष्ट रूप से उसकी कीमत का सुझाव देती है जिस पर कम्पनी पाटनरोधी शुल्क हटाने की स्थिति में ताईवान और चीन से पाटन करेगी।

63. हाँग काँग के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यद्यपि जांच के अंतर्गत की अवधि के दौरान हाँग काँग से कोई आयात नहीं हुआ है तथापि हाँग काँग से बार—बार पाटन किये जाने की प्रबल संभावना है। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि हाँग काँग में पूर्ण उत्पादन सुविधा नहीं है तथापि चीन के सीमा शुल्क के आंकड़े दर्शाते हैं कि इस उत्पाद का आयात चीन जन. गण से हाँग काँग में पर्याप्त मात्रा में चीन में अनुमानित सामान्य मूल्य से बहुत कम कीमत पर किया जा रहा है।

**चीन जन. गण. से हाँग काँग में निर्यात**

| **विवरण** | **इकाई** | **डीवीडी—आर** | **डीवीडी—आरडब्ल्यू** |
|---|---|---|---|
| निर्यात | नग | 21,044,200 | 3,00,000 |
| निर्यात मूल्य | अमरीकी डॉलर प्रति हजार नग | 93.25 | 224.82 |

64. घरेलू उद्योग का तर्क है कि हाँग काँग को निर्यात की मात्रा से यह स्पष्ट है कि चीन से इन आयातों का उद्देश्य आगे निर्यात करना है। यह मात्रा इतनी अधिक है कि इसका उपभोग हाँग काँग में उपभोक्ताओं द्वारा नहीं किया जा सकता है — और अधिक इस बात देखते हुए कि इस देश के उत्पाद और आकार की प्रकृति छोटी है। हाँग काँग सरकार, जनगणना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि हाँग काँग से कुल इलैक्ट्रॉनिक निर्यात का 95 प्रतिशत का पुनः निर्यात हुआ। दूसरे शब्दों में इन सामानों का आयात हाँग काँग में किया गया था (बहुत बड़ा हिस्सा चीन का है) और तब उसका निर्यात अन्य देशों में किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट में सभी इलैक्ट्रॉनिक शामिल हैं, यह अनुरोध है कि यह सूचना इस दावे का समर्थन करती है कि सामान्य रूप से इलैक्ट्रॉनिक के मामले में हाँग काँग से पुनः निर्यात की अत्यधिक प्रवृत्ति है। अन्यथा यह सामान्य ज्ञान की बात है कि हाँग काँग विभिन्न देशों से सामानों का आयात करने और विभिन्न देशों को निर्यात करने के लिए एक महत्वपूर्ण

व्यापारिक केन्द्र है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से डीवीडी का चीन से हाँग काँग में आयात को दर्शाते हैं, जिसका बाद में हाँग काँग से अन्य देशों में निर्यात किया गया है। अतः शुल्कों को हटा देने की स्थिति में इन निर्यातों को भारत में किया जायेगा। यह पाटनरोधी शुल्क को हटाने की स्थिति में सघन पाटन की स्पष्ट संभावना सिद्ध करती है।

65. घरेलू उद्योग में आगे यह तर्क दिया है कि डीवीडी पर विगत सभी जांचों ने इन उत्पादों की पर्याप्त पाटन दर्शायी है जिससे वैश्विक उत्पादकों द्वारा पाटन का इतिहास सिद्ध हुआ है।

| क्र.सं. | उत्पादन | पीओआई | देश | पाटन मार्जिन % | एडीडी अमरीकी डॉलर प्रति हजार नग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डीवीडी-1 | अप्रैल 2006 से जून 2007 | चीन जन. गण. | 64.72 | 68.11 - 48.11 |
| | | | हाँग काँग | 62.96 | 66.72 |
| | | | चीनी ताईपई | 63.50 | 45.63 |
| 2 | डीवीडी-2 | अप्रैल 2008 से मार्च 2009 | मलेशिया | 34.05 | 35.92 |
| | | | थाइलैंड | 22.51 | 25.98 |
| | | | वियतनाम | 64.09 | 29.75 - 50.51 |
| 3 | डीवीडी-3 (एमटीआर) | अप्रैल 2011 से मार्च 2012 | वियतनाम | 105-115 | 73.01 |

66. अतः पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने की स्थिति में, इन निर्यातकों को भारत में विचाराधीन उत्पाद को पाटित करने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा जिससे घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निकल जायेगा। घरेलू उद्योग के लिए शेष बाजार अवसर, यदि पाटित आयात से समाप्त कर दिया जाता है, भारतीय उत्पादकों के पास बाजार में बने रहने के लिए भारी घाटे उठाने अथवा अपने संयंत्रों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा।

67. यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादक बहुत अधिक क्षमता बनाए रखते हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आयात आंकड़ों के अनुसार केवल चीन में विचाराधीन उत्पाद के लगभग 178 उत्पादक/ निर्यातक हैं। घरेलू उद्योग ने यह सूचना चीन जन. गण और चीनी ताईपेई में कुछ उत्पादकों की अनुमानित क्षमताओं के आधार पर निम्नलिखित सूचना इस तथ्य को साबित करने के लिए दी है कि इन देशों की अधिक क्षमताओं से हुए इन सामानों को इस शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में सामानों का निर्यात करने में सक्षम होंगे यद्यपि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं दिया गया है:

| क्र.सं. | नाम | क्षमता/उत्पादन (सी/पी) |
|---|---|---|
| **चीन** | | |
| 1. | गुआंगडोंग न्यू फेस लेजर टेकनोलॉजी कं. लिमि. | 100 मिलियन नग प्रति माह (सी) |
| 2. | शंघाई सन्स्ड इलैक्ट्रॉनिक टेकनोलॉजी कं. लिमि. | 300,000 सीडी रोम और 160,000 डीवीडी5, डीवीडी9 और वीसीडी प्रति दिन (पी) |
| 3. | शानतॉउ एस.ई.जेड वो हिंग रेडियो एंड वीडियो कं. लिमि. | 8 मिलियन सीडीआर और 15 मिलियन डीवीडीआर प्रतिमाह।<br>16 ओप्टिक डिस्क उत्पादन लाईन। |
| 4. | गुआंगझिंग ट्रेनिग ग्रुप क. (मकाओ) | 5,000,000 नग प्रति माह |
| 5. | गुआंगझाउ बनाना डिजिटल कम्पनी लिमिटेड | 140,000,000 नग/वर्ष (पी) |
| 6 | शेनजेन गुआनयू ओप्टो इलैक्ट्रॉनिक्स टेकनोलॉजी क., लिमि. | 20 मिलियन नग प्रति माह (पी) |
| 7 | शेनजेन टॉपफोर्ड डेवेलपमेंट लिमिटेड | 20 मिलियन नग (सी) |
| **ताईवान** | | |
| 8 | मिनटेक टेकनोलॉजी क., लिमि. | 500000 नग प्रति माह 1 मिलियन/माह |
| 9 | वानप्रस्थ कॉरपोरेशन | 10 मिलियन अमरीकी डॉलर – 50 मिलियन अमरीकी डॉलर कुल वार्षिक बिक्री मात्रा |
| 10 | ईआई मेजर टेकनोलॉजी क., लिमि. | 50000000 नग/ प्रति माह |
| 11 | मेलोडी टेकनोलॉजी कॉरपो. | 10 मिलियन अमरीकी डॉलर – 50 मिलियन अमरीकी डॉलर कुल वार्षिक बिक्री मात्रा |

68. जहां तक हाँग काँग का प्रश्न है घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि हाँग काँग से निर्यात चीन और ताईवान से संबद्ध वस्तुओं के पुनः निर्यात के अलावा कुछ नहीं है। अतः हाँग काँग पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में चीन और ताईवान से संबद्ध वस्तुओं से आयात की मात्रा हॉग कॉग के द्वारा आगे बढ़ाना तय है।

69. घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि विश्व को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री बहुत अधिक है। संबद्ध देशों में अधिकांश उत्पादक अपने घरेलू बाजारों में बेचने के बजाय विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करते रहे हैं जिसका स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि संबद्ध देशों में इन निर्मित वस्तुओं का निर्यात उन्मुखीकरण हो रहा है। शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में, ये निर्यातक संभवतः पाटित मूल्यों पर भारत में अपना निर्यात बढ़ायेंगे। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए निम्नलिखित सूचना दी है कि सीडी और डीवीडी दोनों के लिए संबद्ध देशों में कुछ प्रमुख निर्यातकों द्वारा कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत इन कम्पनियों के निर्यात उन्मुखीकरण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और यह शुल्क समाप्त किये जाने पर पाटन के पुनः होने का स्पष्ट संकेत है।

*तालिका : निर्यात उन्मुखीकरण*

| नाम | निर्यात प्रतिशत |
|---|---|
| **चीन** | |
| शानतॉउ एस.ई.जेड वो हिंग रेडियो एंड वीडियो कं. लिमि. | 98% |
| गुआंगडोंग यूईडॉग मेगनेटोइलेक्ट्रिक क., लिमि. | 80% |
| शाबघाई सन्स्ड इलैक्ट्रॉनिक्स टेकनोलॉजी क. लिमि. | 21-30% |
| गुआंगझिंग ट्रेडिंग ग्रुप क. (मकाओ) | 61-70% |
| गुआंगझाउ बनाना डिजिटल कम्पनी लिमिटेड | 41-50% |
| **ताईवान** | |
| मिनटेक टेकनोलॉजी क., लिमि. | 91-100% |
| वानप्रस्थ कॉरपोरेशन | 91-100% |
| ईआई मेजर टेकनोलॉजी क., लिमि. | 71-80% |
| मेलोडी टेकनोलॉजी कॉरपो. | 61-70% |

70. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद के आयात की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाये तो यह स्पष्ट रूप से दर्शायेगा कि विगत में विभिन्न देशों द्वारा पाटन की सतत प्रथा रही है। यदि पाटनरोधी शुल्क देशों के एक समूह पर लगाया जाता है तब पाटन देशों के दूसरे समूह द्वारा शुरू हो जायेगा। निर्यात में इस परिवर्तन से स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि ये आयातक पाटन का सहारा जानबूझकर ले रहे हैं और इसलिए शुल्क हटाये जाने पर पाटन की पुनरावृत्ति होगी।

71. घरेलू उद्योग का आगे तर्क यह है कि हानि जांच अवधि के दौरान यूएई से संबद्ध वस्तुओं का पर्याप्त आयात हुआ है और इन आयातों के विरुद्ध कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं है। यूएई में उत्पादन की क्षमता और उपभोग पर विचार करने के बाद यह दृष्टिगत होता है कि यूएई से निर्यात यूएई में आयात किये गये वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देता है। याचिकाकर्ता ने आगे यह आरोप लगाया है कि यूएई बाजार में प्रवेश करने वाले समग्र आयात चीनी मूल के हैं जिसका भारत में पुनः निर्यात किया जा रहा है। संभवतः इन वस्तुओं को पुनः प्रसारित करके ऐसा किया जा रहा है और इससे यह स्पष्ट होता है कि चीन के निर्यातक पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से बचने के उद्देश्य से यूएई के माध्यम से अपने निर्यात कर रहे हैं जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

| | मात्रा (नग) | मूल्य (अमरीकी डॉलर) |
|---|---|---|
| चीन से यूएई को निर्यात –2012 | 18,371,100 | 1,799,457 |
| यूएई से भारत में निर्यात–2012 | 17,836,847 | 2,173,853 |

**च. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण**

72. पाटन को जारी रखने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार की ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन को जारी रखने को पूर्व खंड में यथा रिकार्ड की गई चीन जन. गण. और चीनी ताईपेई डीवीडी–आर आयात के मामले में सिद्ध किया गया है यद्यपि आयात की मात्रा जांच अवधि के दौरान काफी कम हो गई है। यद्यपि जांच अवधि के दौरान हाँग काँग से कोई आयात नहीं हुआ है फिर भी प्राधिकारी द्वारा हाँग काँग पर शुल्क हटाने की स्थिति में संभावित परिदृश्य की जांच करना अपेक्षित है। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग ने एक मामला सिद्ध किया है कि चीन और ताईवान मूल के सामान संभवतः शून्य आयात के आधार पर उस देश के विरुद्ध शुल्क के हटाये जाने पर पाटित मूल्यों पर हाँग काँग के द्वारा भारतीय बाजार में प्रवेश करेंगे। जांच अवधि के दौरान चीन और ताईवान दोनों से संबद्ध वस्तुओं का हाँग काँग में पर्याप्त आयात हुआ है।

74. जहां तक डीवीडी–आरडब्ल्यू का प्रश्न है, यद्यपि जांच अवधि के दौरान आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है फिर भी कोई वर्तमान पाटन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग में स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि डीवीडी–आरडब्ल्यू का आयात वर्तमान में बहुत अधिक मूल्य पर किया जा रहा है और उन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह अनुरोध किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग की अपनी उत्पादन मात्रा डीवीडी–आर के उत्पादन और बिक्री की तुलना में बहुत कम है, अतः डीवीडी–आरडब्ल्यू के आयात से पाटन और हानि के संबंध में उन्हें कोई खतरा नहीं होगा और इसलिए इस उत्पाद के विरुद्ध जांच बंद की जाये।

75. इस प्राधिकारी के समकक्ष उपलब्ध तथ्यों और घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन का इतिहास रहा है और विगत कई जांचों में यह सिद्ध हुआ है कि इस उत्पाद का पाटन किया जा सकता है। यह भी सिद्ध किया गया है कि जबकि विचाराधीन उत्पाद की वैश्विक मांग में गिरावट की प्रवृत्ति है फिर भी चीन और चीनी ताईपेई में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए बहुत अधिक उत्पादन क्षमताएं मौजूद हैं। अतः मांग और आपूर्ति में अत्यधिक अंतर की स्थिति में इसकी प्रबल संभावना है कि इन दोनों देशों के निर्यातक उत्पादन को बनाये रखने और अपने घाटे को कम करने के उद्देश्य से पाटन का सहारा लेंगे। इन देशों में निर्यातकों के निर्यातक उन्मुखीकरण, इन देशों से निर्यात की मात्रा और मूल्य जिस पर इन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है तथा पाटन के विगत इतिहास से भी ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन और चीनी ताईपेई से कुछ देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की मात्रा तथा उन देशों से भारत में निर्यात कुछ ट्रांसशिपमेंट के मुद्दों को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। ये मूल्य उन मूल्यों से तुल्य भी हैं जिन पर इन वस्तुओं का निर्यात भारत में किया जा रहा है। अतः चीन और चीनी ताईपेई पर शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में अत्यधिक संभावना है कि ये सामान पाटित मूल्यों पर संबद्ध देशों से सीधे भारत में भेजे जायेंगे।

76. जहां तक हॉग कॉग का प्रश्न है यह सच है कि हानि की जांच अवधि के दौरान इस देश से संबद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं हुआ है। तथापि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हॉग कॉग के पास अपने क्षेत्र में इन संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की पर्याप्त सुविधा नहीं है परंतु इसने पाटित मूल्यों पर विगत में भारत में अत्यधिक मात्रा में निर्यात किया था। यह संभव है कि हॉग कॉग से विगत में निर्यात की गई वस्तुएं अन्य मूल की थीं जिनका पुनः निर्यात हॉग कॉग से किया जा रहा था क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हॉग कॉग में निर्यात चीन और ताईवान से इस घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार आयात किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हॉग कॉग से निर्यात पर शुल्क हटा दिया जाता है तब यह अत्यधिक संभव है कि चीन और चीनी ताईपेई मूल के वस्तु भारतीय बाजार में पाटित मूल्य पर हॉग कॉग के माध्यम से प्रवेश करना फिर शुरू हो जायेगा।

77. उपर्युक्त को देखते हुए तथा इन तर्कों के विरुद्ध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किये जाने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन संभवतः शुल्क हटाये जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से जारी रहेगा अथवा इसकी पुनरावृत्ति होगी।

## छ. हानि और कारणात्मक संबंध का निर्धारण; और घरेलू उद्योग को हानि जारी रहने अथवा उसके पुनरावृत्ति की संभावना

### छ. 1 कानूनी स्थिति

78. अंतिम समीक्षा जांच में पूर्व के खंडों में यथाउल्लिखित, हानि की जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित की जांच करना अपेक्षित है :

- क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयात के कारण हानि हो रही है और यदि हां तो क्या इन शुल्कों को हटाये जाने पर घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है; अथवा

- उन मामलों में जहां घरेलू उद्योग को सतत् हानि नहीं हुई है, क्या पाटन रोधी शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है।

79. अतः प्राधिकारी ने सर्वप्रथम इस बात की जांच की कि क्या घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण पर्याप्त हानि उठानी पड़ रही है। तत्पश्चात प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से शुल्कों के हटाये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हानि होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की भी जांच की है। घरेलू उद्योग को ठोस हानि की जांच पाटनेरोधी करार की धारा 3 के अंतर्गत तथा पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध।। में यथानिर्धारित तरीके से की गई है।

### छ. 2 घरेलू उद्योग को वर्तमान हानि की जांच तथा कारणात्मक संबंध

### छ. 2. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

80. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ–साथ हानि और कारणात्मक संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

i. कि चीन जन. गण और चीनी ताईपेई से विचाराधीन उत्पाद का सतत् पाटन हुआ है यद्यपि पाटित आयात की मात्रा में वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के फलस्वरूप कमी आई है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया गया तो विचाराधीन उत्पाद का पाटन इन देशों और अधिक होने की संभावना है।

ii. यद्यपि हानि की जांच की अवधि के दौरान हॉग कॉग से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है तथापि वर्तमान शुल्क के अप्रभावी होने की स्थिति में हॉग कॉग से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है क्योंकि हॉग कॉग चीन और ताईवान से विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त मात्रा में आयात करता है जबकि उस देश में इन उत्पादों की उतनी खपत नहीं है।

iii. यद्यपि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री मात्रा में कुछ हद तक सुधार करने की स्थिति में था। तथापि, यह वृद्धि भारत में मांग में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं थी। इसके अलावा घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी मौजूदा अवधि में लाभ कमाने में असमर्थ था जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग पाटन के पिछले कुप्रभावों से अभी तक उबरा नहीं है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से भविष्य में घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

Iv. वर्तमान जांच अवधि में लाभ, निवेश पर आय, मालसूची आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।

V. पाटनरांधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा तो घरेलू उद्योग आयात कीमतों से तुलनीय कीमत पर अपना उत्पाद बेचने के लिए बाध्य होगा। इसका तात्पर्य अत्यधिक वित्तीय घाटे, निवेश पर नकारात्मक आय और भारी नकद घाटे से होगा।

vi. घरेलू उद्योग को अपनी क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक उपयोग करने से वंचित किया गया है।

vii. इस अवधि के दौरान उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई है। बिक्री कीमत में गिरावट उत्पादन लागत में आई गिरावट से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप घाटा हुआ है।

viii. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में खास सुधार प्रदर्शित नहीं हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदतता में गिरावट आई है।

ix. मांग में वृद्धि होने और पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती होने की वजह से घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत इतनी कम कीमतों के बावजूद मालसूची में वृद्धि हुई है।

x. आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को बाजार में कीमत ह्रास का सामना करना पड़ा है। इसकी परिणति पाटनरोधी शुलक समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटे के रूप में होगी।

xi. पाटनरोधी उपाय के अभाव में पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

**छ 2.2. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

81. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

**छ 2.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

82. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने से पूर्व घरेलू उद्योग को हुई किसी मौजूदा क्षति की जांच करने की कार्रवाई शुरू की है।

83. अनुबध–II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में उपबंध है कि "..... किसी क्षति की जांच में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ....." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में होने वाली ऐसी वृद्धि में अन्यथा ह्रास हुआ है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।

84. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुबध–II के अनुसार घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उतपादन, क्षमता, उपयोाग, वित्तीय मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिकी प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे संकेतकों पर विचार किया है।

85. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर सम्बद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रात्मक तथा कीमत प्रभावों और घरेलू उद्योग की कीमतों तथा लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति एवं पाटन तथा क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी की जांच की जा सके।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध वस्तु पर इस समय सम्बद्ध देशों के अलावा मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संभावना के परिदृश्य सहित क्षति एवं कारणात्मक संबंध के निर्धारण हेतु अन्य स्रोतों के साथ–साथ इन सभी देशों से आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव पर विचार किया है। इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध देशों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी निर्धारण किया गया है।

87. तदनुसार, घरेलू उद्योग पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है:

**छ. 4 मात्रात्मक प्रभाव**

**i. आयात की मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्सा**

88. विभिन्न स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमत की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के सौदेवार आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति अवधि के दौरान डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू के आयात के सारांशीकृत आंकड़े निम्नानुसार हैं:

| विवरण | इकाई | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 (जांच अवधि) | 2013–14 (जांचोत्तर अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **डीवीडी–आर** | | | | | | |
| **संबद्ध देश** (पाटित आयात) | लाख नग | 7.20 | 24.16 | 2.04 | 1.66 | 0.75 |
| चीन जन.ग. | लाख नग | 6.60 | 20.27 | 2.04 | 1.56 | 0.75 |
| हांग कांग | लाख नग | - | 2.40 | - | - | - |
| ताइवान | लाख नग | 0.60 | 1.49 | - | 0.10 | - |
| **ऐसे देश जिन पर शुल्क पहले से लागू है** | लाख नग | 729.66 | 336.11 | 271.99 | 121.50 | 43.01 |
| **अन्य देश** | लाख नग | 96.35 | 282.89 | 295.85 | 174.08 | 189.43 |
| यू ए ई | लाख नग | 91.10 | 225.94 | 249.81 | 160.92 | 189.40 |
| यू ए ई से इतर | लाख नग | 5.25 | 56.95 | 46.04 | 13.16 | 0.03 |
| **कुल आयात** | लाख नग | 833.22 | 643.16 | 569.88 | 297.24 | 233.18 |
| **डीवीडी – आर डब्ल्यू** | | | | | | |
| **संबद्ध देश** | लाख नग | 2.48 | 6.66 | 2.47 | 3.63 | 1.67 |
| चीन जन.गण. | लाख नग | 1.55 | 5.67 | 0.48 | 2.71 | 0.29 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हांग कांग | लाख नग | - | - | - | - | - |
| ताइवान | लाख नग | 0.93 | 0.99 | 1.99 | 0.92 | 1.38 |
| **ऐसे देश जिन पर शुल्क पहले से लागू है** | लाख नग | 0.20 | 0.75 | 0.37 | 0.36 | 2.05 |
| अन्य देश | लाख नग | 8.86 | 4.56 | 1.95 | 1.68 | 0.37 |
| यू ए ई | लाख नग | 0.08 | - | - | - | - |
| यू ए ई से इतर | लाख नग | 8.79 | 4.56 | 1.95 | 1.68 | 0.37 |
| **कुल आयात** | लाख नग | 11.54 | 11.97 | 4.80 | 5.67 | 4.09 |
| | | | | | | |
| **डीवीडी – आर +डीवीडी आर डब्ल्यू** | | | | | | |
| **संबद्ध देश** | लाख नग | 9.68 | 30.83 | 4.51 | 5.30 | 2.42 |
| चीन जन.गण. | लाख नग | 8.15 | 25.94 | 2.52 | 4.27 | 1.04 |
| हांग कांग | लाख नग | - | 2.40 | - | - | - |
| ताइवान | लाख नग | 1.53 | 2.49 | 1.99 | 1.03 | 1.38 |
| **ऐसे देश जिन पर शुल्क पहले से लागू है** | लाख नग | 729.86 | 336.86 | 272.36 | 121.86 | 45.06 |
| **अन्य देश** | लाख नग | 105.22 | 287.45 | 297.80 | 175.76 | 189.80 |
| यू ए ई | लाख नग | 91.18 | 225.94 | 249.81 | 160.92 | 189.40 |
| यू ए ई से इतर | लाख नग | 14.04 | 61.51 | 47.99 | 14.84 | 0.40 |
| **कुल आयात** | लाख नग | 844.76 | 655.13 | 574.68 | 302.92 | 237.27 |

89. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि डीवीडी–आर का आयात चीन जन.गण. और चीनी ताइपेई से हुआ है जबकि क्षति जांच अवधि के दौरान हांग कांग से कोई आयात नहीं हुआ है। जहां तक डीवीडी–आर डब्ल्यू का संबंध है, क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. और चीनी ताइपेई से कुछ आयात हुआ है परंतु हांग कांग से कोई आयात नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में विचारित उत्पाद के दो प्रकारों में से डीवीडी –आर के संबंध में वर्तमान पाटन मार्जिन सकारात्मक हैं जबकि डीवीडी–आर डब्ल्यू के लिए नकारात्मक है। अतः वर्तमान क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ केवल डीवीडी– आर की आयात मात्रा को पाटित आयात माना जा रहा है।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कई अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू है और उपर्युक्त आयात के आंकड़ों से यह पता चलता है कि इन देशों से हुए आयातों में भी सतत गिरावट प्रदर्शित होती है। तथापि क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान यूएई से अत्यधिक कम कीमत पर पर्याप्त मात्रा में आयात हुए हैं। याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि यूएई के पास संबद्ध वस्तु की पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं है और इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि अन्य देशों के मूल की वस्तु का यानांतरण यूएई के जरिए किया जा रहा हो। यह भी अनुरोध किया गया है कि यूएई से हुए आयात पाटित कीमत पर है और उक्त देश से आरोपित पाटन हेतु घरेलू उद्योग ने यूएई के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए एक याचिका पहले ही दायर कर रखी है।

### ii मांग और बाजार हिस्सा

91. घरेलू उद्योग और भारत में संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तु की मांग और बाजार हिस्से का निर्धारण घरेलू उद्योग का उत्पादन तथा बिक्री एवं आयातों को ध्यान में रखकर किया गया है।

| मांग डीवीडी–आर | इकाई | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 (जांच अवधि) | 2013–14 (जांचोत्तर अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू उद्योग की बिक्री | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 95 | 94 | 77 | 71 |
| अन्य भारतीय उत्पादों की बिक्री | लाख नग | - | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | | 100 | 198 | 163 | 149 |
| संबद्ध देश | लाख नग | 7.20 | 24.16 | 2.04 | 1.66 | 0.75 |
| ऐसे देश जिन पर पहले से शुल्क लागू है | लाख नग | 730 | 336 | 272 | 122 | 43 |
| अन्य देश | लाख नग | 96 | 283 | 296 | 174 | 189 |
| कुल मांग/खपत | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 99 | 103 | 82 | 75 |
| मांग डीवीडी–आर डब्ल्यू | | | | | | |
| घरेलू उद्योग की बिक्री | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 61 | 178 | 50 | 45 |
| अन्य भारतीय उत्पादों की बिक्री | लाख नग | - | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | | 100 | 587 | 166 | 147 |
| सम्बद्ध देश | लाख नग | 2.48 | 6.66 | 2.47 | 3.63 | 1.67 |
| ऐसे देश जिन पर पहले से शुल्क लागू है | लाख नग | 0.20 | 0.75 | 0.37 | 0.36 | 2.05 |
| अन्य देश | लाख नग | 8.86 | 4.56 | 1.95 | 1.68 | 0.37 |
| कुल मांग/खपत | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 88 | 110 | 53 | 42 |
| **मांग डीवीडी – आर +डीवीडी आर डब्ल्यू** | | | | | | |
| घरेलू उद्योग की बिक्री | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 95 | 94 | 77 | 71 |
| अन्य भारतीय उत्पादों की बिक्री | लाख नग | - | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | | 100 | 198 | 163 | 149 |
| संबद्ध देश | लाख नग | 10 | 31 | 5 | 5 | 2 |
| ऐसे देश जिन पर पहले से शुल्क लागू है | लाख नग | 730 | 337 | 272 | 122 | 45 |
| अन्य देश | लाख नग | 105 | 287 | 298 | 176 | 190 |
| कुल मांग/खपत | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 99 | 103 | 82 | 75 |

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान डीवीडी – आर की घरेलू उद्योग की मांग और बिक्री जांच अवधि को छोड़कर कमोवेश समान स्तर पर रही है। तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष में मांग और बिक्री में वृद्धि होने के बाद जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मांग तथा बिक्री में अत्यधिक गिरावट आई है। इन वर्षों के दौरान संबद्ध देशों से डीवीडी–आर के आयात की मात्रा में गिरावट आई है जो लागू पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के कारण हो सकता है। मांग में सामान्य प्रवृत्ति की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में विभिन्न प्रतिस्पर्धियों के बाजार हिस्से में प्रवृत्ति की जांच की है।

| मांग में बाजार हिस्सा डीवीडी– आर | इकाई | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 (जांच अवधि) | 2013–14 (जांचोत्तर अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू उद्योग की बिक्री | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 91 | 94 | 95 |
| अन्य भारतीय उत्पादों की बिक्री | % | - | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | | 100 | 190 | 196 | 197 |
| संबद्ध देश | % | 0.11 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| ऐसे देश जिन पर पहले से शुल्क लागू है | % | 10.81 | 5.03 | 3.91 | 2.18 | 0.85 |
| अन्य देश | % | 1.43 | 4.23 | 4.25 | 3.13 | 3.76 |
| मांग में बाजार हिस्सा डीवीडी–आर डब्ल्यू | | | | | | |
| घरेलू उद्योग की बिक्री | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 70 | 162 | 95 | 106 |
| अन्य भारतीय उत्पादों की बिक्री | % | - | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | | 100 | 463 | 272 | 304 |
| संबद्ध देश | % | 12.47 | 38.13 | 11.32 | 34.65 | 19.83 |
| ऐसे देश जिन पर पहले से शुल्क लागू है | % | 0.99 | 4.28 | 1.70 | 3.43 | 24.40 |
| अन्य देश | % | 44.57 | 26.09 | 8.92 | 16.02 | 4.45 |
| मांग में बाजार हिस्सा डीवीडी – आर +डीवीडी आर डब्ल्य | | | | | | |
| घरेलू उद्योग की बिक्री | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 91 | 94 | 95 |
| अन्य भारतीय उत्पादों की बिक्री | % | - | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | | 100 | 190 | 196 | 198 |
| संबद्ध देश | % | 0.14 | 0.46 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| ऐसे देश जिन पर पहले से शुल्क लागू है | % | 10.78 | 5.03 | 3.90 | 2.19 | 0.89 |
| अन्य देश | % | 1.55 | 4.29 | 4.26 | 3.15 | 3.76 |

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के डीवीडी–आर तथा डीवीडी–आर डब्ल्यू के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग गंवाया गया बाजार हिस्सा अन्य भारतीय उत्पादकों तथा अन्य देशों से हुए ऐसी आयातों ने हड़प लिया है जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से डीवीडी–आर के आयात की मात्रा और उसका बाजार हिस्सा नगण्य है परंतु क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से डीवीडी–आर डब्ल्यू के आयात का मांग में बाजार हिस्सा काफी अधिक है यद्यपि डीवीडी–आर डब्ल्यू की कुल मांग भारत में डीवीडी–आर की कुल मांग का एक मामूली हिस्सा है।

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि संबंद्ध देशों से संचयी आयातों की मात्रा काफी अधिक है, इसलिए घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति के निर्धारण हेतु मात्रात्मक मापदंडों के अनुसार क्षति जांच भ्रामक और अनुचित होगी। चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए क्षति जांच अवधि के दौरान आयात की मात्रा से आयातों की संभावित स्थिति की सही तस्वीर और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की हालत का पता नहीं चलता है।

### I छ. 5 कीमत प्रभाव

**पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**

95. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कीमतों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के संबंध में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है।

96. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग द्वारा व्यय किए गए कर, दी गई रिवेट, छूट और कमीशन को समायोजित किया गया है। चूंकि कम कीमत पर बिक्री क्षति के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, इसलिए प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत की गणना की है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा का आकलन करने के लिए उसकी तुलना पहुंच मूल्य के साथ की है। प्राधिकारी की संगत परम्परा के अनुसार क्षतिरहित कीमत की गणना नियमावली के अनुबंध–III के अनुसार जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत पर समुचित विचार करने के बाद की गई है।

**II कीमत कटौती**

97. प्राधिकारी ने पाटित आयातों के कीमत प्रवाह का विश्लेषण किया है और पाटनरोधी शुल्क सहित और रहित कीमत कटौती की गणना की है।

| डीवीडी–आर | इकाई | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 (जांच अवधि) | 2013–14 (जांचोत्तर अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आयातों की पहुंच कीमत | रू./नग | 5.01 | 5.21 | 3.42 | 5.69 | 1.53 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 104 | 68 | 114 | 31 |
| निवल बिक्री कीमत | रू./नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 106 | 119 | 122 | 118 |
| कीमत कटौती | रू./नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 131 | 822 | 250 | 1,339 |
| कीमत कटौती (%) | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| कटौती रेंज | % | 0-10% | 5-15% | 40-50% | 10-20% | 70-80% |
| **एडीडी के साथ कीमत कटौती** | | | | | | |
| आयातों की पहुंच कीमत | रू./नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 101 | 81 | 113 | 68 |
| निवल बिक्री कीमत | रू./नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 106 | 119 | 122 | 118 |
| कीमत कटौती | रू./नग | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| | सूचीबद्ध | (100) | (91) | (11) | (97) | 23 |
| कीमत कटौती (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| कटौती रेंज | % | (50-60%) | (40-50% | (0-10%) | (40-50%) | 5-10% |
| **डीवीडी–आर डब्ल्यू** | | | | | | |
| आयातों की पहुंच कीमत | रू./नग | 34.97 | 33.68 | 32.90 | 43.79 | 25.72 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 94 | 125 | 74 |
| निवल बिक्री कीमत | रू./नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 156 | 104 | 146 | 157 |
| कीमत कटौती | रू./नग | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| | सूचीबद्ध | (100) | (42) | (85) | (106) | 1 |
| कीमत कटौती (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| कटौती रेंज | % | (105-115) | (25-35) | (85-95) | (75-85) | 0-5 |
| **एडीडी के साथ कीमत कटौती** | | | | | | |
| आयातों की पहुंच कीमत | रू./नग | 38.11 | 36.77 | 35.84 | 47.39 | 29.74 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 94 | 124 | 78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| निवल बिकी कीमत | रू./नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 156 | 104 | 146 | 157 |
| कीमत कटौती | रू./नग | (****) | (****) | (****) | (****) | (****) |
| | सूचीबद्ध | 100 | 51 | 87 | 107 | 18 |
| कीमत कटौती (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | (****) |
| कटौती रेंज | % | (125-135) | (35-45) | (100-110) | (90-100) | (10-20) |
| **डीवीडी – आर +डीवीडी आर डब्ल्य** | | | | | | |
| आयातों की पहुंच कीमत | रू./नग | 12.69 | 11.88 | 19.58 | 31.84 | 18.21 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 154 | 251 | 143 |
| निवल बिकी कीमत | रू./नग | - | - | - | - | - |
| कीमत कटौती | रू./नग | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| | सूचीबद्ध | (100) | (33) | (164) | (296) | 37 |
| कीमत कटौती (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| कटौती रेंज | % | (20-30) | (0-10) | (25-35) | (45-55) | 20-30 |
| **एडीडी के साथ कीमत कटौती** | | | | | | |
| आयातों की पहुंच कीमत | रू./नग | 15.96 | 15.02 | 22.81 | 35.53 | 22.27 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 94 | 143 | 223 | 140 |
| निवल बिकी कीमत | रू./नग | - | - | - | - | - |
| कीमत कटौती | रू./नग | (****) | (****) | (****) | (****) | (****) |
| | सूचीबद्ध | (100) | (60) | (135) | (218) | (31) |
| कीमत कटौती (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | (****) |
| | % | (70-80) | (40-50) | (55-65) | (75-85) | (0-10) |

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क रहित सम्बद्ध देशों से डीवीडी–आर के पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के कारण समूची क्षति अवधि और जांचोत्तर अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिकी कीमतों की कटौती हो रही है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क सहित डीवीडी–आर की कीमत कटौती क्षति अवधि के दौरान नकारात्मक रही है। परंतु जांचोत्तर अवधि में कीमत कटौती सकारात्मक है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि डीवीडी–आर डब्ल्यू के मामले में कीमत कटौती पाटनरोधी शुल्क के बिना भी नकारात्मक रही है। तथापि, जांचोत्तर अवधि के आंकड़ों से पाटनरोधी शुल्क के बिना डीवीडी–आर और डीवीडी–आर डब्ल्यू दोनों की सकारात्मक कीमत कटौती का पता चलता है जिससे यह संकेत मिलता है कि शुल्क सुरक्षा हटाने से कीमत में भारी कटौती हो सकती है।

## III कीमत ह्रास, न्यूनीकरण

99. घरेलू कीमतों पर सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभावों की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिकी प्राप्ति की प्रवृत्ति की तुलना बिकी लागत के साथ की गई है।

| डीवीडी–आर | इकाई | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 (जांच अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|
| बिकी लागत | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 110 | 120 | 149 |
| निवल बिकी प्राप्ति | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 106 | 119 | 122 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| डीवीडी–आर डब्ल्यू | | | | | |
| बिक्री लागत | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 189 | 222 | 454 |
| निवल बिक्री प्राप्ति | रु./नग | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 156 | 104 | 146 |

100. उपर्युक्त आंकड़ों से कार्यकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में डीवीडी–आर की बिक्री कीमत को बढ़ाने की स्थिति में नहीं था जिससे कीमत ह्रास का पता चलता है। तथापि, डीवीडी–आर डब्ल्यू की बिक्री उनकी बिक्री लागत से अधिक पर की जा रही है । यद्यपि, कीमत में हुई वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है ।

## IV. कम कीमत पर बिक्री

| विवरण | इकाई | डीवीडी–आर | डीवीडी–आर डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| | | 2012–13 | 2012–13 |
| क्षति कीमत (एनआईपी) | (रु./नग) | **** | **** |
| एडीडी के बिना पहुंच मूल्य | (रु./नग) | 5.69 | 43.79 |
| कम कीमत | (रु./नग) | **** | (****) |
| कम कीमत (%) | % | ****% | (****)% |
| कम कीमत रेंज | % | 20-30% | (60-70%) |
| एडीडी सहित पहुंच मूल्य | रु./नग | 9.40 | 47.39 |
| एडीडी सहित कम कीमत पर बिक्री | रु./नग | (****) | (****) |

101. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से डीवीडी–आर के आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के डीवीडी–आर डब्ल्यू की क्षति रहित कीमत से कम रहा है। तथापि, जांच अवधि के दौरान लागू पाटनरोधी शुल्क को शामिल करने के बाद डीवीडी–आर का पहुंच मूल्य क्षति रहित कीमत से अधिक था। जहां तक सम्बद्ध देशों से डीवीडी–आर डब्ल्यू के आयातों का संबंध है, कम कीमत पर बिक्री को नकारात्मक पाया गया है।

### छ. 6 घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मापदंडों की जांच

102. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध–**II** में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक तथा संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का तथ्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

103. घरेलू उद्योग से संबंधित उपर्युक्त विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच निम्नानुसार की गई है:–

### क. क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग और बिक्री पर वास्तविक तथा संभावित प्रभाव

104. निम्नलिखित तालिका से क्षति जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री का पता चलता है।

| विवरण<br>डीवीडी–आर+ डीवीडी–आर डब्ल्यू | इकाई | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13<br>(जांच अवधि) | 2013–14<br>(जांचोत्तर अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 99 | 98 | 97 | 90 |
| उत्पादन | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 92 | 72 | 63 |
| क्षमता उपयोग | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 94 | 75 | 69 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री मात्रा | | | | | | |
| घरेलू | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 95 | 94 | 77 | 71 |
| निर्यात | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 116 | 120 | 74 | 72 |
| कुल बिक्री | लाख नग | **** | **** | **** | **** | **** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 107 | 109 | 75 | 72 |

105. उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति जांच अवधि के दौरान मामूली गिरावट प्रदर्शित होती है, तथापि जांच अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री (घरेलू और निर्यात दोनों) में भारी गिरावट आई है जिससे क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है जो पूर्ववर्ती वर्षों में 75% से अधिक के स्तर से घटकर 60% से कम पर आ गया है।

**ख. लाभ/हानि, नकद प्रवाह, लगाई गई पूंजी पर आय, मालसूची, उत्पादकता पर वास्तविक और संभावित प्रभाव**

106. विचाराधीन उत्पाद के बारे में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच उपर्युक्त मापदंडों के संबंध में निम्नानुसार की गई है :–

| लाभ/हानि, नकद प्रवाह, आर ओ सी ई माल सूची एवं उत्पादकता | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | जांच अवधि | जांचोत्तर अवधि |
| निवल लाभ/ (हानि) (करोड रु.) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) |
| सूचीबद्ध | (100) | (100) | (85) | (208) | (233) |
| निवल लाभ/ (हानि) (करोड रु.) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) |
| | (100) | (100) | (85) | (255) | (314) |
| नकद लाभ (करोड रु.) | ***** | ***** | ***** | (*****) | (*****) |
| | 100 | 100 | 142 | (52) | (252) |
| आर ओ सी ई | | | | | |
| लगाई गई पूंजी पर आय (करोड रु.) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | 100 | 100 | 80 | 78 | 78 |
| लगाई गई पूंजी पर आय (%) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) |
| | (100) | (100) | (84) | (362) | (390) |
| माल सूची (मिलि. नग) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | 100 | 100 | 58 | 70 | 56 |
| बिक्री दिवसों की सं. में मालसूची | 78.47 | 86.29 | 67.41 | 79.98 | 82.05 |
| | 100 | 100 | 78 | 93 | 95 |
| कर्मचारियों की संख्या लगाई गई पूंजी (सं.) | 1703 | 1788 | 2067 | 1998 | 1998 |
| | 100 | 100 | 116 | 112 | 112 |
| प्रति कर्मचारी उत्पादकता लगाई गई पूंजी (मिलि. नग प्रति कर्मचारी.) | 8.98 | 8.51 | 6.79 | 5.55 | 4.81 |
| | 100 | 100 | 80 | 65 | 57 |
| प्रदत्त कुल मजदूरी लगाई गई पूंजी (करोड रु..) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | 100 | 100 | 119 | 117 | 89 |

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत, बिक्री मात्रा अथवा लागत में परिवर्तन से लाभ/हानि में परिवर्तनों का पता चल सकता है। पाटित आयातों के प्रवाह को इनमें से किसी या सभी परिवर्तनों में प्रदर्शित किया जा सकता है। उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान कंपनी के निवल लाभ में लगातार गिरावट आई है और यह इसी अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु के प्रति नग लाभ में भी प्रदर्शित हुआ है। इस अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर आय नकारात्मक रही है जिसमें जांच अवधि के दौरान आगे और गिरावट आई है। समूची जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद से नकद लाभ सकारात्मक रहा था, परन्तु वह जांच अवधि में नकारात्मक हो गया जो वास्तविक क्षति का संकेत है।

108. उपर्युक्तानुसार घरेलू उद्योग के अन्य भौतिक मापदंडों से यह पता चलता है कि जांच अवधि को छोड़कर वित्त वर्षों की समाप्ति तक तैयार मालसूची में कमी की प्रवृत्ति रही है जिससे प्रतिकूल मालसूची निर्माण का पता चलता है। तथापि जब समूची क्षति अवधि और जांच अवधि पर विचार किया जाए तब इन आंकड़ों पर अतिरिक्त मालसूची के निर्माण के जरिए प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित करने की दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता है। "बिक्री दिवसों की संख्या" के रूप में प्रस्तुत संकेतक से भी ऐसी ही प्रवृत्ति का पता चलता है।

109. उत्पादकता वस्तु के उत्पादन और उसका उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त संसाधनों की निविष्टियों के बीच संबंध होती है। अतः निविष्टि स्तरों में परिवर्तनों के कारण उत्पादकता प्रभावित होती है। आंकड़ों से यह पता चलता है कि उत्पादन स्तर और क्षमता उपयोग के स्तर में गिरावट आई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2009–13 के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगातार गिरावट आई है और यह गिरावट जांचोत्तर अवधि (2013–14) के दौरान जारी रही। आधार अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त मजदूरी में गिरावट आई है।

110. सामान्य तौर पर वृद्धि पर नकरात्मक प्रभावों के संकेतकों में विनिर्माण क्षमता के विस्तार अथवा नई क्षमताओं के विकास हेतु योजनाओं का निरसन अथवा उनमें विलंब शामिल होता है। वृद्धि पर नकारात्मक प्रभावों के बारे में याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन किसी सुविधा विशेष के निष्पादन हेतु प्रलेखित योजनाओं जैसे साक्ष्य द्वारा नहीं किया गया है जिसमें पाटित आयातों के प्रभाव के कारण बाधा उत्पन्न हुई हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव का निष्कर्ष निकालने के लिए ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में समग्र गिरावट आई थी जिससे इस क्षेत्र की नकारात्मक वृद्धि का पता चलता है।

**ज. कारणात्मक संबंध**

111. नियमों में प्राधिकारी को पाटित आयातों और पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने का अधिदेश दिया गया है। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई तर्क न दिए जाने की स्थिति में प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्राधिकारी की जानकारी में निम्नलिखित मुद्दे लाए गए हैं और कारणेत्तर विश्लेषण हेतु उनकी जांच उपलब्ध सूचना के अनुसार की गई है:–

i **तीसरे देशों से आयातः** प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों और पाटनरोधी शुल्क के अधीन अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात में भारी गिरावट आई है तथापि, इस अवधि के दौरान यूएई से डीवीडी–आर के आयातों में वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यूएई से डीवीडी–आर डब्ल्यू का कोई आयात नहीं हुआ है। यूएई से जिस कीमत पर डीवीडी–आर का आयात किया जा रहा है वह घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि के कारणों में से एक कारण हो सकती है। तथापि, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 71 में नोट किया गया है, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यूएई से आयात मूलभूत रूप से चीन और ताइवान के मूल की वस्तु का पुनः निर्यात है क्योंकि यूएई के पास इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन तथा निर्यात करने की क्षमता नहीं है।

| **डीवीडी–आर यूएई से आयात** | इकाई | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 (जांच अवधि) | 2013–14 (जांचोत्तर अवधि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आयात मात्रा | लाख नग | 91.10 | 225.94 | 249.81 | 160.92 | 189.40 |
| कीमत | रू./नग | 4.66 | 4.80 | 4.99 | 6.59 | 6.75 |

ii **मांग में कमी :–** प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष से लेकर घरेलू बाजार में उत्पादों की मांग में मामूली गिरावट आई थी और यह गिरावट जांच अवधि के दौरान काफी अधिक प्रतीत होती है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या मांग में कमी के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता के उत्पादन और बिक्री में गिरावट मुख्यतः निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण आई है और घरेलू बिक्रियां अभी भी अत्यंत स्थिर हैं। यह तर्क दिया गया है कि विश्व बाजार में भी विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि देश में उत्पाद की मांग अत्यधिक बनी हुई है और भविष्य में भी इसकी मांग काफी अधिक बनी रहेगी। यद्यपि इस बात की आमतौर पर आशंका रहती है कि यूएसबी/पैनड्राइव और ब्ल्यू रेज एवं मनोरंजन से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए इंटरनेट के अन्य मंचों जैसे डाटा स्टोरेज के अन्य उपायों के बढ़ते हुए उपयोग के कारण डीवीडी की मांग में गिरावट आ रही है। स्टोरेज मीडिया के उपाय के रूप में

डीवीडी कई वर्षों तक उपयोग में लाई जा सकती है और इसकी अवधि निश्चित रूप से एक दशक से अधिक की होती है। याचिकाकर्ता ने भारत के मूल की कुछेक ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड प्रणालियों के मामलों में यूरोपीय आयोग के निर्णय का भी हवाला दिया है जिनमें मांग में गिरावट के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। उस मामले में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि घरेलू उद्योग को खासकर तब सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत होती है जब मांग में गिरावट आती है।

इस मुद्दे की जांच कारणेत्तर विश्लेषण के संदर्भ में की गई है ताकि यह देखा जा सके कि क्या देश में मांग में गिरावट अन्य प्रौद्योगिकियों के आने के कारण आई है और इसलिए क्या यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण हो सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच से यह पता चलता है कि यद्यपि अन्य डाटा स्टोरेज और पुनः प्रयोग के साधन और मंच अब उपलब्ध हैं और उनसे डीवीडी की मांग पर प्रभाव पड़ सकता है तथापि, विभिन्न कारणों की वजह से इस उत्पाद खंड को निम्नानुसार कोई आसन्नवर्ती खतरा नहीं है।

- यूएसबी/पैन ड्राइव का प्रयोग केवल उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां किसी उपभोक्ता को विषय–वस्तु को कई बार लिखना होता है । डीवीडी–आर के बजाए उन अनुप्रयोगों में जहां उपभोक्ताओं को केवल एक बार लिखना होता है, यूएसबी/पैन ड्राइव के उपयोग से किसी पैन ड्राइव का अति अल्प उपयोग होता है । डीवीडी–आर की कीमत एक पैन ड्राइव, जिसकी कीमत आश्चर्यजनक ढंग से 300 रुपए से अधिक होती है, की तुलना में काफी कम केवल 15 रुपए (अंतिम उपभोक्ता के लिए) होती है । यह अनुरोध किया गया है कि पैन ड्राइव की अनिवार्य जरूरत डाटा/विषय–वस्तु को बार–बार/कई बार स्टोर किए जाने के लिए पड़ती है । अतः एक स्टोरेज माध्यम के रूप में यूएसबी/पैन ड्राइव का प्रयोग डीवीडी–आर बाजार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता ।
- डीवीडी–आर साफ्टवेयर, मनोरंजन सामग्री आदि के पुरातात्विक प्रयोजन हेतु एक बहुत अच्छे डाटा स्टोरेज प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है जिनके लिए बार–बार लिखने की जरूरत नहीं होती है । उपयोग के इन खंडों में डीवीडी–आर की मांग में तेजी से गिरावट आने की वजह कंप्यूटर और इंटरनेट का आना महत्वपूर्ण नहीं है । चिकित्सीय निदान, फोटो स्टोरेज आदि जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों के कारण डीवीडी की नई मांगें सृजित होंगी ।
- डाटा स्टोरेज और पारेषण के बाजार में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई एनिथिंग रिसर्च (www.anythingresearch.com) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आगामी वर्षों में सीडी, डीवीडी, ब्लू–रे एवं मैग्नेटिक तथा आप्टीकल रिकॉर्डिंग मीडिया की मांग काफी अधिक रहेगी । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि यह रिपोर्ट अमरीकी गणना और सरकार के बाजार आंकड़ों पर आधारित है ।
- जिस प्रमुख क्षेत्र में डीवीडी–आर की मांग काफी अधिक है वह मनोरंजन क्षेत्र है जिसमें किराए पर चलचित्र, खेल आदि शामिल हैं जिन्होंने ब्लूरे और पैन ड्राइवों की उच्च क्षमता के बावजूद अभी तक अपनी पैठ नहीं बनाई है ।
- विकसित देशों में डीवीडी की मांग अभी भी काफी अधिक है । जहां इंटरनेट की पहुंच अत्यंत व्यापक है । अतः यह अनुरोध किया गया था कि आगामी वर्षों में भारत में डीवीडी की मांग काफी अधिक रहेगी ।
- इसके अलावा, चीन द्वारा आप्टीकल मीडिया स्टोरेज के उपायों में अधिकांश उत्पाद के रूप में डीवीडी को उपयुक्त मानता रहा है । ऐसा इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि चीन ने इंटरनेट के 42 प्रतिशत प्रयोगिता स्तर रहने के बावजूद तथा यूएसबी/पैन ड्राइव के उत्पादन का एक केन्द्र होने के बावजूद डीवीडी का भारी मात्रा में उत्पादन और उसका निर्यात किया है ।
- डीवीडी जैसी भौतिक मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं की तुलना में और अधिक मूवी राजस्व का सृजन करता है । उपहारों और खेलों के लिए कलेक्टरों की पुरानी जरूरतों जैसे कारणों की वजह से भौतिक मीडिया की मांग काफी अधिक रहेगी ।
- भारत में केवल 9.5% आबादी के पास एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप है और केवल 3.31 प्रतिशत भारतीय आबादी के पास इंटरनेटयुक्त कंप्यूटर/लैपटॉप है । अतः घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार पैन ड्राइव अथवा हार्ड डिस्क अथवा इंटरनेट डाउनलोडिंग का उपयोग केवल इन संख्याओं तक ही सीमित है ।
- डीवीडी उन क्षेत्रों में भी अधिक प्रचलित है जहां कम लागत पर अधिक संख्या में लोगों को बड़े आंकड़े वितरित करने की जरूरत होती है क्योंकि 15–20 रूपए की लागत वाली डीवीडी की उपलब्धता लगभग 200 रुपए या उससे अधिक की लागत के पैन ड्राइव की तुलना में लागत मितव्ययी है ।

उपर्युक्त से यह पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में डीवीडी की मांग में मामूली गिरावट आई है जो वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप है, डीवीडी आने वाले कुछ समय तक डाटा स्टोरेज और पारेषण का एक तरजीही माध्यम बना रहेगा और इसलिए इसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बड़े कारण के रूप में नहीं माना जा सकता ।

**iii.** **खपत की पद्धति** :–जैसा कि पूर्ववर्ती खंड में विचार–विमर्श किया गया है, अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में डीवीडी की खपत की पद्धति से यह संकेत मिलता है कि संबद्ध वस्तु की खपत की पद्धति में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं आया है जिससे घरेलू उद्योग की स्थितियां प्रभावित हुई हों ।

**iv.** **प्रतिस्पर्धा की स्थितियां** :–प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह पता नहीं चला है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेवार है ।

**v.** **प्रौद्योगिकी विकास** :– प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह पता नहीं चला है कि उपर्युक्त पैरा (ii) में की गई चर्चानुसार पैन ड्राइव, ब्लू–रे और इंटरनेट आधारित पारेषण जैसी नई प्रौद्योगिकियों के आगमन को छोड़कर उत्पाद की विनिर्माण प्रकिया अथवा प्रयोग में प्रौद्योगिकी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती हो ।

**vi.** **घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादनः–** वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा में अत्यधिक गिरावट आई है और इसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । तथापि, पूर्ववर्ती खंड में क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के घरेलू निष्पादन पर आधारित है । घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा घरेलू तथा निर्यात बाजारों में कीमतों एवं लाभप्रदता को पृथक रखा गया है ।

**झ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष :**

112. उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति विचाराधीन उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में गिरावट कम क्षमता उपयोग तथा बिक्री में घाटे के कारण हो रही है । तथापि, खंड–वार विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह क्षति डीवीडी–आर खंड में अधिक हुई है जिसका हिस्सा घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में 99% से अधिक है । डीवीडी–आर डब्ल्यू खंड घरेलू उद्योग के लिए लाभकारी है । यद्यपि, इसका हिस्सा घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन और बिक्री के 1% से भी कम है और इसीलिए इस समय कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है । इस समय संबद्ध देशों द्वारा डीवीडी–आरडब्ल्यू का पाटन नहीं किया जा रहा है क्योंकि निकाला गया पाटन मार्जिन नकारात्मक है यद्यपि, मात्रा अधिक नहीं है ।

113. तथापि, संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा इस समय काफी कम होने के कारण पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव इस समय अधिक या अत्यधिक प्रतीत नहीं होता है । डीवीडी–आर से घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है और उसका घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव भी पड़ा है। यद्यपि, मात्रा कम है । तथापि, पूर्व में नोट किए गए अनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों सहित विभिन्न स्रोतों से आयातों जैसे विभिन्न कारकों की वजह से जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति हुई प्रतीत होती है ।

**ट. क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना**

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और यदि शुल्क समाप्त किया जाना है तो इस जांच का केन्द्र क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करने पर होता है भले ही कोई वर्तमान क्षति और/अथवा कारणात्मक संबंध न हो । पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना से संबंधित पूर्ववर्ती खंड में इस बात की पुष्टि की गई है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

**ट.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध**

115. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । आगे यह दावा किया गया है कि समीक्षा जांच का समग्र प्रयोजन इस बात को देखना नहीं होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की जरूरत है अपितु यह देखना होता है कि क्या ऐसे शुल्क के अभाव में पाटन जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी और क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रहेगी अथवा शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होगी । इस संबंध में याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार उल्लेख किया है :–

(क) यद्यपि किसी निर्णायक समीक्षा जांच में किसी संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुआ है, तथापि, जांच शुरू की जा सकती है और शुल्क जारी रखा जा सकता है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई कई जांचों के मामले में हुआ है ।

(ख) संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य वर्तमान तथा भावी पर्याप्त क्षमताएं हैं और याचिका में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संबद्ध देशों में उत्पादक अत्यंत निर्यातोन्मुखी हैं ।

(ग) यदि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाए, तो इस बात का स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि विगत में संबद्ध देशों द्वारा पाटन की लगातार पद्धति अपनाई गई है। यदि पाटनरोधी शुल्क कुछ देशों पर लागू किया जाता है तो पाटन दूसरे देशों से शुरू हो जाता है । आयात मार्ग में इस परिवर्तन से स्पष्टतः पता चलता है कि निर्यातक उन देशों में अधिक क्षमताओं के कारण विश्व बाजार में अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए पाटन का जानबूझकर और सोच–विचार कर सहारा ले रहे हैं ।

(घ) विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार अत्यंत कीमत संवेदनशील है । उपभोक्ता अपने स्रोत तय करते हैं जहां कीमत पर सबसे पहले विचार किया जाता है ।

(ड.) संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है । विचाराधीन उत्पाद की मांग व्यावहारिक रूप से डीवीडी–आर श्रेणी में है, घरेलू उद्योग की 99.87% बिक्री इस श्रेणी में होती है । अतः पाटन और क्षति की संभावना की पुष्टि डीवीडी–आर हेतु सूचना पर विचार करने के बाद की जानी चाहिए । डीवीडी–आर डब्ल्यू हेतु सूचना उसके अत्यंत लघु बाजार, जो उसने सृजित किया है, को ध्यान में रखते हुए संभावना की स्थिति का प्रदर्शन और प्रतिनिधित्व नहीं करती है । अतः यह देखा जाएगा कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की 99.87 प्रतिशत बिकियों को कीमत कटौती का सामना करने की संभावना है । यद्यपि, यह स्वीकार किया जाता है कि 0.13 प्रतिशत बिक्रियों में कीमत कटौती होने की संभावना नहीं है तथापि, घरेलू

उद्योग को पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से "विचाराधीन उत्पाद" के पाटित आयातों के संबंध में कीमत कटौती का सामना करने की संभावना है ।

(च) यदि विभिन्न पाटित स्रोतों से कीमत कटौती की जांच संचयी रूप से की जाए तो यह देखा जाएगा कि पाटित आयातों (यूएई तथा वियतनाम को छोड़कर) द्वारा भारित औसत कीमत कटौती अत्यंत सकारात्मक है । विचाराधीन उत्पाद के स्वरूप को देखते हुए यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा उन कीमतों से भिन्न कीमत को प्राप्त किए जाने की संभावना है जिन कीमतों पर अन्य विदेशी उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं । इस प्रकार अन्य देशों से हुए आयातों के कारण कीमत कटौती कीमत में हुई उस कटौती का एक स्पष्ट संकेतक है जो पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से किए जाने की संभावना है ।

116. प्रकटन विवरण पश्चात अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि, डीवीडी–आर और डीवीडी–आर डब्ल्यू के बीच आयातों की वास्तविक पद्धति वर्तमान पाटन विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक है । तथापि, भारत में डीवीडी की खपत पद्धति और विश्वभर के संबद्ध देशों के निर्यातकों की निर्यात मात्रा की संभावना के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण है । क्षति संभावना के विश्लेषण हेतु डीवीडी–आर और डीवीडी–आर डब्ल्यू के बीच घरेलू उद्योग की बिक्री पद्धति प्रासंगिक होती है । पाटन की संभावना के विश्लेषण हेतु विश्व बाजार में डीवीडी–आर और डीवीडी–आर डब्ल्यू के बीच निर्यातकों की बिक्री पद्धति प्रासंगिक होती है । घरेलू उद्योग ने आगे तर्क दिया है कि पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण दो बार–एक बार वर्तमान अवधि के दौरान वास्तविक पाटन, वास्तविक कटौती और वास्तविक क्षति मार्जिन की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आयात की वास्तविक मात्रा के आधार पर और उसके बाद (क) क्षति की संभावना के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ संभावित स्थिति प्रदर्शित करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा की पद्धति, और (ख) पाटन की संभावना के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ संभावित स्थिति प्रदर्शित करने के लिए निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को की गई बिक्री की मात्रा के आधार पर किया जाना चाहिए । प्रकटन विवरण में स्पष्ट रूप से (क) डीवीडी–आर में सकारात्मक पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन (ख) डीवीडी–आर डब्ल्यू में नकारात्मक पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन, (ग) आयात की वास्तविक मात्रा पर विचार करते हुए डीवीडी हेतु समग्र रूप से नकारात्मक पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन, (घ) घरेलू उद्योग की बिक्री पद्धति तथा निर्यातकों की निर्यात पद्धति पर विचार करते हुए संभावना की स्थिति के मामले में डीवीडी–आरडब्ल्यू में सकारात्मक पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन की पुष्टि की गई है । अतः जांच को घरेलू उद्योग (क्षति हेतु) और निर्यातकों (पाटन हेतु) की डीवीडी–आर एवं डीवीडी–आरडब्ल्यू की संबंधित मात्राओं पर विचार करते हुए पाटन एवं क्षति की संभावना पर केन्द्रित करना चाहिए ।

## ट. 2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

117. इस बारे में किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

## ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

118. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों और अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की वर्तमान मात्रा और मूल्य तथा घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की मात्रा की जांच की है ताकि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की जा सके । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, संबद्ध देशों से आयातों की वर्तमान मात्रा या तो कम है या फिर शून्य है । तथापि, अन्य देशों से आयातों की मात्रा काफी अधिक है । घरेलू उद्योग ने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के संबंध मे डीवीडी–आर और डीवीडी–आरडब्ल्यू के बीच बाजार का स्पष्ट खंड है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न कारकों की तथ्यपरक जांच के आधार पर पूर्ववर्ती खंड में पाटन जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की स्पष्ट संभावना की पुष्टि की गई है । तद्नुसार, जहां तक क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने का संबंध है, संभावनागत परिदृश्य की जांच निम्नानुसार की गई है :

### (क) वर्तमान और विगत पाटन मार्जिनों का स्तर

119. मूल तथा वर्तमान जांच, दोनों में डीवीडी–आर हेतु पाटन मार्जिन का स्तर काफी अधिक है । यद्यपि, जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात की मात्रा कम रही है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों और कुछ अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क इन देशों से बड़ी मात्रा में पाटित आयातों को रोकने में सफल रहा है । यद्यपि, इन देशों के पास अत्यधिक बेशी क्षमताएं हैं । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास समूची मांग को पूरा करने के लिए क्षमता होने के बावजूद ऐसे अन्य देशों, जिन पर शुल्क लागू नहीं है, से उन कीमतों पर अत्यधिक मात्रा में आयात हो रहे हैं, जो कीमतें संबद्ध देशों और शुल्क के अधीन अन्य स्रोतों से पाटनरोधी शुल्क प्रदत्त आयातों से काफी कम हैं । अतः इस बात की प्रबल संभावना है कि शुल्क समाप्त किए जाने पर इन देशों से तुलनीय कीमतों पर बंद हुए आयात पुनः शुरू हो जाएंगे । इन कीमतों पर घरेलू उद्योग के लिए कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री काफी अधिक रहेगी जिससे वह सामान्यीकृत क्षति रहित कीमत को भी वसूलने से वंचित हो जाएगा । अतः घरेलू उद्योग, जिसे अभी भी अन्य कारकों की वजह से क्षति हो रही है, को क्षति में और अधिक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है ।

**(ख) भारतीय बाजार की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता**

120. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि चीन जन.गण. से भारत को जिस कीमत पर संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, वह पाटन जारी रहने/उसमें वृद्धि होने की संभावना का एक संकेतक है । भारत में वर्तमान पहुंच कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत में सकारात्मक कटौती हो रही है । अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से चीनी उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों पर भारत को किए जाने वाले निर्यातों में वृद्धि करने हेतु भारतीय कीमतें उनके लिए और अधिक आकर्षक बन जाएंगी और इस बात की प्रबल संभावना है कि भारतीय उपभोक्ता चीन से संबद्ध वस्तु के बड़े पैमाने पर आयात करेंगे जिससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति में और अधिक वृद्धि होगी ।

**(ग) वैश्विक मांग – आपूर्ति संबंधी परिदृश्य**

121. वैश्विक डीवीडी बाजार में मांग–आपूर्ति में स्पष्ट अंतर है, प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों के कारण क्षमताएं मांग से अधिक हैं । अतः वैश्विक प्रतिस्पर्धियों द्वारा आक्रामक बाजार प्रवेश से संबंधित कार्यनीतियां अपनाए जाने और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में पाटन को तेज किए जाने की स्पष्ट संभावना है और कीमत स्तर उनके बाजार प्रवेश से संबंधित कार्यनीतियों द्वारा निर्देशित होगा जिससे कीमत में अत्यधिक कटौती और कम कीमत पर बिक्री होगी जिसकी वजह से घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और लाभप्रदता पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा ।

**ठ. क्षति मात्रा और क्षति मार्जिन**

122. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध–।।। के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध देशों से हुए निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार निकाला गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :–

| **क्षति मार्जिन – डीवीडी –आर** | | | |
|---|---|---|---|
| **विवरण** | **इकाई** | **चीन जन.गण.** | **चीनी ताइपेई** |
| क्षतिरहित कीमत | रु./नग | **** | **** |
| ए डी डी रहित पहुंच मूल्य | रु./नग | 5.65 | 6.43 |
| क्षति मार्जिन | रु./नग | **** | **** |
| | % | **** | **** |
| | रेंज % | 30%-40% | 15%-25% |
| क्षति मार्जिन – डीवीडी –आर | | | |
| विवरण | इकाई | चीन जन.गण. | चीनी ताइपेई |
| क्षतिरहित कीमत | रु./नग | **** | **** |
| ए डी डी रहित पहुंच मूल्य | रु./नग | 45.96 | 37.07 |
| क्षति मार्जिन | रु./नग | (****) | (****) |
| | % | (****%) | (****%) |
| | रेंज % | (60%-70%) | (50-60%) |
| भारित औसत क्षति मार्जिन | रु./नग | (****) | (****) |
| भारित औसत क्षति मार्जिन | % | (****%) | (****%) |
| | रेंज | (25-35%) | (45-55%) |

**ड क्षति एवं क्षति की संभावना के बारे में निष्कर्ष**

123. उर्पुक्त विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति विचाराधीन उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में गिरावट कम क्षमता उपयोग तथा बिक्री में घाटे के कारण हो रही है । तथापि, खंड–वार विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह क्षति डीवीडी–आर खंड में अधिक हुई है जिसका हिस्सा घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में 99% से अधिक है । डीवीडी–आर डब्ल्यू खंड घरेलू उद्योग के लिए लाभकारी है । यद्यपि, इसका हिस्सा घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन और बिक्री के 1% से भी कम है और इसीलिए इस समय कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है । इस समय संबद्ध देशों द्वारा

डीवीडी–आरडब्ल्यू का पाटन नहीं किया जा रहा है क्योंकि निकाला गया पाटन मार्जिन नकारात्मक है यद्यपि, आयातों की मात्रा डीवीडी–आर के आयातों की मात्रा से काफी अधिक है । परंतु दोनों देशों से डीवीडी–आर हेतु पाटन मार्जिन सकारात्मक है, हांगकांग से कोई आयात नहीं हुआ है और संबद्ध देशों से पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की स्पष्ट संभावना है । अतः इस खंड पर शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने और उसमें वृद्धि होने की स्पष्ट संभावना है । चूंकि डीवीडी–आर का हिस्सा घरेलू उद्योग के उत्पादन में काफी अधिक है, इसलिए घरेलू उद्योग को डीवीडी–आर के आयातों के कारण अधिक क्षति होगी न कि डीवीडी–आरडब्ल्यू के आयातों के कारण, जैसा कि कीमत और मात्रात्मक प्रभावों के जरिए प्रदर्शित किया गया है ।

124. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से डीवीडी–आर के पाटन की पुनरावृत्ति होने और ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की स्पष्ट और आसन्नवर्ती संभावना है ।

**ढ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे :**

125. प्रयोक्ताओं के हितों और ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क नहीं दिया है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु उपभोक्ता वस्तु है जिसका सीधे उपयोग मनोरंजन एवं आईटी उद्योग तथा आम जनता द्वारा किया जाता है जो शुल्क जारी रहने से प्रभावित हो सकते हैं । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि आम तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से होने वाले आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं हेतु उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी । दूसरी ओर यदि, पाटित आयातों के कारण हुई विकृति में सुधार नहीं किया जाता है तो इससे घरेलू उत्पादन आधार बंद हो सकता है तथा विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमत में परिणामी वृद्धि की जा सकती है जिसका प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

**ण. सिफारिशें :**

126. प्राधिकारी ने निर्धारित नियमों के अनुसार, वर्तमान पाटन, क्षति और पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना के बारे में जांच शुरू कर संपन्न की है । पूर्वोक्त पैराग्राफों में इस बात की स्पष्ट पुष्टि की गई है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में हांगकांग, जिसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है, सहित संबद्ध देशों से पाटन जारी रहने की स्पष्ट तथा आसन्नवर्ती संभावना है ।

127. इस बात की भी पुष्टि की गई है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रहने की संभावना है और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति में आगे और वृद्धि होगी । अतः संबद्ध देशों से पाटन जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने से घरेलू उद्योग की सुरक्षा करने हेतु शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत है ।

128. तथापि, मामले की वास्तविक कार्यप्रणाली में और अलग–अलग उत्पाद प्रकारों अर्थात डीवीडी–आर तथा डीवीडी–आरडब्ल्यू के वर्तमान पाटन एवं पाटन मार्जिनों और डीवीडी–आरडब्ल्यू पर शुल्क जारी रखने का अपना अनुरोध वापस लेते हुए घरेलू उद्योग के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी यदि शुल्क केवल डीवीडी–आर पर लागू किया जाएगा न कि डीवीडी–आरडब्ल्यू पर ।

129. जहां तक हांगकांग का संबंध है, यद्यपि, जांच अवधि के दौरान उक्त देश से कोई आयात नहीं हुआ है, तथापि, इस बात की पुष्टि की गई है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हांगकांग के पास संबद्ध वस्तु की कोई उत्पादन क्षमता नहीं है और इस देश से निर्यातित अधिकांश वस्तुओं का वास्तव में विनिर्माण अन्यत्र होता है, हांगकांग पर लागू शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में हांगकांग के जरिए अन्य उद्गमों की वस्तु को भेजे जाने की प्रबल संभावना है ।

130. अतः प्राधिकारी क्षति अवधि के लिए परिकलित पाटन एवं क्षति मार्जिन के अनुसार, केवल डीवीडी–आर के संबंध में उपर्युक्त तीनों देशों पर शुल्क लागू किए जाने की तारीख से आगे और 5 वर्ष की अवधि तक शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की रोकथाम की जा सके । प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी चीन जन. गण. तथा चीनी ताइपेई हेतु डीवीडी–आर के लिए इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । जहां तक हांगकांग का संबंध है, पाटन एवं क्षति मार्जिनों के किसी अनुमान के अभाव में हांगकांग के मूल की या वहां से निर्यातित वस्तु के लिए चीन जन. गण. पर लागू शुल्क को लागू करने की सिफारिश की जाती है ।

131. पूर्ववर्ती जांच के निष्कर्षानुसार, शुल्क को निर्धारित शुल्क के रूप में लागू किया गया था । तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित डीवीडी–आर के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अगले 5 वर्ष की अवधि तक निम्नलिखित तालिका के कॉलम–8 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की सिफारिश करते हैं।

**शुल्क तालिका**

| क्र. सं. | उपशीर्ष या टैरिफ मद | वस्तु विवरण | विनिर्देशन | उद्गम का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | निर्यातक | शुल्क की राशि | माप की इकाई | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | 8523 | डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल | डीवीडी - आर तथा डीवीडी + आर | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. | कोई | कोई | 36.67 | प्रति 1000 नग | अम.डा. |
| 2 | -यथोक्त- | -यथोक्त- | -यथोक्त- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. से इतर कोई देश | कोई | कोई | 36.67 | -यथोक्त- | -यथोक्त- |
| 3 | -यथोक्त- | -यथोक्त- | -यथोक्त- | संबद्ध देशों से इतर कोई देश | चीन जन. गण. | कोई | कोई | 36.67 | -यथोक्त- | -यथोक्त- |
| 4 | -यथोक्त- | -यथोक्त- | -यथोक्त- | हांगकांग | हांगकांग | कोई | कोई | 36.67 | -यथोक्त- | -यथोक्त- |
| 5 | -यथोक्त- | -यथोक्त- | -यथोक्त- | हांगकांग | हांगकांग से इतर कोई देश | कोई | कोई | 36.67 | -यथोक्त- | -यथोक्त- |
| 6 | -यथोक्त- | -यथोक्त- | -यथोक्त- | संबद्ध देशों से इतर कोई देश | हांगकांग | कोई | कोई | 36.67 | -यथोक्त- | -यथोक्त- |
| 7 | -यथोक्त- | -यथोक्त- | -यथोक्त- | चीनी ताइपेई | चीनी ताइपेई | कोई | कोई | 22.39 | -यथोक्त- | -यथोक्त- |
| 8 | -यथोक्त- | -यथोक्त- | -यथोक्त- | चीनी ताइपेई | चीनी ताइपेई से इतर कोई देश | कोई | कोई | 22.39 | -यथोक्त- | -यथोक्त- |
| 9 | -यथोक्त- | -यथोक्त- | -यथोक्त- | संबद्ध देशों से इतर कोई देश | चीनी ताइपेई | कोई | कोई | 22.39 | -यथोक्त- | -यथोक्त- |

**त. आगे की प्रक्रियाएं :**

132. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरणों में दायर की जा सकेगी ।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2014

**Final Findings**

**Subject: First Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of 'Digital Versatile Discs-Recordable of all kinds (DVD-R and DVD-RW)' originating in or exported from China PR, Hong Kong and Chinese Taipei.**

**F. No. 15/10/2013-DGAD—**Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules).

**A. Background of the Case**

1. Whereas the Designated Authority, in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Govt. of India, appointed under the Rules supra, (hereinafter referred to as "the Authority"), vide Notification No. 14/17/2007-DGAD dated 20.11.2007, initiated an anti-dumping investigation concerning import of 'Digital Versatile Discs-Recordable (DVD-R and DVD-RW), originating in or exported from China PR, Hong Kong and Chinese Taipei (hereinafter referred to as "subject countries"). The Preliminary Findings were issued by the Authority, *vide* Notification No.14/17/2007-DGAD dated 16.06.2008 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Central Government, vide Notification No. 89/2008-Customs dated 23.07.2008. The Final Findings were issued by the Authority *vide* notification No. 14/17/2007-DGAD dated 19.11.2008, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government, *vide* Notifications No.8/2009-Customs dated 22.06.2009 on the imports of the of the above goods, originating in or exported from the subject countries. The definitive duties were valid for a period of 5 years from 23.07.2008.

2. And whereas M/s. Moser Baer India Limited, the major domestic manufacturer of the subject goods in India, filed a duly substantiated application before the Authority on 03/07/2013, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from subject countries and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, and requested for a review of the same for continuation and enhancement of the anti-dumping duties imposed on the imports of 'Digital Versatile Discs-Recordable (DVD-R and DVD-RW), originating in or exported from the subject countries.

3. And whereas on the basis of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation, vide Notification No. 15/10/2013-DGAD dated 18.07.2013, to review the need for continued imposition of the duties in respect of 'Digital Versatile Discs-Recordable (DVD-R and DVD-RW) (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from the subject countries, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries was extended by the Central Government up to and inclusive of 22$^{nd}$ day of July, 2014, vide Notification No.19/2013-Customs (ADD) dated 29.08.2013.

4. On the request of the Authority the Central Govt. has extended the time period for completion of the Investigation by three months, i.e., up to 17.10.2014, in terms of Rule 17 of the AD Rules.

5. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries.

**B. Procedure**

6. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

i. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2).

ii. The Authority provided access to the copies of the non-confidential versions of the applications to the known exporters and the embassies of the subject countries and other interested parties in accordance with Rules 6(3) supra.

iii. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known producers/exporters in the subject countries and provided them opportunity to make their views known in writing within forty days thereof in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):

**CHINA**

1. Shanghai Suncd Electronic Technology Co. Ltd.
2. Guangdong New Face Laser Technology Co. Ltd.
3. Shantou SEZ Wo Hing Radio & Video Co. Ltd.
4. Foshan Nanhai Pearl Audio& Video Co.
5. Shenzhen Guan Yu Opto Electronics Technology Co. Ltd.
6. Xiamen Liao Sheng Trading Co. Ltd.
7. Shantou Yuehai Audio and Video Co. Ltd.
8. Guangzhou Banana Computer Technology Co. Ltd.
9. Jiangxi Guangxing Science& Technology Development Co. Ltd.
10. Topford Development Limited
11. Umedisc (dongguan) Ltd.

**HONG KONG**

1. Amigos Connection (HK) Ltd.
2. Saitron Technology Ltd.
3. Audio Distributors Co. Ltd.
4. Promedia International Ltd.
5. Topford Developments Hong Kong
6. Optical Disc Manufacturing & Technologies Association Ltd.

**CHINESE TAIPEI**

(1) El Major Technology Co. Ltd.
(2) HIM Technology Inc.
(3) Sunon Media Co. Ltd.
(4) Mintech Technology Co. Ltd.
(5) Melody Technology Corporation
(6) Vanprashth Corporation
(7) Ritek Corporation Taiwan

7. No response or submission has been filed by any of the producers/exporters from the subject countries.

8. China being a Non-Market Economy country, a Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to all the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation the normal value in China was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China

PR were, therefore, requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 of Annexure I referred above to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in that country. However, no response has been received from the producer/exporters from China PR in this regard.

9. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known importers/consumers of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority) and advised them to make their views known in writing within forty (40) days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

(1) Rashi Peripherals Pvt. Ltd.
(2) Dynamic Overseas
(3) Jas International
(4) hanix Overseas
(5) Aditya Enterprises
(6) Veeline Media Ltd.
(7) Himalayan Times Pvt. Ltd.
(8) Allied Electronics and Magnetics Ltd.
(9) Rana Peripherals Pvt. Ltd.
(10) Baba International Pvt. Ltd.
(11) Anant Electronics Pvt Ltd
(12) Computer Skill Limited
(13) Super Cassettes Industries Limited ,
(14) Super Cassette
(15) Global Infitech
(16) Solar Compact Disc Private Limited
(17) Diamond Disc Private Limited
(18) Futuristic Concepts Media Ltd
(19) Jet Speed Audio Private Limited
(20) Powercube Infotech Pvt.Ltd
(21) Saregama Regency Optimedia Private Limited
(22) Sony Dadc Manufacturing India Pvt. Ltd.
(23) SP Soft Digital Media Private Limited
(24) Pearl Engineering Co. (Unit-II)
(25) Product Reach Private Limited
(26) Siddharth Optical Disc Pvt. Ltd.
(27) Anant Electronics Private Limited
(28) Arihant Electronics
(29) Global Infitech
(30) Jet Speed Audio Private Limited
(31) Diamond Disc Private Limited

10. No response or submission, by way of response to the questionnaire, has been submitted by any of the importers/users/other interested parties.

11. A copy of the initiation notification was also sent to the following other known domestic producers of the subject goods, namely, (i) M/s. Euro Multivision Ltd. (ii) M/s. Jupiter International Limited, (iii) M/s. Next Star Digital and (iv) M/s. Shanti Plast. M/s. Euro Multivision Ltd. has supported the petition. Other producers have not responded.

12. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April, 2012 to 31st March, 2013. The examination of trends in the context of injury analysis covers the periods April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, April 2011-March 2012 and the POI. Further, the Authority has also examined the post-POI (April 2013-March 2014) data to analyse the trends for the purpose of likelihood assessment.

13. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of import data of the subject goods for the injury period (April 2009-March 2010, April 2010-March 2011,

April 2011-March 2012), including the POI (April 2012- March 2013) and also the post-POI (April 2013-March 2014). The Authority has relied on the DGCI&S data for the analysis in this regard.

14. Exporters, producers, importers and other interested parties, who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.

15. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

16. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to work out the cost of production and determined the non-injurious price of the subject goods in India, as per its consistent practices, so as to ascertain if anti-dumping duty, lower than the dumping margin, would be sufficient to remove injury, if any, to the domestic industry.

17. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 11.06.2014, which was attended only by the domestic industry and their representatives. The domestic industry was requested to file written submissions of their views expressed orally.

18. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority, have been addressed in this finding.

19. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producer was carried out to the extent deemed necessary.

20. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

21. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has used 'best information available' and has treated such parties as non-cooperative.

22. The Authority disclosed the essential facts of the case to all interested parties in the form of a disclosure statement on 24th September 2014. The interested parties were given an opportunity to comment on various aspects of the investigations disclosed in the statement by 30th September 2014. No comment has been received from any interested party except the domestic industry. The comments received from the domestic industry have been considered to the extent they are relevant and have been appropriately addressed in this finding.

23. In this finding '***' represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

24. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.54.65 = 1 US$.

**C. Scope of Product Under Consideration and Like Article**

25. The product under consideration in the original investigation was defined as "Recordable Digital Versatile Discs [DVDs] of all kinds. DVDs can be of a number of types, such as DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, mini DVD-R, mini DVD-RW, mini DVD+R, mini DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL. A DVD can be recorded once or several times."

**C.1 Submissions made by the Domestic Industry_**

26. The domestic industry, in its post initiation submissions has requested the Authority to drop all types of rewritable DVDs (DVD-RWs) from the scope of product under consideration in the review investigation and to treat their

petition with respect to this product (DVD-RW) for continuation of the antidumping duty as withdrawn. In this regard the domestic industry has *inter alia* submitted that

I. About 99.9% of the production and sales by the domestic industry in the domestic market pertains to DVD-Rs. Demand for DVD-RWs is extremely limited and therefore, exclusion of DVD-RWs would not cause significant injury to the domestic industry while withdrawal of anti-dumping duty on the DVD-Rs would cause material injury.

II. DVD-Rs and DVD-RWs cater to entirely different market segments. While imports of DVD-Rs from the subject countries are at a very low and dumped prices and therefore, likely to cause injury to domestic industry if the duty is not extended, the imports of DVD-RWs are at higher prices and domestic industry may not suffer injury at those prices, given the low market size of DVD-RWs.

III. The price at which imports of DVD-Rs are being made from subject countries clearly shows likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, in case anti dumping duty is withdrawn. The imports of DVD-RWs are at higher prices and could lead to negative average dumping margin and/or injury margin. However, that does not mean that the low priced dumped imports of DVD-Rs would not cause injury. It only means that averaging of DVD-RWs and DVD-Rs would show distorted results with regard to dumping and injury. Therefore, in order to remove the distortion, it would be appropriate to restrict the scope of the product under consideration to cover only DVD-Rs. Import price of DVD-Rs would clearly show likelihood of dumping and injury in case the anti-dumping duty is withdrawn.

IV. Since 99.9% of the domestic industry market is DVD-Rs, the domestic industry is primarily concerned with the imports of DVD-Rs. Accordingly, the domestic industry has requested the Authority to consider the revised scope of the product under consideration excluding DVD-RWs.

27. In support of its argument for revision of the scope of the product under consideration in this sunset review investigation, the domestic industry has further submitted that the Designated Authority has, in several past review cases, revisited the scope of product under consideration and therefore, there is no bar on such a review in this case.

28. The domestic industry has further argued that deletion of one product type from the scope of the investigation would not amount to zeroing for the purpose computation of dumping margin. It has been submitted that in zeroing practices the product continues to attract ADD while the negative dumping margins of that product type is assigned a zero value. But in this case the domestic industry is requesting for deletion of the product type (DVD-RWs) from the scope of the investigation itself and it would not attract the duty. Therefore, it would not amount to zeroing. The domestic industry has further submitted that exclusion of DVD-RWs from the scope of the product scope has been sought owing to its negative dumping margin, thereby acting judiciously and not seeking unwarranted protection.

29. In its post disclosure submissions the domestic industry has reiterated its arguments on the product under consideration. It has been submitted that the request of the domestic industry for exclusion of DVD-RWs is not for the reason that DVD-Rs and DVD-RWs are two distinct products. The request is for the reasons (a) while there is technical substitutability between the two products, there is no commercial substitutability as far as consumers are concerned, (b) while producers can switch between the two types, consumers cannot, (c) the dumping margin and injury margin in DVD-Rs are positive, while the same are negative in case of DVD-RWs, (d) more than 99% of domestic sales in the Indian market and about 98% of the exporters' sales in third countries constitute DVD-Rs. The market for DVD-RWs is extremely limited, (e) in view of significant price difference between DVD-Rs and DVD-RWs, cessation of anti dumping on DVD-RWs shall not lead to injury to the domestic industry in respect of DVD-Rs, (f) the likelihood of injury to the domestic industry is from the dumping and injury in case of DVD-Rs. No likelihood of dumping and injury in DVDRW does not imply no likelihood of dumping and injury in DVD-Rs, (g) while actual volume of imports may be relevant for the purpose of deciding actual dumping and injury, sales volumes of the domestic industry and export volumes of the exporters in third countries are relevant for likelihood determination, (h) while the domestic industry achieved a price higher than NIP in case of DVD-RWs, domestic industry NSR for DVD-Rs was lower than NIP, which further establishes difference in the two types. Therefore, while DVD-Rs and DVD-RWs constitute one product, these are two different and distinct types of the product under consideration. It has been further submitted that the Designated Authority has in the past differentiated in distinct product types and restricted the scope of product under consideration by excluding some product types even when the excluded and included product remains same product only.

**C.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

30. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

**C.3 Examination by the Authority**

31. The product under consideration (PUC), as defined in the original investigation, was Digital Versatile Discs-Recordable of all kinds (DVD-Rs and DVD-RWs). Recordable Digital Versatile Discs [DVDs] can be of a number of types, such as, Writable DVDs such as DVD-R, DVD+R, mini DVD-R, mini DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL and Re-writable DVDs such as DVD-RW, DVD+RW, mini DVD-RW, mini DVD+RW etc. It was further noted that to allow information to not only be written but also re-written many times over, DVD-RW, DVD+RW (Re-writable) disc construction is more complex than that of DVD-R and DVD+R. The recording side of a rewritable disc also uses multiple layers beginning with a polycarbonate plastic substrate containing a shallow spiral groove extending from the inside to the outside diameter of the disc.

32. The present investigation being a sunset review, the product under consideration should normally remain the same as in the original investigation. However, the Authority notes that Domestic Industry has requested the authority to remove DVD-RWs from the scope of the present investigation and the review to be conducted in respect of DVD-Rs only. The basic arguments extended by the domestic industry for exclusion of DVD-RWs from the present investigation are that almost 99.9% of production of the domestic industry constitutes DVD-Rs only and due to the price differential between DVD-Rs and DVD-RWs the dumping and injury parameters are getting distorted. The domestic industry has further argued that the likelihood of injury to DVD-Rs segment is more prominent whereas due to the price differential, import of DVD-RWs would not cause significant injury to the domestic industry.

33. The Authority notes that none of the interested parties has contested the request made by the domestic industry or submissions made in respect of the scope of product under consideration in this review investigation. However, the authority has examined the submissions of the domestic industry with reference to existing jurisprudence on the subject in the absence of any submission/view on behalf of any other interested parties.

34. Examination of the production process and usage of both the products reveals that though both DVD-Rs and DVD-RWs fall within the broad definition of Recordable Digital Versatile Discs; they are in fact two separate and distinguishable types of products, both in terms of their manufacturing process and end use. DVD-RW, DVD+RW disc construction is more complex than that of DVD-R and DVD+R (recordable) so as to allow information to not only be written but also re-written many times over, and therefore, their cost and price structures are also different. DVD-Rs are used primarily for permanent data storage and sold to software and entertainment sector, which includes recording Movies, Photos, Hospital, Rental, Games & Computers application areas, etc. for one time recoding and multiple use, whereas DVD-RWs are used for data collection, storage and transfers multiple times. The consumers of DVD-Rs would not use DVD-RWs, for the reason that the price difference between DVD-Rs and DVD-RWs is materially significant. The products are clearly not *inter se* substitutable. Due to these reasons DVD-Rs and DVD-RWs should have been treated as two distinct products rather than product types within the same broad product category. However, on the request of the domestic industry both the products were included as two product types in the original investigation. Therefore, the question arises whether one product type can be excluded from the scope of the product under consideration in a sunset review. The matter has been examined with reference to existing practices and jurisprudence on the issue.

35. In EC Salmon Case, (Panel Report- European Communities- Antidumping Measures on farmed Salmons from Norway-WT/D5337/R 16th November 2007) Norway argued that internal homogeneity of the product under consideration is mandatory under ADA. Norway stated that if Cars and Bicycles are treated as one product in an investigation it would not be known whether some or all of the products are dumped. The Panel, while rejecting the argument, noted that: "we are not persuaded by Norway's extreme examples. Any grouping of products into a single product under consideration will have its repercussions throughout the investigation, and the broader such grouping is, the more serious such repercussions might be, complicating the investigating authority's task of collecting and evaluating relevant information and making determination consistent with the AD Agreement."

36. The above observations of the Panel in Salmon case, though does not provide a clear answer to the above question, may imply that once a product under consideration is defined including several product types in an investigation, subsequent reviews also need to examine the need for continuation of the duty on the product as a whole based on same set of product types. DI has submitted that there are several cases in which Designated Authority has altered the scope of the product under consideration in a review. But examination of the cases referred indicates those reviews are in different contexts. In the instant case in the original investigation DVD-Rs and DVD-RWs had been treated as two product types and dumping margin and injury margins were determined for product as a whole. Therefore, any alteration of the product by deleting a product type could have implication in terms of dumping and injury determination as has been contended by the domestic industry themselves. Therefore, it would not be appropriate to exclude one type of product from the scope of the product under consideration. Accordingly, the Authority considers it necessary to examine both dumping, injury and likelihood of dumping and injury in this review investigation with reference to the product under consideration in the original investigation. Therefore, the scope of the product under consideration covers both DVD-Rs and DVD-RWs as in the original investigation.

37. The Authority further notes that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject countries is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, goods produced by the domestic industry and imported from subject countries are like articles in terms of the Rules.

38. The definitive Anti-dumping Duty has been imposed by the Central Government vide Customs Notification No.8/2009-Customs dated Jan/22/2009 under the Customs Head 85234160 and 85234940. The PUC is classified under Customs Heading 85234160 and 85234940 of the first schedule of the Customs Tariff Act, 1975. However, customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

39. The petitioner constituting domestic industry in the present SSR investigation has the capacity to manufacture the product under consideration.

**D. Domestic Industry and Standing**

**D.1 Submissions by the Domestic Industry**

40. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:

i. The Petitioner has submitted that there are four other known producers of the product under consideration in the country – namely, M/s. Euro Multivision Limited, M/s. Jupiter International Limited, M/s Next Star Digital and M/s. Shanti Plast.

ii. However, the petitioner, i.e. M/s. Moser Baer India Ltd., commands more than 86% share in Indian production of the subject goods during the POI and, therefore, constitute domestic industry and satisfy the standing requirement for the purpose of this investigation.

**D.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

41. None of the exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

42. M/s Euro Multivision Limited has supported the petition, but has not filed relevant questionnaire response.

**D.3 Examination by Authority**

43. The Authority notes that there are other known producers of the subject goods in the country namely M/s. Euro Multivision Limited, M/s. Jupiter International Limited, M/s. Next Star Digital and M/s. Shanti Plast. M/s. Euro Multivision Limited has supported the petition. There were no response from M/s. Jupiter International Limited,

M/s. Next Star Digital and M/s Shanti Plast. There is no opposition from any interested party in the present investigation. The production of the applicant producer constitutes major portion of the total production of the subject goods and therefore, the applicants constitute domestic industry within the meaning of the term as per the AD Rules.

**E. Determination of current Dumping and likelihood of continuation or recurrence of dumping**

**E.1 Legal Positions**

44. Section 9A (5) of Customs Tariff Act, 1975 provides that:-

*"The anti dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:*

*Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;*

*Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year."*

45. Accordingly, a sunset review investigation is to examine:

- Whether the dumping continues after imposition of the antidumping duty and if so, whether it is likely to continue;
- In cases where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties;
- Whether the domestic industry continued to suffer material injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are removed;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

46. Therefore, the Authority has first proceeded with the examination whether dumping of the subject goods continues from the subject countries and whether dumping is likely to continue or recur if the duties are revoked, before proceeding to examination of injury and the likelihood of continuation or recurrence of injury.

**E.2 Examination of Continuation of Dumping: Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins**

**E.2.1 Views of the Domestic Industry**

47. The petitioner domestic industry has submitted that that China being a non market economy, normal value of the subject goods in that country cannot be determined on the basis of price prevailing in that country and therefore, needs to be constructed. With regard to determination of a normal value in China the domestic industry has inter alia argued that:

I. Market economy status cannot be granted unless the responding exporter/company and its group as a whole make a claim. In the present case, there is no claim for market economy treatment. None of the Chinese exporters have filed questionnaire response, nor claimed market economy treatment.

II. In the original investigations, the Authority had not granted market economy treatment to any of the exporters from China and determined the normal value in China on the basis of the constructed normal value based on the estimated cost of production of the subject goods in China with reasonable profit in terms of Para 7 & 8 of the Annexure 1 to the said Rules as amended. Authority should consider the same methodology to calculate the normal value for China PR in the current investigation.

III. The normal value in China can be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. Normal Value in China should be determined on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

IV. The normal value in China may be constructed by considering international price of the raw material and adopting the consumption norms and conversion cost as per the best information available, including that of the domestic industry.

V. As far as Hong Kong and Chinese Taipei are concerned, there is no response from any exporter, or any other interested party, providing any information about the normal values in those countries. In the absence of response from these countries the normal values for these countries should also be constructed by considering international price of the raw materials and adopting the consumption norms and conversion cost as per the best information available, including that of the domestic industry.

**E.2.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

48. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

**E.2.3 Examination of Market Economy Claims and Determination of Normal Value in China PR**

49. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption that China PR is a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in China to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters has filed any response. The Authority notes that in the past years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members.

50. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

51. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provide that:

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."*

52. Since no other reasonable information has been provided by any interested party for determination of Normal Value in China PR, the normal value has been constructed on the basis of the cost of production of the efficient domestic producer in India after making due adjustment for the international prices of major raw material. The Authority has also provided for reasonable profit as per its consistent practice. Accordingly, constructed normal value for Chinese exporters has been worked out as follows:

| Constructed Normal Value | DVD-Rs | DVD-RWs |
|---|---|---|
| | Rs./pcs | Rs./pcs |
| Raw Material cost as per International Prices | **** | **** |
| Utilities | **** | **** |
| SGA including Interest | **** | **** |
| Profit | **** | **** |
| CNV (Rs/PC) | **** | **** |
| CNV USD/ '000 pcs | **** | **** |
| Exchange Rate US$= 54.65 INR | | |

53. Accordingly, the constructed normal values for China for DVD-Rs and DVD-RWs have been determined as US$ ****and US$ ****per thousand pieces respectively.

**E.3 Determination of Normal Values in Hong Kong and Taiwan**

54. Since none of the producers and exporters in Hong Kong and Chinese Taipei has submitted any evidence with regard to the Normal Values of the subject goods in those countries, the Authority is constrained to determine the normal values in these countries based on best facts available, including the information contained in the petition of the domestic industry. Accordingly, Authority has constructed the normal values in Hong Kong and Chinese Taipei on the basis of the cost of production of the efficient domestic producer in India after making due adjustment for the international prices of major raw materials, as the best information available, with due provision for a reasonable profit. Accordingly, proposed Normal values of the subject goods in Hong Kong and Chinese Taipei have been determined as US$ **** and US$ **** per thousand pieces for DVD-Rs and DVD-RWs respectively.

**E.4 Export Prices**

55. As none of the exporters of the subject countries has provided any information that can be used for determination of the export price, the Authority has determined the export prices for all exporters from subject countries on the basis of CIF prices of imports to India as per DGCI&S data.

56. The authority notes that there is no import of DVD-R from Hong Kong during the POI as per DGCI&S data. Import of DVD-Rs from China PR and Chinese Taipei during the POI was also small. DGCI&S data reports only 1.56 lakh pcs of DVD-Rs were imported from China PR and 10,000 pcs were imported from Chinese Taipei. As far as DVD-RWs is concerned, again there is no import from Hong Kong and DGCI&S data reports that only 2.71 lakh pcs were imported from China PR and 92,000 pcs imported from Chinese Taipei. In the absence of any other credible information the Authority has relied upon these transactions to estimate the export prices from China PR and Chinese Taipei. No export price could be determined in respect of Hong Kong.

57. Export prices from the China PR and Chinese Taipei have been calculated on the basis of CIF prices from the DGCI&S data with applicable adjustments for Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Commission, Inland transportation in the country of export, clearing charges and Bank Charges as per best information available, in the absence of concrete information from the respective exporters in the subject countries, to arrive at the export prices at the ex-works level. Accordingly, export price from these countries have been worked out as follows:

| Particulars | Unit | China PR | | Taiwan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DVD-R | DVD-RW | DVD-R | DVD-RW |
| Volume of Imports | Lac Pcs | 1.56 | 2.71 | 0.10 | 0.92 |
| CIF Value of Imports | Rs. Lacs | 8.72 | 123.30 | 0.65 | 34.25 |
| CIF Price | Rs./Pc | 5.59 | 45.50 | 6.36 | 37.07 |
| Ocean Freight | Rs./Pc | **** | **** | **** | **** |
| Marine Insurance | Rs./Pc | **** | **** | **** | **** |
| FOB Export Price | Rs./Pc | **** | **** | **** | **** |
| Port Expenses @ 0.50 % | Rs./Pc | **** | **** | **** | **** |
| Inland Freight @ 0.50 % | Rs./Pc | **** | **** | **** | **** |
| Handling charges @ 1% | Rs./Pc | **** | **** | **** | **** |
| Clearing charges @ 1% | Rs./Pc | **** | **** | **** | **** |
| Bank charges | Rs./Pc | **** | **** | **** | **** |
| VAT @ 4% | Rs./Pc | **** | **** | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Export Price | Rs./Pc | 3.39 | 41.31 | 5.57 | 35.02 |
| Exchange rate- US$ | INR | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 54.65 |
| Net Export Price | US$/'000 Pcs | 62.08 | 755.85 | 101.97 | 640.80 |

**E.5. Dumping Margins**

58. The normal values so determined for the subject countries, as per the methodology indicated above, have been compared with the respective export prices at the ex-factory level so determined in the foregoing paragraphs, to arrive at the dumping margin for all the producers/exporters in the subject countries as follows:

| | China PR | Hong Kong | Taiwan |
|---|---|---|---|
| **DVD-Rs** | | | |
| Constructed Normal Value (US$)/'000 pcs | **** | **** | **** |
| Ex-factory Export Price to India (US$)/'000 pcs | 62.08 | - | 101.97 |
| Dumping margin (US$)/'000 pcs | **** | **** | **** |
| Dumping margin (%) | **** | **** | **** |
| Dumping margin (range %) | 100-120% | | 25-35% |
| **DVD-RWs** | PRC | Hong Kong | Taiwan |
| Constructed normal value (US$)/'000 pcs | **** | **** | **** |
| Ex-factory export price to India(US$)/'000 pcs | 755.85 | - | 640.80 |
| Dumping margin(US$)/'000 pcs | (****) | - | (****) |
| Dumping margin (%) | (****%) | - | (****%) |
| Dumping margin (range %) | (60-70%) | | (50-60%) |
| **Weighted Average Dumping Margin for the PUC** | | | |
| Weighted Average DM US$/'000Pcs | (****) | | (****) |
| % | (**) | | (**) |
| Dumping margin (range %) | (10-20%) | | (50-60%) |

59. The above assessment indicates that while the DVD-Rs continue to enter the Indian market, from China PR and Chinese Taipei, at dumped prices, DVD-RWs are entering the Indian market at un-dumped prices. Overall dumping margin for the product as a whole is negative. However, as noted earlier, the volume of imports of the subject goods being low during the POI and considering the fact that the duty was in force during this period, the dumping margin calculated above may not reflect the true picture of the likely scenario if the duties are revoked. Therefore, the Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods in the succeeding paragraphs:

**F. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping**

**F.1 Views of the Domestic Industry**

60. The petitioner domestic industry has submitted that there is a history of dumping of the subject goods from various countries, apart from the countries under investigation in this review. After imposition of definitive duty on the subject goods from the subject countries on 2009 the goods started to be imported from several other countries at dumped prices and the authority conducted a separate investigation against imports of Digital Versatile Disc Recordable (DVD-Rs and DVD-RWs) originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam and recommended imposition of anti-dumping duty against imports of product under consideration from Malaysia, Thailand and

Vietnam. Definitive antidumping duties were imposed vide notification dated 28th September, 2010. The Authority, thereafter, conducted mid-term review wherein the duty was enhanced against imports of subject goods from Vietnam. The Ministry of Finance imposed the enhanced duty vide notification dated 31st December, 2013.

61. It has been argued that China continues to be one of the largest producers and exporters of DVDs which is evident from their volume of exports to world market. Their capacity and production far exceeds the domestic demand in China. In 2012-13 China exported about 2337.90 Million pieces of Discs to the world market. The prices at which it is being exported to various markets clearly indicate that dumping will continue or intensify if the duties are removed. Taiwan also continues as one of the largest exporters of DVDS to the global market

Chinese export of DVD to World Market 2012-13

| | DVDR | | | DVDRW | | | DVDR + DVD RW | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Countries | Sum of Quantity | Sum of Value (USD) | Average Price USD/ 000 PCs | Sum of Quantity | Sum of Value (USD) | Average Price USD/ 000 PCs | Total Quantity | Sum of Value (USD) | Average Price USD/ 000 PCs |
| **Total Chinese Exports** | **2281523710** | **227640705** | **99.78** | **56381158** | **13950436** | **247.43** | **2337904868** | **241591141** | **103.34** |
| United States | 312731248 | 32482841 | 103.87 | 937275 | 238934 | 254.92 | 313668523 | 32721775 | 104.32 |
| Brazil | 300821245 | 29825997 | 99.15 | 6442723 | 1599651 | 248.29 | 307263968 | 31425648 | 102.28 |
| Myanmar | 200933450 | 19444786 | 96.77 | 100000 | 26000 | 260.00 | 201033450 | 19470786 | 96.85 |
| Nigeria | 147778381 | 13985670 | 94.64 | | | | 147778381 | 13985670 | 94.64 |
| Chile | 135994796 | 13527776 | 99.47 | 1759800 | 435766 | 247.62 | 137754596 | 13963542 | 101.37 |
| Netherlands | 130150000 | 13777977 | 105.86 | 919800 | 220823 | 240.08 | 131069800 | 13998800 | 106.80 |
| Pakistan | 71326136 | 7159586 | 100.38 | 1129200 | 259824 | 230.10 | 72455336 | 7419410 | 102.40 |
| Panama | 63542400 | 6481785 | 102.01 | 60000 | 14780 | 246.33 | 63602400 | 6496565 | 102.14 |
| South Africa | 56795158 | 5812963 | 102.35 | 970275 | 239277 | 246.61 | 57765433 | 6052240 | 104.77 |
| United Kingdom | 54526082 | 5568245 | 102.12 | 800840 | 202589 | 252.97 | 55326922 | 5770834 | 104.30 |
| Kirghizia | 46312500 | 4695869 | 101.40 | 5946970 | 1445659 | 243.09 | 52259470 | 6141528 | 117.52 |
| Ecuador | 52128700 | 5240666 | 100.53 | | | | 52128700 | 5240666 | 100.53 |
| Kenya | 38654820 | 3802405 | 98.37 | 1080000 | 246000 | 227.78 | 39734820 | 4048405 | 101.89 |
| Vietnam | 28092400 | 2715148 | 96.65 | 8961025 | 2151038 | 240.04 | 37053425 | 4866186 | 131.33 |
| Taiwan | 33912700 | 3185276 | 93.93 | 18424 | 4583 | 248.75 | 33931124 | 3189859 | 94.01 |
| Benin | 32734656 | 3025229 | 92.42 | | | | 32734656 | 3025229 | 92.42 |
| Venezuela | 31102115 | 2991852 | 96.19 | | | | 31102115 | 2991852 | 96.19 |
| Philippines | 31048200 | 3056309 | 98.44 | | | | 31048200 | 3056309 | 98.44 |
| Hong Kong | 30316400 | 2932563 | 96.73 | 633000 | 150418 | 237.63 | 30949400 | 3082981 | 99.61 |
| Mexico | 29289000 | 2878442 | 98.28 | | | | 29289000 | 2878442 | 98.28 |
| Uruguay | 28233400 | 3081005 | 109.13 | | | | 28233400 | 3081005 | 109.13 |
| Sri Lanka | 22264480 | 2186406 | 98.20 | 1040320 | 262406 | 252.24 | 23304800 | 2448812 | 105.08 |
| Malaysia | 20123638 | 1972862 | 98.04 | 2959900 | 715076 | 241.59 | 23083538 | 2687938 | 116.44 |
| Poland | 20415200 | 1989325 | 97.44 | 214200 | 50725 | 236.81 | 20629400 | 2040050 | 98.89 |
| Germany | 19372300 | 2007793 | 103.64 | 596470 | 154222 | 258.56 | 19968770 | 2162015 | 108.27 |
| Tadzhikistan | 19520944 | 2037718 | 104.39 | 258000 | 65400 | 253.49 | 19778944 | 2103118 | 106.33 |
| United Arab Emirates | 18371100 | 1799457 | 97.95 | 2000 | 480 | 240.00 | 18373100 | 1799937 | 97.97 |
| Ukraine | 17768760 | 1742725 | 98.08 | | | | 17768760 | 1742725 | 98.08 |

DATA SOURCE: China Customs data

62. It has been further argued by the domestic industry that Ritek is one of the known major exporters of the product under consideration having production facilities in Taiwan, China and Vietnam. After imposition of anti dumping duty and with a view to circumvent anti dumping duty on imports from Taiwan, Ritek set up some manufacturing facilities in Vietnam and started dumping from Vietnam. Ritek did not cooperate with the Designated Authority when the investigations were being conducted in respect of imports from Taiwan. However, when the Designated Authority initiated investigations in respect of Vietnam, Ritek responded and participated fully in the investigations. Significantly low quantum of anti dumping duty was imposed on Ritek in respect of imports from Vietnam. The company intensified dumping from Vietnam and continued to export from Vietnam. Imports from Taiwan and China remained very low in volumes during this period. The domestic industry filed petition for review in respect of imports from Vietnam in view of intensified dumping. The company did not respond to the midterm review. The Designated Authority, after conducting detailed investigation, recommended imposition of enhanced duty on imports from Vietnam, which was subsequently imposed by Ministry of Finance. Under these circumstances, in case the present anti dumping duty is removed from Taiwan and China, the company will shift back dumping from Taiwan or China, wherever duty is removed. Further, the price at which the company was exporting the goods from Vietnam during the present POI is clearly suggestive of the price at which the company would dump from Taiwan and China in case of cessation of anti dumping duty.

63. With regard to Hong Kong, the domestic industry has submitted that though there is no import from Hong Kong during the period under investigation there is a strong likelihood of dumping recurring from Hong Kong. It has been argued that though there is no full-fledged production facility in Hong Kong, China Customs data shows that the product is being imported from China PR into Hong Kong in significant volumes at prices much below the estimated normal value in China.

**Exports from China PR to Hong Kong**

| **Particulars** | **Unit** | **DVD-R** | **DVD-RW** |
|---|---|---|---|
| Imports | Pcs | 21,044,200 | 3,00,000 |
| Export price | US$/000Pcs | 93.25 | 224.82 |

64. The domestic industry argues that it is evident from the volumes of exports to Hong Kong that these imports from China are intended for further export. The volumes are too high to be consumed by users in Hong Kong – more so given the nature of the product and size of the Country. A report issued by the Government of Hong Kong, Census and Statistics Department states that 95% of total electronics exports from Hong Kong were re-exports. In other words, the goods were imported into Hong Kong (significant share from China) and then exported to several countries. While the report encompasses all electronics, it is submitted that this information supports the claim that there is, in general, a high tendency for re-export from Hong Kong in respect of electronics. Even otherwise, it is a general knowledge that Hong Kong is a significant trading hub – importing the goods from various countries and exporting to various countries. The data clearly shows significant imports of DVDs into Hong Kong from China, which has been thereafter exported from Hong Kong to other countries. Therefore, in the event of revocation of duties, these exports will be diverted to India. This establishes clear likelihood of intensified dumping in the event of revocation of anti dumping duty.

65. Domestic industry further argues that all the investigations in the past concluded on DVDs have shown significant dumping of these products thereby establishing history of dumping by global producers.

| **Sl No** | **Product** | **POI** | **Country** | **Dumping margin %** | **ADD US$/1000 pcs** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVD-1 | April 2006 to June 2007 | China PR | 64.72 | 68.11 - 48.11 |
| | | | Hong Kong | 62.96 | 66.72 |
| | | | Chinese Taipei | 63.50 | 45.63 |
| 2 | DVD-2 | April 2008 to March 2009 | Malaysia | 34.05 | 35.92 |
| | | | Thailand | 22.51 | 25.98 |
| | | | Vietnam | 64.09 | 29.75 - 50.51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DVD-3 (MTR) | April 2011 to March 2012 | Vietnam | 105-115 | 73.01 |

66. Therefore, in the event of cessation of anti-dumping duty, these exporters will get a greater opportunity to dump the product under consideration into India, taking away the market share of the domestic industry. The remaining market opportunity for the domestic industry, if taken away by the dumped imports, the Indian producers would be left with no options but to suffer heavy losses to sustain in the market or to close their plants.

67. It has been argued that producers of subject goods in subject countries maintain huge capacities. The domestic industry has submitted that as per the import data, there are almost 178 producers/exporters of product under consideration in China alone. Domestic industry has provided the following information on the estimated capacities of some of producers in China PR and Chinese Taipei to illustrate the fact of surplus capacities in these countries enabling them to dump the goods in the event of revocation of the duty though no direct evidence has been provided:

| **SN** | **Name** | **Capacity/Production (C/P)** |
|---|---|---|
| **China** | | |
| 1. | Guangdong New Face Laser Technology Co. Ltd | 100 million pieces per month (C) |
| 2. | Shanghai Suncd Electronics Technology Co. Ltd | 300,000 CD ROMs and 160,000 DVD5s, DVD9s and VCDs daily (P) |
| 3. | Shantou S.E.Z. Wo Hing Radio & Vedeo Co. Ltd | 8 Million CDR and 15 million of DVDR every month. 16 optical disc production lines. |
| 4. | Guangxing Trading Group Co. (Macao) | 5,000,000 Piece/Pieces per Month |
| 5. | Guangzhou Banana Digital Company Limited | 140,000,000 Pcs/year (P) |
| 6 | Shenzhen Guanyu Opto Electronics Technology Co., Ltd. | 20 million pieces per month (P) |
| 7 | Shenzhen Topford Development Limited | 20 Million Pieces (C) |
| **Taiwan** | | |
| 8 | Mintech Technology Co., Ltd. | 500000 Piece/Pieces per Month 1 million/month |
| 9 | Vanprasth Corporation. | US$10 Million - US$50 Million total annual sales volume |
| 10 | El Mejor Technology Co., Ltd. | 50000000 Piece/Pieces per Month |
| 11 | Melody Technology Corp. | US$10 Million - US$50 Million total annual sales volume |

68. As far as Hong Kong is concerned, the domestic industry has submitted that the export from Hong Kong is nothing but the re-exports of the subject goods from China and Taiwan. Therefore, in case of revocation of anti dumping duty on Hong Kong, the volume of imports of the subject goods from China and Taiwan is bound to increase further via Hong Kong.

69. Domestic industry has further argued that export sale of the product under consideration from subject countries to world is significant. Majority of the producers in the subject countries have been exporting the product under consideration rather than selling in their respective domestic markets; which clearly establishes export orientation of the manufacturers in the subject countries. In the event of revocation of duty, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices. Domestic industry has provided the following information to show that the percentage of exports in total turnover by some of the major exporters in the subject countries for both CDs and DVDs, which indicates clear export orientation of these companies and clear indication of recurrence of dumping if duties are revoked:

*Table: Export Orientation*

| Name | Export Percentage |
|---|---|
| **China** | |
| Shantou S.E.Z. Wo Hing Radio & Vedeo Co. Ltd | 98% |
| Guangdong Yuedong Magnetoelectric Co., Ltd. | 80% |
| Shabghai Suncd Electronics Technology Co. Ltd | 21-30% |
| Guangxing Trading Group Co. (Macao) | 61-70% |
| Guangzhou Banana Digital Company Limited | 41-50% |
| **Taiwan** | |
| Mintech Technology Co., Ltd. | 91-100% |
| Vanprasth Corporation. | 91-100% |
| El Mejor Technology Co., Ltd. | 71-80% |
| Melody Technology Corp. | 61-70% |

70. The petitioner domestic industry has further submitted that if the trend of imports of product under consideration is analyzed, it will clearly show that there has been a consistent practice of dumping by different countries in the past. If the anti-dumping duty is imposed on one set of countries, the dumping starts from another set of countries. This shift in imports clearly shows that the importers are deliberately and consciously resorting to dumping and therefore, dumping will recur if duties are revoked.

71. The domestic industry further argues that there is a substantial import of the subject goods from UAE during the injury investigation period and no anti dumping duty is in force against these imports. Considering the production capacity and consumption in UAE, it appears that exports from UAE constitute exports of goods imported into UAE. The petitioner further alleges that the entire imports entering the UAE market are of Chinese origin which is being re-exported to India, possibly after some reprocessing, clearly indicating that Chinese exporters are routing their exports through UAE in order to avoid payment of anti-dumping duty which is evident from the following figures:

| | Volume (Pcs) | Value (USD) |
|---|---|---|
| China exports to UAE-2012 | 18,371,100 | 1,799,457 |
| UAE exports to India-2012 | 17,836,847 | 2,173,853 |

**F.2 Views of other interested Parties**

72. No submission has been made on behalf of any other interested party with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping.

**F.3 Examination by the Authority**

73. The Authority notes that continuation of dumping has been established in case of import of DVD-Rs from China PR and Chinese Taipei as recorded in the previous section though the volume of imports has dropped significantly during the investigation period. Though there is no import from Hong Kong during the investigation period the Authority is required to examine the likelihood scenario in the event of removal of duty on Hong Kong. In this context the domestic industry has made out a case that goods of Chinese and Taiwan origin are likely to enter Indian market through Hong Kong at dumped prices if the duty is revoked against that country on the ground of zero imports. There has been substantial import of the subject goods into Hong Kong both from China and Taiwan during the POI.

74. As far as DVD-RWs are concerned, there is no current dumping though the volume of imports has significantly increased during the investigation period. The domestic industry has clearly indicated that DVD-RWs are being imported at significantly higher prices at present and is not affecting them. It has been submitted that since own production volume of domestic industry is extremely low compared to production and sale of DVD-Rs, import of DVD-RWs will not pose any threat to them in terms of dumping and injury and therefore, investigation against this product may be dropped.

75. The facts available before the Authority and the submissions made by the domestic industry indicates that there is a history of dumping of the subject goods and in the past several investigations have established that the product is highly susceptible to dumping. It has also been established that while there is a declining trend in global demand for the product under consideration significant excess production capacities exist in China and Chinese Taipei for

production of the subject goods. Therefore, in a situation of significant demand supply mismatch there is a very high possibility of the exporters in these two countries resorting to dumping in order to maintain production and minimising losses. Export orientation of the exporters in these countries, volume of exports from these countries and the price at which the goods are being exported as well as past history of dumping would also lead to a similar conclusion. The Authority also notes that export volume of subject goods from China and Chinese Taipei to certain countries and export from those countries to India are significant to indicate some transhipment issues. The prices are also comparable to the prices at which the goods are being exported to India. Therefore, in the event of revocation of duty on China and Chinese Taipei such goods would most likely be diverted to India directly from the subject countries at dumped prices.

76. As far as Hong Kong is concerned, it is true that there has been no export of the subject goods from this country during the injury investigation period. However, considering the fact that Hong Kong does not have any significant production facility of the subject goods within its territory but had exported substantial quantities to India in the past at dumped prices it is likely that the goods exported in the past from Hong Kong were of other origin being re-exported from Hong Kong as substantial quantities are being imported into Hong Kong from China and Taiwan as per the information submitted by the domestic industry. That being the case, if the duty is removed on exports from Hong Kong it is most likely that goods of Chinese or Chinese Taipei origin will again start entering Indian market through Hong Kong at dumped prices.

77. In view of the above and in the absence of any submissions from other interested parties contesting these arguments the Authority concludes that dumping of the subject goods is likely to continue or recur from the subject countries if duties are removed.

**G. Determination of Injury and Causal Link; and Likelihood of Continuation or recurrence of Injury to the domestic industry**

**G.1 Legal Position**

78. As stated in the previous sections in a sunset review investigation, with regard to injury examination the Authority is required to examine:

- Whether the domestic industry continues to suffer injury due to dumped imports and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are revoked; or
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

79. Therefore, the Authority has first examined whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject countries. Thereafter, the Authority has also examined the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties from the subject countries. Examination of material injury to the domestic industry is in accordance with the manner as laid down under Article 3 of the AD Agreement and Annexure II to the AD Rules, 1995.

**G.2 Examination of Current injury to the domestic industry and Causal Links**

**G.2.1 Submissions by the domestic industry**

80. The domestic industry has *inter alia* made the following submissions with regard to the injury and causal link:

i. That there is continued dumping of the product under consideration from China PR and Chinese Taipei, though the volume of dumped imports has declined as a result of current anti-dumping duties. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from these countries should the current anti-dumping duty be revoked.

ii. Though there is no import of the subject goods from Hong Kong during the injury determination period, dumping is likely to recur from Hong Kong once the present duty ceases as Hong Kong imports significant volumes of the product under consideration from China and Taiwan, without such high consumption within that country.

iii. Even though the domestic industry was able to improve its production and sales volumes to some extent, the increase was disproportionate to the increase of demand in India. Further, domestic industry was unable to earn profits in the current period even after imposition of anti-dumping duty which indicates that the domestic industry has not yet recovered from the past ill effects of dumping and revocation of anti-dumping duty shall intensify injury to the domestic industry in future.

iv. Performance of the domestic industry, in terms of profits, return on investments, inventories etc., has deteriorated in the current Period of Investigation.

v. Despite anti-dumping duty being in force, the profits of the domestic industry have declined. Should the current anti dumping duties cease, the domestic industry would be forced to sell its product at a price comparable to import prices. This would mean significant financial losses, negative return on investment and significant cash losses.

vi. Domestic Industry has been prevented from utilizing its capacities to the fullest extent.

vii. Both cost of production and selling prices declined over the period. The decline in the selling price is greater than the decline in the cost of production, resulting in losses.

viii. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry has not shown significant improvements. However, the profitability of the domestic industry has declined.

ix. Despite rising demand and such low prices being offered by the domestic industry due to significant price undercutting of the dumped imports, the inventories have increased.

x. The imports are undercutting the domestic prices. As a result, the domestic industry is faced with price depression in the market. This would result in significant financial losses to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duties.

xi. That in the absence of anti dumping measure, the likelihood of recurrence of dumping and injury cannot be ruled out.

**G.2.2 Submissions by producers/exporters/importers and other interested parties**

81. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions with regard to injury to the domestic industry.

**G.2.3 Examination by the Authority**

82. In the light of the various submissions made by the domestic industry the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of injury on account of dumped imports from the subject countries.

83. Rule 11 of Anti-dumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

84. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, the Authority considers indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock,

profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II of the Rules *supra.*

85. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability of the domestic industry to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

86. The authority notes that the subject goods are at present attracting anti dumping duties on imports from Malaysia, Thailand and Vietnam in addition to the subject countries. The authority has considered the volume and price impact of imports from all these countries along with other sources for determination of injury and causal link, including the likelihood scenario, if the anti dumping duties are withdrawn in respect of the subject countries. For the purpose of this review the injury to the domestic industry, on account of dumped imports of the subject countries, has been assessed cumulatively.

87. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined to assess the impact on the domestic industry as follows:

**G.4 VOLUME EFFECT**

**i. Import Volume & Share of the subject countries**

88. For examination of the volume and prices of the imports from various sources the authority has relied upon the transaction wise data from DGCI&S. The summarised import data for DVD-Rs & DVD-RWs during the injury period are as follows:

| **Particulars** | **Unit** | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** | **2012-13 (POI)** | **2013-14 (Post POI)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DVD-Rs** | | | | | | |
| **Subject Countries** (Dumped Imports) | Lac.Pcs | 7.20 | 24.16 | 2.04 | 1.66 | 0.75 |
| China PR | Lac.Pcs | 6.60 | 20.27 | 2.04 | 1.56 | 0.75 |
| Hong Kong | Lac.Pcs | - | 2.40 | - | - | - |
| Taiwan | Lac.Pcs | 0.60 | 1.49 | - | 0.10 | - |
| **Countries already attracting duties** | Lac.Pcs | 729.66 | 336.11 | 271.99 | 121.50 | 43.01 |
| **Other Countries** | Lac.Pcs | 96.35 | 282.89 | 295.85 | 174.08 | 189.43 |
| UAE | Lac.Pcs | 91.10 | 225.94 | 249.81 | 160.92 | 189.40 |
| Other than UAE | Lac.Pcs | 5.25 | 56.95 | 46.04 | 13.16 | 0.03 |
| **Total Imports** | Lac.Pcs | 833.22 | 643.16 | 569.88 | 297.24 | 233.18 |
| **DVD-RWs** | | | | | | |
| **Subject Countries** | Lac.Pcs | 2.48 | 6.66 | 2.47 | 3.63 | 1.67 |
| China PR | Lac.Pcs | 1.55 | 5.67 | 0.48 | 2.71 | 0.29 |
| Hong Kong | Lac.Pcs | - | - | - | - | - |
| Taiwan | Lac.Pcs | 0.93 | 0.99 | 1.99 | 0.92 | 1.38 |
| **Countries already attracting duties** | Lac.Pcs | 0.20 | 0.75 | 0.37 | 0.36 | 2.05 |
| **Other Countries** | Lac.Pcs | 8.86 | 4.56 | 1.95 | 1.68 | 0.37 |
| UAE | Lac.Pcs | 0.08 | - | - | - | - |
| Other than UAE | Lac.Pcs | 8.79 | 4.56 | 1.95 | 1.68 | 0.37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Imports** | Lac.Pcs | 11.54 | 11.97 | 4.80 | 5.67 | 4.09 |
| **DVD-Rs + DVD-RWs** | | | | | | |
| **Subject Countries** | Lac.Pcs | 9.68 | 30.83 | 4.51 | 5.30 | 2.42 |
| China PR | Lac.Pcs | 8.15 | 25.94 | 2.52 | 4.27 | 1.04 |
| Hong Kong | Lac.Pcs | - | 2.40 | - | - | - |
| Taiwan | Lac.Pcs | 1.53 | 2.49 | 1.99 | 1.03 | 1.38 |
| **Countries already attracting duties** | Lac.Pcs | 729.86 | 336.86 | 272.36 | 121.86 | 45.06 |
| **Other Countries** | Lac.Pcs | 105.22 | 287.45 | 297.80 | 175.76 | 189.80 |
| UAE | Lac.Pcs | 91.18 | 225.94 | 249.81 | 160.92 | 189.40 |
| Other than UAE | Lac.Pcs | 14.04 | 61.51 | 47.99 | 14.84 | 0.40 |
| **Total Imports** | Lac.Pcs | 844.76 | 655.13 | 574.68 | 302.92 | 237.27 |

89. The above data indicates that while there are import of DVD-Rs from China PR and Chinese Taipei, there is no import from Hong Kong during the injury examination period. As far as DVD-RWs is concerned there has been some import from China PR and Chinese Taipei during the injury period and POI but no imports from Hong Kong. The Authority notes that out of two product types considered in this investigation current dumping margin in respect of DVD-Rs is positive while for DVD-RWs it is negative. Therefore for the purpose of assessment of current injury the import volume of DVD-Rs alone is being treated as dumped imports.

90. The authority notes that anti dumping duties are in force against import of the subject goods from a number of other countries and the import data above indicates that the imports from those countries also exhibit a steady decline. However, there is significant import from UAE, during the injury period and POI, at substantially low prices. The petitioner has submitted that UAE does not have significant production capacity of the subject goods and therefore, it is most likely that the goods of other origins are being transhipped through UAE. It has also been submitted that the imports from UAE are at dumped prices and the domestic industry had earlier filed a petition for initiating an investigation against UAE for alleged dumping from that country.

**ii. <u>Demand and Market Share</u>**

91. The demand and market share of the domestic industry and the subject countries in the subject goods in India has been assessed taking into account the production and sales of the domestic industry and imports.

| | Unit | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (POI) | 2013-14 (Post POI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demand DVD-Rs | | | | | | |
| Sales of Domestic Industry | Lac.Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 95 | 94 | 77 | 71 |
| Sales of Other Indian Producers | Lac.Pcs | - | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | | 100 | 198 | 163 | 149 |
| Subject Countries | Lac.Pcs | 7.20 | 24.16 | 2.04 | 1.66 | 0.75 |
| Countries already attracting duties | Lac.Pcs | 730 | 336 | 272 | 122 | 43 |
| Other Countries | Lac.Pcs | 96 | 283 | 296 | 174 | 189 |
| Total Demand/Consumption | Lac.Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 99 | 103 | 82 | 75 |
| Demand DVD-RWs | | | | | | |
| Sales of Domestic Industry | Lac.Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 61 | 178 | 50 | 45 |
| Sales of Other Indian producers | Lac.Pcs | - | **** | **** | **** | **** |

| | Unit | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (POI) | 2013-14 (Post POI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indexed | | 100 | 587 | 166 | 147 |
| Subject Countries | Lac.Pcs | 2.48 | 6.66 | 2.47 | 3.63 | 1.67 |
| Countries already attracting duties | Lac.Pcs | 0.20 | 0.75 | 0.37 | 0.36 | 2.05 |
| Other Countries | Lac.Pcs | 8.86 | 4.56 | 1.95 | 1.68 | 0.37 |
| Total Demand/Consumption | Lac.Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 88 | 110 | 53 | 42 |
| Demand DVD-Rs + DVD-RWs | | | | | | |
| Sales of Domestic Industry | Lac.Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 95 | 94 | 77 | 71 |
| Sales of Other Indian Producers | Lac.Pcs | - | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | | 100 | 198 | 163 | 149 |
| Subject Countries | Lac.Pcs | 10 | 31 | 5 | 5 | 2 |
| Countries already attracting duties | Lac.Pcs | 730 | 337 | 272 | 122 | 45 |
| Other Countries | Lac.Pcs | 105 | 287 | 298 | 176 | 190 |
| Total Demand/Consumption | Lac.Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 99 | 103 | 82 | 75 |

92. The Authority notes that, during the period of investigation the demand and sales of domestic industry for DVD-Rs have remained more or less at the same level except the POI. However, for DVD-RWs there is a significant drop in demand as well as sales of the domestic industry during the POI after a growth in demand and sales in the previous year. Volume of imports of DVD-Rs from the subject countries have declined over the years which could be due to the impact of antidumping duty in force. After examining the general trend in demands the Authority has examined the trend in market share of various players in the domestic market.

| | Unit | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (POI) | 2013-14 (Post POI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Share in Demand DVD-Rs | | | | | | |
| Sales of Domestic Industry | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 96 | 91 | 94 | 95 |
| Sales of Other Indian Producers | % | - | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | | 100 | 190 | 196 | 197 |
| Subject Countries | % | 0.11 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Countries already attracting duties | % | 10.81 | 5.03 | 3.91 | 2.18 | 0.85 |
| Other Countries | % | 1.43 | 4.23 | 4.25 | 3.13 | 3.76 |
| Market Share in Demand DVD-RWs | | | | | | |
| Sales of Domestic Industry | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 70 | 162 | 95 | 106 |
| Sales of Other Indian Producers | % | - | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | | 100 | 463 | 272 | 304 |
| Subject Countries | % | 12.47 | 38.13 | 11.32 | 34.65 | 19.83 |
| Countries already attracting duties | % | 0.99 | 4.28 | 1.70 | 3.43 | 24.40 |
| Other Countries | % | 44.57 | 26.09 | 8.92 | 16.02 | 4.45 |

| | Unit | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (POI) | 2013-14 (Post POI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Share in Demand DVD-Rs + DVD-RWs | | | | | | |
| Sales of Domestic Industry | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 96 | 91 | 94 | 95 |
| Sales of Other Indian Producers | % | - | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | | 100 | 190 | 196 | 198 |
| Subject Countries | % | 0.14 | 0.46 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| Countries already attracting duties | % | 10.78 | 5.03 | 3.90 | 2.19 | 0.89 |
| Other Countries | % | 1.55 | 4.29 | 4.26 | 3.15 | 3.76 |

93. The Authority notes that the market shares of the domestic industry for DVD-Rs & DVD-RWs have substantially decreased during the POI as compared to the base year. The market shares vacated by the petitioner domestic industry have been occupied by the other Indian producers and imports from countries not attracting antidumping duty. The volume of import of DVD-Rs from the subject countries and its market share during the injury investigation period is insignificant. But the import of DVD-RWs from the subject countries has a significant market share in demand during the injury investigation period though total demand of DVD-RWs is only a fraction of the demand for DVD-Rs in India.

94. The Authority notes that since the cumulative imports from the subject countries are very insignificant, the injury examination in terms of volume parameters for assessing the current injury to the domestic industry will be misleading and inappropriate. This being a sunset review investigation the volume of import during the injury investigation period does not reflect the true picture of the likely situation of imports and condition of the domestic industry in the event of revocation of the duty.

**G.5 PRICE EFFECT**

**I. Price effect of dumped imports and impact on domestic industry**

95. The impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of dumped imports of subject goods from the subject countries.

96. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry as per Annexure III to the Rules as the consistent practices of the Authority by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

**II. Price Undercutting**

97. The Authority has analyzed price effect of dumped imports and derived price undercutting with and without anti-dumping duty.

| | Unit | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (POI) | 2013-14 (Post POI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DVD-Rs** | | | | | | |
| Landed price of imports | Rs/Pc. | 5.01 | 5.21 | 3.42 | 5.69 | 1.53 |
| | Indexed | 100 | 104 | 68 | 114 | 31 |
| Net Selling Price | Rs/Pc. | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 106 | 119 | 122 | 118 |
| Price Undercutting | Rs/Pc. | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 131 | 822 | 250 | 1,339 |
| Price Undercutting (%) | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| Undercutting Range | % | 0-10% | 5-15% | 40-50% | 10-20% | 70-80% |
| **Undercutting With ADD** | | | | | | |
| Landed price of imports | Rs/Pc. | **** | **** | **** | **** | **** |
| | indexed | 100 | 101 | 81 | 113 | 68 |
| Net Selling Price | Rs/Pc. | **** | **** | **** | **** | **** |
| | indexed | 100 | 106 | 119 | 122 | 118 |
| Price Undercutting | Rs/Pc. | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| | indexed | (100) | (91) | (11) | (97) | 23 |
| Price Undercutting (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| Undercutting Range | % | (50-60%) | (40-50% | (0-10%) | (40-50%) | 5-10% |
| **DVD-RWs** | | | | | | |
| Landed price of imports | Rs/Pc. | 34.97 | 33.68 | 32.90 | 43.79 | 25.72 |
| | indexed | 100 | 96 | 94 | 125 | 74 |
| Net Selling Price | Rs/Pc. | **** | **** | **** | **** | **** |
| | indexed | 100 | 156 | 104 | 146 | 157 |
| Price Undercutting | Rs/Pc. | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| | indexed | (100) | (42) | (85) | (106) | 1 |
| Price Undercutting (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| Undercutting Range | % | (105-115) | (25-35) | (85-95) | (75-85) | 0-5 |
| **Undercutting with ADD** | | | | | | |
| Landed price of imports | Rs/Pc. | 38.11 | 36.77 | 35.84 | 47.39 | 29.74 |
| | Indexed | 100 | 96 | 94 | 124 | 78 |
| Net Selling Price | Rs/Pc. | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 156 | 104 | 146 | 157 |
| Price Undercutting | Rs/Pc. | (****) | (****) | (****) | (****) | (****) |
| | Indexed | 100 | 51 | 87 | 107 | 18 |
| Price Undercutting (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | (****) |
| Undercutting Range | % | (125-135) | (35-45) | (100-110) | (90-100) | (10-20) |

| | Unit | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (POI) | 2013-14 (Post POI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DVD-Rs + DVD- RWs** | | | | | | |
| Landed price of imports | Rs/Pc. | 12.69 | 11.88 | 19.58 | 31.84 | 18.21 |
| | Indexed | 100 | 94 | 154 | 251 | 143 |
| Net Selling Price | Rs/Pc. | - | - | - | - | - |
| Price Undercutting | Rs/Pc. | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| | Indexed | (100) | (33) | (164) | (296) | 37 |
| Price Undercutting (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | **** |
| Undercutting Range | % | (20-30) | (0-10) | (25-35) | (45-55) | 20-30 |
| **Undercutting with ADD** | | | | | | |
| Landed price of imports | Rs/Pc. | 15.96 | 15.02 | 22.81 | 35.53 | 22.27 |
| | Indexed | 100 | 94 | 143 | 223 | 140 |
| Net Selling Price | Rs/Pc. | - | - | - | - | - |
| Price Undercutting | Rs/Pc. | (****) | (****) | (****) | (****) | (****) |
| | Indexed | (100) | (60) | (135) | (218) | (31) |
| Price Undercutting (%) | % | (****) | (****) | (****) | (****) | (****) |
| Undercutting Range | % | (70-80) | (40-50) | (55-65) | (75-85) | (0-10) |

98. The Authority notes that without ADD, the landed value of dumped imports of DVD-Rs from the subject countries have been undercutting the selling prices the domestic industry during the entire injury period and the post POI period. However, with ADD the price undercutting of DVD-Rs has been negative during the injury period. But in the post POI period the undercutting is positive. The Authority further notes that the price undercutting has been negative even without ADD in the case of DVD-RWs. However, post POI data shows positive undercutting for both DVD-Rs and DVD-RWs without ADD indicating that removal of duty cover may undercut the prices significantly.

**III. Price Suppression, Depression**

99. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports from subject countries on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales.

Rs./Pc

| DVD-Rs | Unit | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (POI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Sales | Rs/Pc | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 110 | 120 | 149 |
| Net Sales Realisation | Rs/Pc | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 106 | 119 | 122 |
| DVD-RWs | | | | | |
| Cost of Sales | Rs/Pc | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 189 | 222 | 454 |
| Net Sales Realisation | Rs/Pc | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 156 | 104 | 146 |

100. The Authority notes from the above data that the domestic industry was not in a position to increase the selling price of DVD-Rs in proportion to the increase in cost of sales during the injury period showing price suppression. However, DVD-RWs are selling above cost of sales though the price rise is not commensurate with the rise in cost of sales.

**IV. Price Underselling**

| Particulars | Unit | **DVD-R** | **DVD-RW** |
|---|---|---|---|
| | | 2012-13 | 2012-13 |
| Non Injurious Price (NIP) | (Rs/Pc) | **** | **** |
| Landed Value without ADD | (Rs/Pc) | 5.69 | 43.79 |
| Price under selling | (Rs/Pc) | **** | (****) |
| Price under selling (%) | % | ****% | (****)% |
| Price under selling range | % | 20-30% | (60-70%) |
| Landed Value with ADD | Rs/Pc | 9.40 | 47.39 |
| Price under selling with ADD | Rs/Pc | (****) | (****) |

101. The above data shows that the landed value of imports of DVD-Rs from the subject countries has been lower than the non-injurious price of DVD-Rs of the domestic industry during the POI. However, the landed value of DVD-Rs after including the applicable antidumping duty during the POI was above the NIP. With respect to imports of DVD-RWs from the subject countries the price underselling has been found to be negative.

**G.6 Examination of other economic parameters of the domestic industry**

102. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

103. Various injury parameters as above relating to the domestic industry have been examined as follows:

**a. Actual and potential impact on capacity, production, capacity utilization and sales**

104. The table below shows the capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry for the product under consideration during the injury investigation period.

| Particulars DVD-Rs + DVD-RWs | Unit | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (POI) | 2013-14 (Post POI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Lac Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 99 | 98 | 97 | 90 |
| Production | Lac Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 100 | 92 | 72 | 63 |
| Capacity Utilization | % | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 100 | 94 | 75 | 69 |
| Sales Volume | | | | | | |
| Domestic | Lac Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 95 | 94 | 77 | 71 |
| Export | Lac Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 116 | 120 | 74 | 72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total sales | Lac Pcs | **** | **** | **** | **** | **** |
| | Indexed | 100 | 107 | 109 | 75 | 72 |

105. The above data indicates that though the capacity of the domestic industry shows a marginal decline during the injury investigation period, the production and sales (both domestic and exports) have fallen significantly during the POI thereby affecting the capacity utilization, which has fallen below 60% from a level of above 75% in previous years.

**b. Actual and potential impact on profit/loss, cash flow, return on capital employed, inventory, productivity**

106. Performance of the domestic industry with respect to the product under consideration has been examined in terms of the above parameters as follows:

| Profit/loss, cash flow, ROCE, inventory and productivity | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars- | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | POI | Post-POI |
| Net profits/(loss) (Rs Crore) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) |
| Indexed | (100) | (100) | (85) | (208) | (233) |
| Net profits/(loss) (Rs. per piece) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) |
| | (100) | (100) | (85) | (255) | (314) |
| Cash profits (Rs. Crore) | ***** | ***** | ***** | (*****) | (*****) |
| | 100 | 100 | 142 | (52) | (252) |
| ROCE | | | | | |
| Capital employed (Rs. Crore) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | 100 | 100 | 80 | 78 | 78 |
| Return on capital employed (%) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) | (*****) |
| | (100) | (100) | (84) | (362) | (390) |
| Inventory (Million pieces) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | 100 | 100 | 58 | 70 | 56 |
| Inventory in No. of days of sales | 78.47 | 86.29 | 67.41 | 79.98 | 82.05 |
| | 100 | 100 | 78 | 93 | 95 |
| Number of employees (No.) | 1703 | 1788 | 2067 | 1998 | 1998 |
| | 100 | 100 | 116 | 112 | 112 |
| Productivity per employee (million piece per employee) | 8.98 | 8.51 | 6.79 | 5.55 | 4.81 |
| | 100 | 100 | 80 | 65 | 57 |
| Total wages paid (Rs. Crore) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | 100 | 100 | 119 | 117 | 89 |

107. The Authority notes that changes in prices, sales volumes or costs may reflect in changes in the profit/loss. The effect of dumped imports can be reflected in any or all of these variables. The above data indicates that the net profit of the Company has declined steadily during the injury investigation period which is also reflected in the profit per piece of the subject goods during the same period. There has been a negative return on capital employed during the same period, which has worsened further during the POI. The cash profit from the product under consideration was positive throughout but has turned negative in the POI indicating signs of material injury.

108. Other physical parameters of the domestic industry as above indicates that there is a diminishing trend in the inventory built up at the end of the financial years except during the POI which indicates adverse inventory build up. However, when considered over the whole injury period and POI, these data may not be considered to show adverse effects through built-up of excessive inventory. The indicator presented as 'number of days sales' also shows a similar trend.

109. Productivity is the relationship between the output of goods and inputs of the resources used to produce them. Productivity is therefore affected by changes in output levels. Data demonstrates that there was a drop in production levels as well as a drop in capacity utilization. The Authority notes that the productivity per employee has declined sequentially during 2009-13; and the plunge continues during post-POI period (2013-14). The wages paid by the domestic industry during POI, has declined as compared to the base period.

110. Generally, indications of negative effects on growth include the cancellation or delay of plans for expansion of manufacturing capacity or development of new facilities. The petitioner's claim regarding negative effects on growth is not supported by evidence such as documented plans for execution of a particular facility that had to be put on hold due to effects of dumped imports. The Authority notes that there is no such evidence forthcoming to conclude negative effects on growth. However, there were overall decline in production and sales of the domestic industry indicating negative growth of the sector.

**H. Causal Link**

111. The Rules mandates the Authority to examine the causal links between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry on account of the dumped imports. In the absence of any argument put forth by any other interested party the Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry. The following issues have been brought to the notice of the authority and examined as per information available for the non-attribution analysis:

i. **Imports from Third Countries**: - The Authority notes that while imports of product under consideration from the subject countries and other countries attracting antidumping duty have significantly dropped during the injury investigation period, imports of DVD-Rs from UAE has increased substantially during this period as given in the table below. There is no import of DVD-RWs from UAE. The price at which the DVD-Rs are being imported from UAE could have been one of the reasons for the decrease in prices of the domestic industry. However, as noted in para 71 above the domestic industry has contended that the imports from UAE are basically re-exports of goods originating from China and Taiwan as UAE does not have capacity to produce and export such high volumes.

| **DVD-Rs Imports from UAE** | **Units** | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** | **2012-13 (POI)** | **2013-14 (Post POI)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume of imports | Lac Pieces | 91.10 | 225.94 | 249.81 | 160.92 | 189.40 |
| Price | Rs/Pc | 4.66 | 4.80 | 4.99 | 6.59 | 6.75 |

ii. **Contraction in Demand**:- The Authority notes that there was a marginal decline in demand of the products in the domestic market since the base year and the contraction appears to be more prominent during the POI. The Authority has examined whether contraction in demand has caused the injury to the domestic industry. The Petitioner has submitted that the decline in production and sales of the petitioner is largely on account of decline in export sales and domestic sales were still quite stable. It has been argued that demand for the product under consideration has declined in the global market as well. Domestic industry submits that the product continues to have significant demand in the country and shall continue to have significant demand in future as well. Though it is generally apprehended that the demand for DVD is in the declining path due to increasing use of USBs/pen drives and other data storage devices such as blue rays and other internet platforms for entertainment related requirements, DVD as a storage media device is likely to last for several years, and certainly for more than a decade. The petitioner has also referred to the decision of the European Commission in the matters of Certain Graphite Electrode Systems originating in India wherein the issue of decline in demand was discussed. It was concluded in that matter that the domestic industry needs to be protected particularly when the demand has declined.

This issue has been examined in the context of non-attribution analysis to see whether the decline in the demand in the country is due to advent of other technologies and therefore, a cause of injury to the domestic industry. Examination of information provided by the domestic industry indicates that though other data storage and reuse devices and platforms are now available and may be making a dent on the demand for DVDs there is no imminent threat to this product segment due to various reasons as follows:

- USB/Pen drives are used only in those applications where a consumer has to write contents multiple times. Use of USB/Pen drive in those applications instead of DVD-Rs, where the consumers would write only once, is a gross underutilization of a pen drive. DVD-Rs are much more cost effective as it costs only Rs. 15 (to the end consumer) as compared to a pen drive typically costing more than Rs. 300. It has been submitted that Pen drive is essentially required for frequent/multiple storing of data/contents. Therefore, USB/Pen-drive as a storage medium cannot substitute DVD-Rs market.

- DVD-Rs present a very good data storage platform for archival purpose for software, entertainment materials, etc which does not require multiple writing. Penetration of computer and internet is insignificant to lead to sharp decline in demand for DVD-Rs in this usage segments. New and emerging areas such as medical diagnostics, photo-storage, etc. would create new demands for DVDs.

- Market for data storage and transmission would grow and the demand for CD, DVD, Blue-Ray & Magnetic & Optical Recording Media will remain significant in coming years as per the report published by Anything Research (www.anythingresearch.com) made available by the domestic industry. The Authority further notes that this report is based on US Census and Government market data.

- The most prominent sector where demand of DVD-Rs is high is the entertainment sector which includes rental movies, games, etc, which has not been penetrated by Blue ray and pen drives despite their higher capacity.

- The demand of DVD is still significant in developed nations where the access to internet is widespread. Hence, it was submitted that DVD demand would remain significant in India in the coming years.

- Further, China continues to find DVD as the majority product in optical media storage devices. This is evident from the fact that China produced and exported huge volumes of DVD despite 42% penetration level of internet and despite being a hub of USB/Pen-drive production.
- Physical media like DVD still generate more movie revenue than streaming services. Demand for physical media would remain significant due to reasons like obsessive needs of collectors, for gifts and games

- Only 9.5% of the population in India owns a computer or a laptop and only 3.1% of the Indian population owns computer/laptop with internet. Therefore, as claimed by the domestic industry the usage of pen drives or hard disk or internet downloading is limited to these numbers only.

- DVDs are also more prevalent where large data needs to be distributed to large number of people at economical cost as providing DVD costing Rs.15-20 is cost effective rather than pen-drive which costs about Rs. 200 or more.

The above indicates that though there is a marginal decline in demand for DVDs in India in the last few years, which is on the line of global trends, DVDs would continue to remain the preferred medium for data storage and transmission for some time to come and therefore, cannot be considered as the major reason for the injury caused to the domestic industry.

**iii. Pattern of consumption**: - The pattern of consumption of DVDs *vis-a vis* other competing products as discussed in the previous section indicates that there is no significant change in the pattern of consumption for the subject goods affecting the conditions of the domestic industry.

**iv. Conditions of competition**:- The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

v. **Developments in technology:**- The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology in the manufacturing process or usage of the product except for the arrival of new technologies such as pen drives, blue-rays and internet based transmission as discussed in para (ii) above, which could have caused injury to the domestic industry.

vi. **Export performance of the domestic industry**: - The volume of exports of the domestic industry has declined significantly during the injury investigation period keeping in line with the global trend and this has added to the injury of the domestic industry. However, the injury analysis in the previous section is based on the domestic performance of the domestic industry. Prices and profitability in the domestic and export markets have been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

**I. Conclusion on Injury and causal Links**

112. The above analysis indicates that the domestic industry continues to suffer material injury on account of decline in production and sales, low capacity utilisation and losses in sale of the products under consideration. However, segmental analysis shows that the injury is more prominent in the DVD-Rs segment which constitutes more than 99% of the production and sales of the domestic industry. DVD-RWs segment is profitable for the domestic industry, though it is less than 1% of the total production and sales of the domestic industry, and therefore, does not suffer any material injury at the moment. At present DVD-RWs are not being dumped by the subject countries as the dumping margin works out to be negative though the volumes are not significant.

113. However, the volume of imports from the subject countries being too low at the moment the volume impact of dumped imports does not seem to be significant or material at present. DVD-Rs continue to significantly undercut the prices of the domestic industry and also have underselling effect on the domestic industry's selling prices though the volume is low. However, as noted earlier, various factors such as imports from various sources, including dumped imports from the subject countries, appear to have caused injury to the domestic industry during the investigation period.

**J. Likelihood of continuation or recurrence of injury**

114. The Authority notes that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of injury if the duties are to be removed, even if there is no current injury and/or causal link. In the previous section on likelihood of continuation or recurrence of dumping it has been established that dumping is likely to recur from the subject countries in the event of withdrawal of the duties.

**J.1 Submissions by the domestic industry**

115. The petitioner has claimed that the cessation of anti dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. It has been further claimed that the entire purpose of the review investigation is not to see whether there is a need for imposition of anti-dumping duty but to see whether in the absence of such duty, dumping would continue or recur; and whether the domestic industry would continue to suffer material injury or the injury to the domestic industry would recur if duties are removed. In this regard the petitioner has stated the following:

(a) Even where there are nil imports from a subject country in a sunset review investigation, the investigation can be initiated and the duty continued as has been the case in a number of investigations undertaken by the Authority.
(b) There are significant freely disposable current and potential capacities with producers in the subject countries and the producers in the subject countries have high export orientation, as detailed in the petition.
(c) If the trend of imports of product under consideration is analyzed, it will clearly show that there has been a consistent practice of dumping by different countries in the past. If the anti-dumping duty is imposed on one set of countries, the dumping starts from other set of countries. This shift in imports clearly shows that the exporters are deliberately and consciously resorting to dumping to retain their market shares in global market due to over capacities in those countries.

(d) The Indian market for the product under consideration is highly price sensitive. The consumers decide their source, with the price being the foremost consideration.

(e) Imports from subject countries are causing significant price undercutting to the Domestic Industry. Demand for the product under consideration is practically in DVD-R category 99.87% sales of the domestic industry being in this category. Therefore, likelihood of dumping and injury should be established by considering information for DVD-R. Information for DVD-RW is not reflective and representative of the likelihood situation, given extremely small market that is being catered by them. It would thus be seen that 99.87% of the sales of the domestic industry is likely to face undercutting in the event of cessation of anti dumping duty. Even if it is admitted that 0.13% of the sales is not likely to face undercutting, the domestic industry is likely to face price undercutting in respect of "product under consideration" from dumped imports from subject countries in the event of cessation of anti dumping duty.

(f) If the price undercutting is examined cumulatively from various dumped sources it would be seen that the weighted average price undercutting by dumped imports (including UAE and Vietnam) is significantly positive. Given the nature of the product under consideration, it is obvious that the producers in subject countries are unlikely to get a price different from the prices at which other foreign producers are exporting the product under consideration. Thus, the price undercutting from imports from other countries is a clear indicator of the price undercutting that is likely from the subject countries in the event of cessation of anti dumping duty.

116. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has argued that whereas actual pattern of imports between DVD-Rs and DVD-RWs is relevant for the purpose of current dumping analysis, the consumption pattern of DVD in India and export volume of the exporters from subject countries globally is important for the purpose of likelihood analysis. The sales pattern of domestic industry between DVD-Rs and DVD-RWs is relevant for the likelihood of injury analysis. The sales pattern of exporters between DVD-Rs and DVD-RWs in global market is relevant for the likelihood of dumping analysis. The domestic industry further argues that dumping margin, price undercutting and injury margin should be determined twice – once on the basis of actual import volumes to show the actual dumping, actual undercutting and actual injury margin position during current period and thereafter on the basis of (a) domestic industry sales volume pattern to show the likely position for the purpose of likelihood of injury analysis, and (b) exporters' third countries sales volume pattern to show the likely position for the purpose of likelihood of dumping analysis. The disclosure statement clearly establishes (a) positive dumping margin, price undercutting and injury margin in DVD-Rs (b) negative dumping margin, price undercutting and injury margin in DVD-RWs, (c) negative dumping margin, price undercutting and injury margin for DVD as a whole considering actual import volumes, (d) positive dumping margin, price undercutting and injury margin in DVD-RWs in case of likelihood situation considering domestic industry sales pattern and exporters export pattern. Therefore, investigations should focus on likelihood of dumping and injury considering the respective volumes of DVD-Rs and DVD-RWs of domestic industry (for injury) and exporters (for dumping).

**J.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

117. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

**J.3 Examination by the Authority**

118. The Authority has looked in to the current volume and value of imports of the subject goods from the subject countries as well as other countries and the volume of domestic sales of the domestic industry to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty. The Authority notes that though the current imports volumes are either low or nil from the subject countries the volumes of imports from other countries are significant. Domestic industry has also emphasised the fact that there is clear market segmentation between the DVD-Rs and DVD-RWs in terms of commercial substitutability. The Authority notes that a clear likelihood of continuation/recurrence of dumping has been established in the previous section based an objective examination of various factors. Accordingly, the likelihood scenario as far as continuation or recurrence of injury has been examined as follows:

**(a) Level of current and past dumping margins**

119. The level of dumping margin both in the original as well as present investigation for DVD-Rs is significant though the volume of import during the POI from the subject countries is low. However, the Authority notes that antidumping duties on the subject countries as well as few other countries have been successful in preventing large scale dumped imports from these countries though these countries have significant spare capacities. Authority further notes that despite the domestic industry holding the capacity to meet the entire demand, significant volume of import is taking place from other countries not attracting duties at prices much lower than the antidumping duty paid imports from the subject countries and other sources attracting duties. Therefore, there is a very high possibility that once the duties are removed imports will start from these countries at comparable prices. At these prices price undercutting and underselling to the domestic industry prices will be significant preventing it to recover even the normated non-injurious price. Therefore, injury to the domestic industry, which still continues to suffer injury because of other factors also, is likely to be intensified.

**(b) Price attractiveness of Indian market**

120. As stated above the price at which the subject goods are being exported by China PR to India is an indicator of the likelihood of continuation/intensification of dumping. At the current landed price in India, there is positive undercutting without anti-dumping duty. Thus, with the revocation of anti-dumping duty, the Indian prices would be too attractive for the Chinese producers to intensify their exports to India at dumped prices and there is strong likelihood that Indian consumers would resort to large scale imports of the subject goods from China leading to intensification of injury to the domestic industry.

**(c) Global demand – supply scenario**

121. There is a clear demand supply mismatch in the global DVD market, capacities exceeding the demand on the face of competing technologies. Therefore, there is clear possibility of aggressive market entry strategies being applied by global players and intensified dumping in India if duties are removed and the price level will be dictated by their market entry strategies leading to sever price undercutting and underselling which will further affect the domestic industry's capacity utilisation and profitability.

**K. Magnitude of Injury and injury margin**

122. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as follows:

| **Injury Margins DVD-Rs** | | | |
|---|---|---|---|
| **Particulars** | **Unit** | **China PR** | **Chinese Taipei** |
| Non injurious Price | Rs./piece | **** | **** |
| Landed Value without ADD | Rs./piece | 5.65 | 6.43 |
| Injury margin | Rs./piece | **** | **** |
| | % | **** | **** |
| | Range% | 30%-40% | 15%-25% |
| **Injury Margins DVD-RWs** | | | |
| Particulars | Unit | China PR | Chinese Taipei |
| Non injurious Price | Rs./piece | **** | **** |
| Landed Value without ADD | Rs./piece | 45.96 | 37.07 |
| Injury margin | Rs./piece | (****) | (****) |
| | % | (****%) | (****%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Range% | (60%-70%) | (50-60%) |
| Weighted average IM | Rs/Piece | (****) | (****) |
| Weighted average IM | % | (****%) | (****%) |
| | Range | (25-35%) | (45-55%) |

**L. Conclusion on Injury and Likelihood of injury**

123. The above analysis indicates that the domestic industry continues to suffer material injury on account of decline in production and sales, low capacity utilisation and losses in sale of the products under consideration. However, segmental analysis shows that the injury is more prominent in the DVD-Rs segment which constitutes more than 99% of the production and sales of the domestic industry. DVD-RWs segment is profitable for the domestic industry, though it is less than 1% of the total production and sales of the domestic industry, and therefore, does not suffer any material injury at the moment. At present DVD-RWs are not being dumped by the subject countries as the dumping margin works out to be negative though the volumes of imports are significantly higher than DVD-R imports. But for DVD-Rs the dumping margin is positive from two countries, there being no import from Hong Kong, and there is a clear likelihood of continuation and recurrence of dumping from the subject countries. Therefore, there is a clear likelihood of continuation and intensification of injury to the domestic industry if duties are revoked on this segment. Since DVD-Rs constitute overwhelming proportion of the domestic industry's production the injury to the domestic industry will be overwhelmingly on account of imports of DVD-Rs and not on account of DVD-RWs as has been demonstrated through the price and volume effects.

124. Therefore, the Authority concludes that there is a clear and imminent possibility of recurrence of dumping of DVD-Rs from the subject countries and consequent injury to the domestic industry on account of such dumped imports.

**M. Indian industry's interest & other issues**

125. No argument has been put forward by any interested party regarding the interests of the users and other such interested parties. However, the Authority notes that the subject goods are consumer goods directly used by entertainment and IT industry and public at large which may be affected by continuation of the duties. The Authority further notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of free and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. On the other hand, if distortion caused by the dumped imports are not corrected it may lead to closure of the domestic production base and subsequent price increase by the foreign producers, which will adversely affect the user industry.

**N. Recommendations**

126. The Authority initiated and conducted the investigation into current dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry and likelihood of continuation or recurrence of dumping from the subject countries and consequent injury to the domestic industry in the event of withdrawal of duty in terms of the Rules laid down. It has been clearly established in the foregoing paragraphs that there is a clear and imminent likelihood of recurrence of dumping from the subject countries, including Hong Kong, which has not exported the subject goods to India during the investigation period, in the event of withdrawal of duty.

127. It has also been established that the domestic industry is likely to continue to suffer material injury and the injury would intensify if the duties are removed. Therefore, there is need for continued imposition of the duties to protect the domestic industry against continuation/ recurrence of dumping from the subject countries and continuation/ recurrence of injury to the domestic industry.

128. However, in the factual matrix of the case and keeping in view the current dumping and injury margins of individual product types i.e., DVD-Rs and DVD-RWs and the submissions of the domestic industry withdrawing its request for continuation of duty on DVD-RWs, the Authority is of the view that the ends of justice would be met if duties are extended only on DVD-R and not on DVD-RW.

129. As far as Hong Kong in concerned, though there are no imports from that country during the investigation period it has been established that there is a strong likelihood of goods of other origins being diverted through Hong Kong if the duties are removed on Hong Kong, keeping in view that this country does not have any production capacity for the subject goods and most of goods exported from this country are actually manufactured elsewhere.

130. Therefore, the Authority recommends continuation of duty, on all the three countries named, only in respect of DVD-Rs, as per the dumping and injury margins calculated for the investigation period, for a further period of 5 years from the date of its imposition to prevent recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends continuation of definitive anti-dumping duties equal to the lesser of margins of dumping and margins of injury so established for DVD-Rs, for China PR and Chinese Taipei, so as to remove the injury to the domestic industry. As far as Hong Kong is concerned, in the absence of any estimates of dumping and injury margins, it is recommended to extend the duty applicable to China PR for the goods originating or exported from Hong Kong.

131. The duties, arising out of the previous investigation, were imposed in terms of fixed duties. Accordingly, the Authority recommends continued imposition of definitive antidumping duties equal to the amount indicated in Column-8 of the table below from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of DVD-Rs originating in or exported from the subject countries for a further period of 5 years.

**Duty Table**

| Sl. No | Sub Heading or Tariff Item | Description of Goods | Specification | Country of origin | Country of Export | Producer | Exporter | Duty Amount | Unit of Measure | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | 8523 | Digital Versatile Disc Recordable | DVD - R and DVD + R | China PR | China PR | Any | Any | 36.67 | Per 1000 pieces | USD |
| 2 | -Do- | -Do- | -Do | China PR | Any country other than China PR | Any | Any | 36.67 | -do- | -do- |
| 3 | -Do- | -Do- | -Do | Any country other than subject countries | China PR | Any | Any | 36.67 | -do- | -do- |
| 4 | -Do- | -Do- | -Do | Hong Kong | Hong Kong | Any | Any | 36.67 | -do- | -do- |
| 5 | -Do- | -Do- | -Do | Hong Kong | Any country other than Hong Kong | Any | Any | 36.67 | -do- | -do- |
| 6 | -Do- | -Do- | -Do | Any country other than subject countries | Hong Kong | Any | Any | 36.67 | -do- | -do- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -Do- | -Do- | -Do | Chinese Taipei | Chinese Taipei | Any | Any | 22.39 | -do- | -do- |
| 8 | -Do- | -Do- | -Do | Chinese Taipei | Any country other than Chinese Taipei | Any | Any | 22.39 | -do- | -do- |
| 9 | -Do- | -Do- | -Do | Any country other than subject countries | Chinese Taipei | Any | Any | 22.39 | -do- | -do- |

**O. Further Procedures**

132. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.